अत्तलाकु मर्रातानि फ़इमसाकुम बिमअ़रुफ़िन औतस्रीहुम बिइह़्सान०

तीन तलाक़

का

शरअ़ई ह़ल

- क़ुरान व अह़ादीस की रोशनी में
- एक मजलिस की तीन तलाक़ें ह़राम हैं
- एक वक़्त में तीन तलाक़ें देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है

मुअ़ल्लिफ़

डा० आज़म बेग क़ादरी

09897626182

अत्तलाकु मर्रातानि फ़इम्साकुम बिमअ़रुफ़िन औतस्रीहुम बिइह़सान०

तीन तलाक़ का शरअ़ई ह़ल

- कुरान व अह़ादीस की रोशनी में
- एक मजलिस की तीन तलाक़ें ह़राम हैं
- एक वक़्त में तीन तलाक़ें देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है

मुअ़ल्लिफ़

डा० आज़म बेग क़ादरी

09897626182

© जुमला हुक़ूक़ नाशिर के लिये महफ़ूज़ हैं

नाम किताब– तीन तलाक़ का शरअ़ई हल

मुअ़ल्लिफ़– डा0 आज़म बेग क़ादरी

नज़रे सानी– हाफिज़ व क़ारी जनाब वकीलउद्दीन साहब

सने इशाअ़त– सितम्बर–2017 मुहर्रमुल हराम–(1439) हि0

कम्पोज़िंग– मु0 जुनैद (अमन) & मु0 ज़ैनुल आबदीन

क़ीमत– 50 रूपये

–: मिलने के पते :–

मदार बुक डिपो
मकनपुर (कानपुर)
09695661767

जावेद बुक सेलर
करहल (मैनपुरी)
09634447000

अनवार उर्दू बुक डिपो
बिसात खाना (मैनपुरी)
09319086703

उर्दू बुक हाउस
तलाक महल (कानपुर)
09389837386,09559032415

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

न0 शुमार | सफ़्हा

01— ह़म्द 06
02— तम्हीद 07
03— तलाक़ की अक़साम 10
04— तलाक़ की मुख़्तलिफ़ सूरतें 12
05— तलाक़ ना पसंदीदा फ़ेअ़्ल है 14
06— एक मजलिस की तीन तलाक़ें 14
07— तीन तलाक़ का शरअ़ई हल 17
08— कुरान में तलाक़ का हुक्म 27
09— दो तलाक़ का सबबे नुज़ूल 32
10— तीन इकट्ठी तलाकें देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है (कुरान की रोशनी में) 33
11— तीन इकट्ठी तलाक़ें देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है (अह़ादीस की रोशनी में) 38
12— ह़लाला शरई 50
13— बग़ैर ह़लाला पहले शौहर से निकाह़ जाइज़ नहीं 56
14— तलाक़ सुन्नत (कुरान की रोशनी में) 56
15— तलाक़ सुन्नत (अह़ादीस की रोशनी में) 57
16— तलाक़ व रुजूअ़ पर गवाह बनाना 61
17— औ़रत को तलाक़ का इख़्तियार देना 62
18— तलाक़ कहलाकर भेजने से तलाक़ वाक़ैअ़ 63
19— हँसी मज़ाक़ में तलाक़, निकाह़ व रजअ़त का बयान 63
20— वक़्त मुक़र्ररा या किसी अम्र के बाइस तलाक़ का बयान 63
21— नशे में मुब्तिला शख़्स की तलाक़ 64
22— जबरदस्ती या भूलकर तलाक़ देने का बयान 65

न0 शुमार		सफ़्हा
23—	वालिद के हुक्म पर बेटे को चाहिये कि बीवी को तलाक़ दे दे	66
24—	पाग़ल नाबालिग़ व सोने वाले की तलाक़ का बयान	66
25—	अगर मर्द तलाक़ का इन्कारी हो	67
26—	तू अपने घर वालों में जाकर रह कहने से तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती	67
27—	औ़रत को अपने ऊपर ह़राम करना	68
28—	फ़स्ख़े निकाह़	69
29—	ख़ुलअ़	71
30—	लिआ़न	76
31—	ईला	77
32—	ज़िहार	79
33—	मुतल्लक़ा मदख़ूला की इ़द्दत	81
34—	मुतल्लक़ा ग़ैर मदख़ूला की इ़द्दत	84
35—	मुतल्लक़ा अपनी इ़द्दत कहाँ गुज़ारे	84
36—	बेवा की इ़द्दत का बयान	87
37—	बेवा इ़द्दत कहाँ गुज़ारे	87
38—	इ़द्दत ह़ामला	93
39—	अय्यामे इ़द्दत औ़रत किन उमूर से इजतिनाब करे	94
40—	बेवा व मुतल्लक़ा दौराने इ़द्दत ज़रुरत के लिये मकान से निकल सकती है	95
41—	मुतल्लक़ा का नान व नफ़क़ा	97
42—	बेवा औ़रत का नान व नफ़क़ा	100
43—	ह़ामला औ़रत का नान व नफ़क़ा	101
44—	बेवा ह़ामला औ़रत का नान व नफ़क़ा	102
45—	मुतल्लक़ा का छोटा बच्चा किसके पास रहे	103

-: ह़म्द :-

अल्ह़म्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाअ़द फ़आजू बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिसमिल्लाहिर्र रह़मानिर्ररह़ीम0

तमाम ताअ़रीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये ही सज़ावार हैं जिसने तमाम कायनात की तख़ल़ीक़ की जो मुर्दों की ज़िन्दों से और ज़िन्दों को मुर्दों से निकालता है जो बड़ा मेहरबान निहायत ही करम फ़रमाने वाला है वो अपनी तमाम सिफ़ात में अकेला है क़ायनात की हर शैः उसके ताबेअ़ और क़ब्ज़े कुदरत में है वो वाहिद है उसका कोई शरीक नहीं क़ायनात के निज़ाम को चलाने वाला हर जानदार को रिज़्क़ फ़राहम करने वाला तमाम खूबियों का मालिक हर ज़र्रा जिसका ज़िक्र बुलन्द करता है हर शैः की ख़बर रखने वाला कोई चीज़ उससे मख़्फ़ी नहीं वो दिलों की धड़कन से भी ज़्यादा क़रीब है और कोई भी राज़ ऐसा नहीं है जिस पर वो मुत्तलाअ़ नहीं उसके रहमो करम की कोई इन्तिहा नहीं वो काफ़िर व मुशरिक को भी रिज़्क़ अ़ता करता है और मोमिन को भी अ़ता करता है सबसे बेहतर इंसाफ़ करने वाला अपने बन्दों की भलाई चाहने वाला थोड़े से नेक अ़मल पर राज़ी होने वाला गुनाहगारों को बख़्शने वाला अपने बन्दों से मुहब्बत करने वाला सबका मालिक पाक पर'वर दिगार जिसकी ताअ़रीफ़ ला मह़दूद है

और दुरुदो सलाम हो अल्लाह तआ़ला महबूब सरकारे दो आ़लम (सल्ल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर और रह़मत और बरकत हो और सलाम हो सय्यदिल मुरसलीन नबी करीम (सल्ल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की अज़वाजे मुतह्रात और अहले बैत अतह्रार पर और तमाम आले रसूल पर और तमाम सूफ़िया—ए—किराम व औलिया—ए—इज़ाम पर और उन पर जो अल्लाह तआ़ला के मुक़र्रबीन नेक सालिहीन बन्दे हैं।

-: तम्हीद :-

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम

तत्लीक़ सलासा (तीन तलाक़) के मसले पर ला इल्मी के बाइस लोग ऐसी कैफ़ियात से गुज़र रहे हैं जिसमें मुख़्तलिफ़ मुश्किलात और दुश्वारियाँ हैं हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने मिल्लते इस्लामियाँ में अ़वामुन्नास के लिये आसानी और सहूलियतें रखी हैं इसके बावुजूद भी लोग अल्लाह तआ़ला की अ़ता कर्दा सहूलियतों से मह़रुम हैं और बिदअ़त व ह़राम फ़ेअ़ल के बाइस वो गुनाह के मुरतकिब हो रहे हैं इसकी सबसे बड़ी और ख़ास वजह अ़वाम की दीनी इल्म से बे रग़बती है और अहले इल्म का ख़ासो आ़म तक ज़रुरियाते उ़लूम का न पहुँचाना भी शामिल है हालाँकि ज़रुरियाते दीनी उ़लूम का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और अहले इल्म पर वाज़िब है कि दीनी उ़लूम व शरअ़ई मसाइल अपने बयानात व ख़िताबात व दीगर ज़राए से अ़वाम तक पहुँचायें ताकि लोग शरअ़ई अह़कामात पर मुत्तलाअ़ हों और दीनी इल्म सीखने की तरफ़ उनकी रग़बत बढ़े ताकि उनकी इस्लाह हो जाये और वो शरई अह़क़ाम के मुताबिक़ अपने तमाम कामों को अन्जाम दें।

आज हालात ये हैं अक्सर लोग तलाक़ के अह़काम व मसाइल से क़तई अन्जान हैं और वो ये समझते हैं तीन तलाक़ देने से ही तलाक वाक़ैअ़ होती है और अगर तीन से कम तलाक़ दीं तो तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती ये बात अक्सर अ़वाम के ज़हनो में पुख़्तगी के साथ पैवस्त है और फ़ेअ़ले तलाक़ में कसरत के साथ राइज हो चुकी है जिसकी इस्लाह (दुरस्तगी) करना मुश्किल तो है मगर ना मुम्किन नहीं है हालाँकि एक बार में तीन तलाक़ देना बिदअ़त व ह़राम और फ़ेअ़ले गुनाह और कुरान व सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक वक़्त में एक तलाक़ देना कोई माअ़ने नहीं रखता जब तक कि तीन इकट्ठी तलाक़े न दी जायें और लोग एक मजालिस की तीन तलाक़ों को जाइज़ समझते और उसी पर अ़मल करते और गुनाहगार होते हैं।

जबकि ह़क़ीक़त इसके बरअ़क्स है कि एक वक़्त में तीन तलाक़ देना गोया अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी और हुजूर (सल्ल0) के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है हालात कैसे भी हों एक वक़्त में हालते तुहर में जबकि उस तुहर में जिमाअ़ (हम बिस्तरी) न किया हो तो उस तुहर (पाकी) में एक तलाक़ देना कुरान व सुन्नत के मुवाफ़िक़ है ताािक कुरान व सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी भी न हो और ह़राम फ़ेअ़ल से इजतिनाब की सूरत में गुनाहगार होने से भी मह़फ़ूज़ रहा जा सके और बाअ़ज़ औक़ात ह़स्बे ज़रुरत राइजा फ़ेअ़ले ह़लाला जो कि एक शर्मनाक व लाअ़नती फ़ेअ़ल है इससे भी बचा जा सके

ज़रुरियाते दीन के दीगर शरअ़ई अह़काम के साथ—साथ इस वक़्त निहायत ज़रुरत इस बात की है कि तलाक़ से मुताअ़ल्लिक़ तमाम शरअ़ई अह़काम पर ज़ोरो तरजीह देते हुये लोगों तक पहुँचायें ताकि लोग कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ ह़स्बे ज़रुरत तलाक़ दें और इससे वाबस्ता शरअ़ई अह़काम और मसाइल पर अ़मल पैरा हों ताकि तीन इकट्ठी तलाक़ देने के सबब होने वाली तमाम मुश्किलात और दुश्वारियों से लोग निजात पाते हुये ह़क़े रुजूअ़ का इस्तेअ़माल कर सकें जो ह़क़ अल्लाह तआ़ला ने हमें अ़ता फ़रमाया है और अपनी बीवी को रजअ़त के ज़रिये फिर से अपनी ज़ोजियत में लेकर अपने अह्ल व अ़याल के साथ अपनी ज़िन्दगी को आबाद और खुशहाल कर सकें सुन्नत तरीक़े पर तलाक़ देने से यानी एक वक़्त में ह़ालते तुहर में जिसमें जिमाअ़ न किया हो एक तलाक़ देने की सूरत में मर्द को ह़क़े रुजूअ़ ह़ासिल रहता है और अगर मर्द चाहे तो इ़द्दत (तीन हैज़ या हैज़ न आने की सूरत में तीन महीने) के अन्दर बीवी को रजअ़त के ज़रिये अपनी ज़ोजियत में लेने का ह़क़ रखता है और अगर इ़द्दत गुज़र जाये और रुजूअ़ न हो सके तब भी बाअ़द इ़द्दत बीवी की रज़ामन्दी से जदीद (नये) निकाह़ के साथ शौहर अपनी बीवी को अपनी ज़ोजियत में ले सकता है और इन मज़कूरा सूरत में फेअ़ले ह़लाला भी ह़ाइल नहीं होगा।

फ़ेअ़ले ह़लाला जिस पर अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (सल्ल0) ने लाअ़नत फ़रमाई है जिसको सहाबा ज़िना शुमार करते थे हज़रत उ़मर (रज़ि0) फ़रमाते अगर मेरे पास ह़लाला करने वाला

और जिसके लिये ह़लाला किया जाये उन दोनों को लाया जाये तो मैं उन दोनों को रज्म करुँ (यानी संगसार करना, पत्थर मार कर हलाक करना) हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने ह़लाला करने वाले को उधार के साँड से ताबीर फ़रमाया तो वो किस क़िस्म का ह़लाला है जिसके मुताअ़ल्लिक़ अल्लाह व रसूल ने लाअ़नत फ़रमाई और सहाबा ने जिसे ज़िना शुमार किया और जिसकी मज़म्मत की गई तो ऐसे ह़लाले के मुतअ़ल्लिक़ हमने आगे सफ़ात पर मुस्तनद दलाइल के साथ बाबे ह़लाला रक़म किया है मज़ीद तलाक़ से वाबस्ता अह़काम व मसाइल और तीन इकट्ठी तलाक़ देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है इस मसले पर कुरान और अहादीस की रोशनी में तफ़सीली बहस रक़म की है अल्लाह तआ़ला हम तमाम मुसलमानों को अपने महबूब हुज़ूर नबी करीम (सल्ल0) के सदक़े व तुफ़ैल कुरानो सुन्नत पर अ़मल पैरा होने की तौफ़ीक़ मरह़म्त फ़रमाये। (आमीन)

नोट– इस किताब की तबाअ़त में अगर कोई लफ़्ज़ी ग़लती हो तो बराऐ करम मुत्तलाअ़ फ़रमायें।

डा0 आज़म बेग क़ादरी
Mob-09897626182

–: तलाक़ की अक़साम :–

1–तलाक़ रजई :–तलाक़ रजई वो तलाक़ है जिसमें दौराने इद्दत ख़ाविन्द रुजूअ़ कर सकता है ख़ाविन्द अपनी बीवी को ऐसे अय्याम में तलाक़ दे कि जिसमें मुबाशरत (हम बिस्तरी) न की हो और वो हालते तुहर (पाकी) में हो (यानी वो हैज़ से पाक होने के बाद के अय्याम में) सिर्फ़ एक तलाक़ दे (ये तरीक़ा कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ है) इस एक तलाक़ के बाद ख़ाविन्द इद्दत (तीन हैज़ या तीन महीने) के अन्दर बग़ैर किसी शर्त व बग़ैर बीवी की रज़ामन्दी के भी अपनी बीवी से रुजूअ़ कर सकता है तलाक़ रजई गोया एक मुअ़ल्लक़ तलाक़ है इद्दत के दौरान उसे वापस लिया जा सकता है लेकिन बाअ़द इद्दत यही तलाक़ बाइन हो जाती है फिर अ़ौरत की रज़ामन्दी से जदीद निकाह़ व महर से दोबारा अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में आ सकती है यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर ह़ालते हैज़ में एक तलाक़ दी हो तो वो तलाक़ रजई वाक़ैअ़ होगी हालाँकि ह़ालते हैज़ में तलाक़ देने की मुमानियत है।

2–तलाक़ बाइनः–तलाक़ बाइन वो तलाक़ है जिसमें ख़ाविन्द रुजूअ़ नहीं कर सकता अलब्बता इद्दत के दौरान या बाअ़द इद्दत बीवी की रज़ामन्दी से दोबारा निकाह़ कर सकता है मसलन निकाह़ के बाद रुख़सती से पहले या ख़ल्वते सह़ीह़ा (मुबाशरत) से पहले एक तलाक़ दे या बीवी की तरफ़ से माली मुआ़वज़ा लेकर उसे तलाक़ दे (यानी खुलअ़) या तलाक़ रजई के बाद इद्दत गुज़र जाये तो इन सब सूरतों में तलाक़ बाइन बाक़ैअ़ हो जाती है फ़स्ख़े निकाह़ भी तलाक़ बाइन के हुक्म में है।

3– तलाक़ मुग़ल्लिज़ा (बत्ता):– तलाक़ मुग़ल्लिज़ा वो तलाक़ है जिसमें न रुजूअ़ हो सकता है न दोबारा निकाह़ जाइज़ है गोया ये तलाक़ मियाँ बीवी के दरमियान क़तई तफ़रीक़ का बाइस बन जाती है ऐसी मुतल्लक़ा (तलाक़ पाई हुई) अ़ौरत किसी भी सूरत में अपने शौहर की ज़ोजियत में दाख़िल नहीं हो सकती जब तक कि ह़लाला शरअ़ई से न गुज़र जाये यानी फिर वो मुतल्लक़ा अ़ौरत किसी दूसरे

शख़्स के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने और आबाद रहने की नियत से निकाह़ करे फिर उससे मुबाशरत भी वाक़ैअ़ हो फिर इत्तफ़ाक़न किसी वजह से या बाहम निबाह न होने के सबब तलाक़ हो जाये या उसके शौहर की वफ़ात हो जाये तो इस सूरत में औ़रत अपने पहले ख़ाविन्द से निकाह़ कर सकती है और अगर निकाह़ में नियत ये हो कि दूसरे शख़्स से निकाह़ इसलिये करे ताकि मुबाशरत के बाअ़द वो पहले शौहर के लिये हलाल हो जाये (यानी ह़लाला की शर्त को पूरा करने के बाअ़द) वो पहले शौहर के लिये ह़लाल हो जायेगी और फिर दूसरे शौहर के तलाक़ देने के बाअ़द वो पहले शौहर से निकाह़ करके उसकी ज़ोजियत में दाख़िल हो जायेगी तो ऐसी नियत से निकाह़ करना नाजाइज़ है और ऐसा निकाह़ बातिल है और ऐसा ह़लाला क़ाबिले मज़म्मत व लाअ़नत और ताज़ीर का मुस्तहि़क़ और ख़ालिस ज़िना है

-: तलाक़ की मुख़्तलिफ़ सूरतें :-

1–तलाक़े अहसनः– ख़ाविन्द अपनी बीवी को ह़ालते तुहर में जिसमें जिमाअ़ (हम बिस्तरी) न किया हो एक तलाक़ दे फिर उसे छोड़ दे ह़त्ता कि उसकी इ़द्दत मुक़म्मल हो जाये या फिर इ़द्दत गुज़रने से पहले रुजूअ़ कर ले।

2–तलाक़े हसनः– ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें जिमाअ़ न किया हो फिर दूसरे तुहर में दूसरी तलाक़ दे और फिर तीसरे तुहर में वो तीसरी तलाक़ दे।

3–तलाक़े बिदअ़तः– एक ही लफ़्ज़ से या फिर एक ही जुमले में मुतअ़द्दत (चन्द, बहुत, कई) तलाक़ें दे या फिर मुख़्तलिफ़ जुमले इस्तिअ़माल करके मुतअ़द्दत तलाक़ें दे या वो ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें मुबाशरत की हो या ह़ालते हैज़ या निफ़ास में तलाक़ दे या तीन तलाक़ें एक ही तुहर में अलग–अलग वक़्तों में दे।

4–तलाक़े रजईः– पहली मरतबा और दूसरी मरतबा तलाक़ रजई होती है यानी उनमें दौराने इ़द्दत ख़ाविन्द को रुजूअ़ करने का हक़ ह़ासिल रहता है।

5–तलाक़े बाइनः– (A) सुग़रा :– यानी एक तलाक़ देने के बाअ़द ख़ामोश रहे यहाँ तक कि इ़द्दत पूरी हो जाये अब औ़रत बाइना हो गई अब वो जिससे चाहे निकाह़ कर सकती है और पहला ख़ाविन्द भी उसकी रज़ामन्दी व इजाज़त से निकाह़ कर सकता है इस सूरत में निकाह़ इ़द्दत के बाअ़द नये अ़क़्द व नये महर से हो सकता है

(B) कुबराः– मुख़्तलिफ़ औ़क़ात में या मुताफ़र्रिक़ मजलिस में (यानी अलग–अलग वक़्तों में) तीन तलाक़ें पूरी कर दे ह़त्ता कि ख़ाविन्द को रुजूअ़ का ह़क़ बाक़ी न रहे ऐसी सूरत में वो औ़रत किसी और शख़्स से बाक़ायदा आबाद रहने की नियत से निकाह़ करे और फिर इत्तफ़ाक़न किसी वजह से तलाक़ हो जाये या ख़ाविन्द की वफ़ात

हो जाये और वो औ़रत वहाँ से फ़ारिग़ हो जाये तो वो पहले शौहर से निकाह़ कर सकती है।

6—तलाक़ सरीह़ :— वाज़ेह़ और साफ़ अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना।

7—तलाक़ किनाया:— यानी इशारतन ऐसे अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना जो तलाक़ और ग़ैर तलाक़ दोनों के माअ़नी के मुहतमल हो यानी ऐसे अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना कि जिसमें इहतिमाल (शक व वहम) पाया जाये कि तलाक़ दी या नहीं दी मसलन अगर कोई शख़्स ये कहे कि मैंने तुझे छोड़ दिया या कहे तू अपने घर वालों के साथ मिलकर रह या तू अपने घर वालों में मिल जा या अपने घर चली जा तो ऐसी सूरत में ख़ाविन्द की नियत का ऐतवार किया जायेगा अगर कोई शख़्स अपनी बीवी को किसी ऐसी ख़ातून से तशबिया दे जिससे हमेशा निकाह़ ह़राम है मसलन अगर कहे कि तू मेरे लिये मेरी माँ या बहन के जैसी है तो इस जुमले में नियत तलाक़ है तो तलाक़ बाइन वाक़ैअ़ होगी और अगर नियत तलाक़ नहीं तो फिर ये ज़िहार के हुक्म में है यानी एक गुलाम आज़ाद करने का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा जब तक कफ़्फ़ारा अदा नहीं करेगा तब तक वो अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता।

8—तलाक़ मुअ़ल्लक़:— किसी क़ौल और फ़ेअ़ल के साथ मशरुत (किसी शर्त पर मौक़ूफ़) करके तलाक़ देना मसलन अगर तू फुलाँ के घर गई या तूने फुलाँ काम किया या फुलाँ वक़्त जब आये तब तुझे तलाक़।

9—तलाक़ बत्ता:— काट देने वाली या जुदा कर देने वाली यानी तीसरी तलाक़।

ह़लाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि0 से मरवी है कि नबी करीम (सल्ल0) ने इरशाद फ़रमाया– ह़लाल किये गये कामों में अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा ना पसंदीदा (चीज़) तलाक़ है।
(इब्ने माजा–सुनन–2/80–ह०-2018)
(अबू दाऊद–सुनन–2/663–ह०-2177)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–2/234–ह०-2853)

–: एक मजलिस की तीन तलाक़ें :–

यक बारगी या एक जुमले या मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ों या एक मजलिस में तीन तलाक़ें देना बिदअ़त व ह़राम हैं और अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी और हुजूर (सल्ल0) के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है नबी करीम (सल्ल0) के ज़माना मुबारक और ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त और ह़ज़रत उ़मर फ़ारुक़ (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त के इब्तिदाई दो या तीन साल तक एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक ही शुमार करते हुये एक की जानिब लौटाते हुये फ़ैसला दिया जाता था यानी एक मजलिस की इकट्ठी तीन तलाकों को एक ही तसलीम किया जाता था और एक मजलिस में दी हुई तीन तलाक़ें एक ही वाक़ैअ़ होना क़रार पाती थीं और अक्सर इस सूरत में ख़ाविन्द और बीवी के दरमियान रुजूअ़ हो जाता था क्योंकि एक तलाक़ रजई की सूरत में मर्द को ह़क़े रुजूअ़ ह़ासिल रहता है जिसके तहत वो अपनी बीवी से रुजूअ़ कर लेता था।

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के इब्तिदाई दो या तीन साल तक के दौरे ख़िलाफ़त में यही तरीक़ा राइज था यानी एक वक़्त की तीन तलाक़ों को एक ही वाक़ैअ़ होना क़रार देते हुये फ़ैसला किया जाता था अलबत्ता ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त में जब लोग कसरत से एक वक़्त में तीन तलाक़ें देने लगे यानी अल्लाह तआ़ला

की नाफ़रमानी और हुज़ूर (सल्ल0) के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने लगे तो हज़रत उ़मर फ़ारुक़ (रज़ि0) के ज़हन में ये बात आई कि जिसमें अल्लाह तआ़ला ने लोगों के लिये सहूलियत व मुहलत और आसानी फ़रमाई थी कि तीन तुहरों में तलाक़ देते कि इसमें रुजूअ़ की गुंजाइश थी कि अल्लाह तआ़ला शौहर और बीवी के दरमियान रुजूअ़ की कोई सूरत पैदा करदे मगर लोगों ने कुरान व सुन्नत की नाफ़रमानी की और ख़िलाफ़े शरअ़ एक ही वक़्त में तीन इकट्ठी तलाक़ें देना शुरू कर दिया

यानी जब एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें देने की कसरत हो गई तो हज़रत उ़मर (रज़ि0) ने इस मसले पर इजतिहाद किया और उन्होंने अपने इ़ल्मी व फ़न्नी क़ियास के एतवार से ये ख़्याल किया कि अगर हम एक मजलिस की तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ होने का लोगों पर हुक्म नाफ़िज़ कर दें तो मुम्किन है कि लोग कुरान व सुन्नत के मुवाफ़िक़ तलाक़ देना शुरू कर दें और उनके लिये बतौर ये ताज़ीर (सज़ा) भी होगी जो लोग यकबारगी तीन तलाक़ें देते हैं तो उनके रुजूअ़ की सूरत साक़ित हो जायेगी और वो रुजूअ़ से महरूम हो जायेंगे क्योंकि जब एक ही वक़्त की तीन तलाक़ें तीन ही शुमार की जायेंगी तो ज़ाहिर है ख़ाविन्द व बीवी बाहम रुजूअ़ न कर सकेंगे और औ़रत बग़ैर ह़लाला फिर से अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में दाख़िल न हो सकेगी इस तरह की सूरते हाल और कैफ़ियात से लोग डर जायेंगे और वो ह़क़े रुजूअ़ साक़ित होने और फ़ेअ़ले ह़लाला ह़ाइल होने की वजह से लोग इस ताज़ीर से बचने के लिये कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ एक वक़्त में एक ही तलाक़ देने लगेंगे और इस बिद्अ़त व ह़राम फ़ेअ़ल से लोग इजतिनाब करने लगेंगे और एक वक़्त में एक ही तलाक़ देंगे

हज़रत उ़मर (रज़ि0) का ये फ़ैसला कुरानो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि कुरानो सुन्नत के मुवाफ़िक़ शरई बुनियाद पर था क्योंकि हज़रत उ़मर (रज़ि0) से कुरानो सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला सादिर होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता और ये कानून उन लोगों के लिये वक़्ती तौर पर था जो एक बार में तीन तलाक़ें देते थे उन्हें ताज़ीर (सज़ा) देने के लिये आपका ये फ़ैसला

इजतिहादी, ताज़ीरी व सियासी और शरअ़ई था न ख़िलाफ़े सुन्नत और आपके तलाक़ सलासा (तीन तलाक़) का कानून नाफ़िज़ करने का मक़सद सिर्फ़ लोगों की इस्लाह करना था ताकि लोग तलाक़ के मुआ़मले में खूब अच्छी तरह ग़ौर व फ़िक्र करते हुये तलाक़ दें क्योंकि एक वक़्त की तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ होना क़रार देने का कानून नाफ़िज़ होने के बाद किसी को भी रुजूअ़ का मौक़ा नहीं मिलेगा और उसका ह़क़े रुजूअ़ भी साक़ित हो जायेगा और ख़लीफ़ा—ए—वक़्त को ये ह़क़ और इख़्तियार होता है कि वक़्त और ह़ालात के तक़ाज़े को देखते हुये लोगों को कुरान व सुन्नत की तरफ़ रग़बत दिलाने और कुरान व सुन्नत की जानिब माइल करने के लिये कोई भी नया कानून नाफ़िज़ कर सकता है आपके इस इजतिहादी, ताज़ीरी व सियासी इक़दाम के सबब बहुत लोगों की इस्लाह हो गई थी और फिर बाअ़द में मुजतहदीन ने इस वक़्ती व तक़ाज़ी और ताज़ीरी कानून को शरअ़ई कानून शक़्ल दे दी।

-: तीन तलाक़ का शरअ़ई हल :-

तत्लीक़ सलासा (तीन तलाक़) के मसले पर आइम्मा व उ़ल्मा ह़ज़रात का इख़्तिलाफ़ है हालाँकि यकबारगी तीन तलाक़ देने पर तीन ही वाक़ैअ़ होंगी इस तरफ़ अक्सरियत पाई जाती है और हमारे इमाम आज़म अबू ह़नीफ़ा (रह़0) का मौक़िफ़ यही है क्योंकि आपने ह़ज़रत उ़मर फ़ारुक़ रज़ि0 की तक़लीद करते हुये तीन इकट्ठी दी हुई तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ होना तसलीम किया है इस लिहाज़ से इमाम आज़म अबू ह़नीफ़ा ने इस मसले को फ़िक़ई व शरअ़ई शक्ल देदी हालांकि फ़िक़ई मसाइल में इमाम आज़म अबू ह़नीफ़ा से भी ग़लतियाँ हुईं हैं आख़िर वो भी इन्सान थे जैसा कि इमाम इब्ने अबी शैबा (रह़0) ने इमाम आज़म अबू ह़नीफ़ा के सैंकड़ों मसाइल की तरदीद अहादीस की रौशनी में की है और इमाम अबू ह़नीफ़ा का क़ौल है कि जब कोई बात तुम्हें कुरानो सुन्नत में मिल जाये तो तुम उसी पर अ़मल करना वो ही मेरा मज़हब है और साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं राक़िम खुद सुन्नी ह़नफ़ी हूँ हालांकि मुजतहदीन के तमाम फ़िक़ई व शरअ़ई मसाइल कुरानो सुन्नत व सहाबाकिराम और इल्मी व फ़न्नी क़ियास से माख़ूज़ हैं।

मगर वक़्त और ह़ालात के तक़ाज़े को मद्दे नज़र रखते हुये उ़ल्मा ह़ज़रात को इस मसले पर ग़ौरो फ़िक्र करते हुये ऐसा फ़ैसला लेने की निहायत ज़रुरत है जैसा कि फ़ैसला ह़ज़रत उ़मर ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में वक़्त के तक़ाज़े को देखते हुये लिया था ताकि लोग कुरानो सुन्नत की तरफ़ रुजूअ़ करें और कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ ह़स्बे ज़रुरत तलाक़ देने की लोगों में रग़बत पैदा हो और ह़लाला राइजा जो कि एक गुनाह व लअ़नती फ़ेअल़ है इससे लोग मह़फूज़ रहें और लोगों के घर बर्बाद होने के बजाय आबाद हों और हमारे दीन इस्लाम का भी यही पैग़ाम है कि फ़रीक़ैन को मिलाने की हर कोशिश की जाये न कि उन्हें जुदा करने की, फ़रीक़ैन को मिलाना हर सूरत सबाबे दारैन है बशर्ते दायरे शरीअ़त में हो अगर कुरान व सुन्नत की रौशनी में अगर तीन इकट्ठी तलाक़ को एक तसलीम करते हुये एक शरई कानून नाफ़िज़ कर दिया जाये तो ये हर सूरत हर लिहाज़ से लोगों के ह़क़ में बेहतर साबित होगा व लोगों के घर

बर्बाद होने की बजाय आबाद होंगे व उनकी औलादें मुन्तशिर होने की बजाए अपने वालिदैन के साथ अच्छी ताअ़लीम व तरबियत के साथ एक अच्छी व खुशहाल ज़िन्दगी बसर करेंगे और तीन इकट्ठी तलाक़ के बाद दरपेश आने वाली तमाम मुश्किलात व परेशानियों के ह़ल में उन्हें सहूलियत व आसानी होगी और तमाम मुश्किलात व परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी।

पस सबसे पहले ज़रुरत इस बात की है कि लोगों को सुन्नत तरीक़े पर तलाक़ देने पर मुत्तलाअ़ करने के लिये तमाम ज़रुरी उ़लूम उन तक पहुँचाये जायें मज़ीद तक़ारीर, ख़िताबात, बाअ़ज़ व कुतुब व दीगर ज़राए से उनको मसला–ए–तलाक़ पर कुरान और सुन्नत की तरफ़ राग़िब किया जाये ताकि लोग ह़स्बे ज़रुरत ह़ालते तुहर में जिसमें जिमाअ़ न किया गया हो यानी सुन्नत तरीक़े पर एक वक़्त में एक तलाक़ दें ताकि उन्हें ह़क़े रुजूअ़ हासिल रहे और तीन तलाक़ देने से लोग बाज़ आ जायें।

इरशादे बारी तअ़ाला हैः–

ऐ नबी (मुसलमानों से फ़रमा दें) जब तुम औ़रतों को तलाक़ देना चाहो तो उनके तुहर के ज़माने में उन्हें तलाक़ दो।
(सूरह–तलाक़–65/01)

तत्लीक़ सलासा मसले पर दो जमाअ़तों में इख़्तिलाफ़ है लेकिन दोनों ह़क़ पर हैं जिस तरह हमारे चार इमाम हैं और चारों इमाम ह़क़ पर हैं हालांकि बेशुमार फ़िक़ई मसाइल में उनमें बाहम इख़्तिलाफ़ है बिल्कुल इसी तरह तत्लीक़ सलासा के मसले पर भी उ़ल्माए–किराम में इख़्तिलाफ़ है एक जमाअ़त ऐसी है जो कहती है कि एक वक़्त की दी हुई तीन तलाक़ें तीन ही वाक़ैअ़ होंगी और वो कुरान व सुन्नत और सहाबा किराम के क़ौलो फ़ेअ़ल की सनद के साथ इस्तिदलाल करते हैं और दूसरी जमाअ़त कहती है कि एक वक़्त की दी हुई तीन तलाक़ें एक ही वाक़ैअ़ होगी और ये जमाअ़त भी कुरान व अहादीस और सहाबा के क़ौल व फ़ेअ़ल के साथ ही इस्तिदलाल करते हैं हालाँकि इस ऐतवार से दोनों फ़रीक़ैन ह़क़ पर हैं जैसा कि हदीस पाक में है ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) से रिवायत है–

सरकारे दो आ़लम (सल्ल0) ने फ़रमाया कि मैंने अपने रब से अपने सहाबा के इख़्तिलाफ़ के मुताअ़ल्लिक़ सुवाल किया जो मेरे बाअ़द होगा तो मेरी तरफ़ वही हुई ऐ मुहम्मद (सल्ल0) तुम्हारे असह़ाब मेरे नज़दीक आसमान के सितारों की तरह हैं और बाअ़ज़ बाअ़ज़ पर क़वी हैं लेकिन सब नूरानी हैं जिसने इनमें से किसी के भी मौक़िफ़ को इख़्तियार किया वो मेरे नज़दीक हिदायत पर है रावी का बयान है कि हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिन्द हैं तुम उनमें से किसी की भी पैर'वी करोगे हिदायत ही पाओगे। (मिश्कात-बाब मनाक़िबे सहाबा-3/506-ह०-6018)

अब इन दोनों जमाअ़तों के मौक़िफ़ पर ग़ौर करो कि तत्लीक़ सलासा के मसले पर दोनों ह़क़ पर हैं मगर उन दोनो में से कौन सबसे बेहतर और अ़वाम के ह़क़ में फ़ायदेमंद है तो ज़ाहिर है कि जो ये कहते है कि एक वक़्त की तीन तलाक़ एक ही वाक़ैअ़ होगी ये मौक़िफ़ और मसलक सबसे बेहतर है क्योंकि तीन तलाक़ों को एक शुमार करने की सूरत में ख़ाविन्द और बीवी के दरमियान रुजूअ़ की कसरत बढ़ेगी और इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा और उनमें जुदाई व अ़लैह़दगी की सूरत न के बराबर रह जायेगी व उनके घर बर्बाद होने की बजाए आबाद होंगे और उनकी औलादें दर दर की न होंगी और लोगों में कुरान व सुन्नत के मुताबिक़ यानी एक वक़्त में एक ही तलाक़ देने की तरफ़ रग़बत बढ़ेगी क्योंकि जब एक बार में इकट्ठी दी हुई तीन तलाक़ों का एक ही वाक़ैअ़ होना क़रार दिया जाने लगेगा तो लोगों के ज़हन में ये बात अच्छी तरह बैठ जायेगी कि एक वक़्त में एक तलाक़ दो या तीन तलाक़ें दो तसलीम तो एक ही की जाती है जो कुरानो सुन्नत के मुवाफ़िक़ है तो फिर तीन तलाक़ें क्यों दी जायें और बाअ़द तलाक़ दरपेश आने वाली तमाम मुश्किलात व परेशानियों से लोग निजात हासिल करेंगे।

जब एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक शुमार करने का शरअ़ई कानून होगा फिर अगर कोई जहालत या लाइ़ल्मी के सबब यकबारगी तीन तलाक़ें देगा तो इस सूरत में उसकी दी हुई तीन तलाक़ें एक ही शुमार की जायेगी जो तलाक़ रजई होगी और इस शरअ़ई कानून से अवाम को कसीर फ़वाइद हासिल होंगे।

पहला फ़ाइदा :—कि लोगों के ज़हन में ये बात अच्छी तरह से बैठ जायेगी कि इस नये शरअ़ई कानून के तहत एक वक़्त की तीन तलाक़ों को एक ही क़रार दिया जाता है यानी शरीअ़ते मुताह्रा ने हमें एक वक़्त में एक ही तलाक़ देने का हुक्म दिया है इसलिये तीन तलाक़ को एक की जानिब लौटा दिया जाता है एक वक़्त में एक ही तलाक़ देना कुरानो सुन्नत के मुवाफ़िक़ व हुक्मे शरीअ़त है

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

तलाक़ (रजई) दो दफ़ा है या तो फिर अच्छे तरीक़े से रोक लेना है या फिर शायस्तगी (अच्छे सुलूक व भलाई) के साथ छोड़ देना है। (सूरह–बक़राह–2/229)

अलबत्ता अक्सर अ़वाम तो यही समझती है कि तलाक़ तो तीन देने से ही वाक़ैअ़ होती है अगर एक तलाक़ दी तो होगी ही नहीं यानी अ़वाम की नज़र में एक तलाक़ कोई माअ़ने नहीं रखती इस लाइ़ल्मी की वजह से अक्सर लोग तीन इकट्ठी तलाक़ें देते हैं लेकिन जब इस तरह लोग अह़कामे शरीअ़त व सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ (रजई) यानी एक वक़्त में एक तलाक़ देने की तरफ़ माइल होंगे तो ज़ाहिर है धीरे धीरे यही सुन्नत तरीक़ा अ़वाम में राइज हो जायेगा तो सबसे पहले हमें ज़रुरत इस बात की है कि हम लोगों के ज़हनों से इस बात को निकालें कि एक तलाक़ देने से तलाक़ नहीं होती और तलाक़ से वाबस्ता तमाम उ़लूम व मसाइल उन तक पहुँचायें और उन्हें समझायें कि जब एक तलाक़ देने से भी तलाक़ हो जाती है जो कि सुन्नत तरीक़ा है तो फिर तीन तलाक़ें क्यों दी जायें जो कि ह़राम हैं और एक तलाक़ के बाअ़द भी औ़रत बाअ़द इ़द्दत अपने ख़ाविन्द से बाइना (जुदा) हो जाती है।

दूसरा फ़ाइदा :— एक मजलिस की तीन तलाक़ों को अगर एक शुमार किया जाये तो वो तलाक़ रजई होगी जिसकी इ़द्दत तीन ह़ैज़ (ह़ैज़ न आने की सूरत में तीन महीना) होगी व दौराने इ़द्दत शौहर को ह़क़े रुजूअ़ ह़ासिल रहता है अगर ख़ाविन्द चाहे तो अपनी बीवी को बग़ैर उसकी रज़ामन्दी के रुजूअ़ करके फिर से वो अपनी ज़ोजियत में लेने का ह़क़ रखता है ।

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और इस मुद्दत के अन्दर उनके शौहरों को उन्हें फिर से अपनी ज़ोजियत में लेने का पूरा ह़क़ है। (सूरह–बक़राह–02/228)
दौराने इ़द्दत (यानी तीन हैज़ या तीन महीने में) रुजूअ़ की मज़ीद सूरतें हैं।

पहली सूरत :– ख़ाविन्द व बीवी के दरमियान रुजूअ़ होने व रिश्ता ज़ोजियत बरक़रार रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है क्योंकि ख़ाविन्द और बीवी कुछ या ज़्यादा वक़्त एक साथ गुज़ारते हैं और दोनों के दिलों में थोड़ी या फिर ज़्यादा मुहब्बत एक दूसरे के लिये ज़रुर होती है और यही मुहब्बत उन्हें फिर से एक करने के लिये मजबूर करती है बाअ़ज़ औक़ात अगर उनकी औलाद हो तो औलाद की मुहब्बत मियाँ बीवी को फिर से मिलाने के लिये मजबूर करती है और ख़ाविन्द इस सबब से अपनी बीवी से रुजूअ़ कर लेता है।

दूसरी सूरत :– दौराने इ़द्दत अल्लाह तबारक व तआ़ला उन दोनों यानी ख़ाविन्द और बीवी के दरमियान इत्तेहाद की कोई सूरत पैदा फ़रमां दे और औ़रत फिर से अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में आ जाये यानी अल्लाह तआ़ला बीवी व शौहर के दिलों में फिर से एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारने और आबाद रहने की रग़बत पैदा फ़रमां दे और ख़ाविन्द रुजूअ़ करके अपनी बीवी को फिर से अपनी ज़ोजियत में ले ले और उनका घर फिर से आबाद व खुशहाल हो जाये।

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
अल्लाह उसके तलाक़ देने के बाद रुजूअ़ की कोई नई सूरत पैदा फ़रमां दे। (सूरह–तलाक़–65/01)

तीसरी सूरत :– बसा औक़ात तलाक़ की वजह गुस्सा व नाराज़गी होती है और हर चीज़ की एक हद मुअ़य्यन होती है पस गुस्से की भी एक ह़द होती है और वक़्त व ह़ालात के साथ साथ गुस्सा व नाराज़गी में तकफ़ीफ़ (कमी) हो जाती है और गुस्सा धीरे धीरे अपने इख़्तिताम की तरफ़ बढ़ते हुये एक वक़्त ऐसा आता है कि गुस्सा–

मुत्लक़न ख़त्म हो जाता है फिर उन्हें अपने किये पर पछताबा होता है और वो अपने किये पर नादिम (शर्मिन्दा) होते हैं और ख़ाविन्द फिर रुजूअ़ करके अपनी बीवी को फिर से अपनी ज़ोजियत में लेना चाहता है मगर शर्ते ह़लाला उन्हें ऐसा करने से रोक देता है अगर तीन इकट्ठी दी हुई तलाक़ों को एक क़रार देते हुये फ़ैसला किया जाने लगे जो कि कुरान व सुन्नत से साबित भी है तो एक वक़्त की तीन तलाक़ों के बाअद भी ह़लाला शरई ह़ाइल न होगा और ख़ाविन्द व बीवी की रजअ़त के दरमियान ह़लाला व ह़लाला जैसी कोई दीवार न होगी और ख़ाविन्द अपनी बीवी को बाअ़द रजअ़त अपनी ज़ोजियत मे ले सकता है और ख़ाविन्द व बीवी दोनों अपनी ज़िन्दगी को खुशियों व मसर्रतों के साथ आबाद कर सकते हैं।

चौथी सूरत :— बाअ़द तलाक़ जब ये ख़बर घर से बाहर मर्द के घर वाले और रिश्तेदार और अ़ज़ीज़ो अक़ारिब और अ़ौरत के घर वाले और रिश्तेदार तक पहुँचती है तो बाअ़द तलाक़ अक्सर लोग यही चाहते हैं कि उन (मियाँ—बीवी) का घर किसी तरह आबाद हो जाये और शरीअ़त में रुजूअ़ की कोई सूरत तलाश करते हैं और बाअ़ज़ औक़ात तो खुद ख़ाविन्द और बीवी भी जब उनकी नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म हो जाता है या मियाँ बीवी को जब ये ख़्याल आता है कि हमारे बच्चों की ज़िन्दगी ख़राब और दुश्वार हो जायेगी तो इस तरह उनके अन्दर भी सुलह की ख़्वाहिश पैदा होती है लेकिन जब उ़ल्मा ह़ज़रात से इस मसले के बाबत दरयाफ़्त किया जाता है तो उनके पास सिर्फ़ एक ही जवाब होता है कि तीन इकट्ठी तलाक़ देने पर तीन ही वाक़ैअ़ होंगी और अब बग़ैर ह़लाला शरई के अ़ौरत अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में नहीं आ सकती और उनकी जुदाई का फ़रमान जारी कर दिया जाता है।

और बाअ़ज़ लोग तो अपनी बीवी को ह़लाला से गुज़ारने के बाअ़द फिर से निकाह़ करके अपनी ज़ोजियत में ले लेते है हालाँकि राइजा ह़लाला ग़ैर शरई बुनियादों पर मुश्तमिल है कि जिस पर अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल ने लाअ़नत फ़रमाई है और अक्सर लोग ख़ाविन्द व बीवी में सुलह और रुजूअ़ के दरमियान ह़लाला की वजह से जुदा हो जाते है और फिर उनमें बाहम रुजूअ़ नहीं हो पाता

और उनका खुशहाल व आबाद घर उजड़ जाता है अक्सर देखने को मिलता है कि तलाक़ के बाद या तो मियाँ–बीवी खुद चाहते हैं कि रुजूअ़ की कोई सूरत पैदा हो ताकि हमारे दरमियान जुदाई न हो और हम मियाँ–बीवी पहले की तरह आबाद होकर एक खुशहाल ज़िन्दगी गुज़ारें अगर किसी वजह से शौहर व बीवी या सिर्फ़ शौहर या बीवी यानी दोनों में से कोई एक सुलह की ख़्वाहिश न रखता हो तो ऐसी सूरत में मर्द या औ़रत के घर वाले अ़ज़ीज़ अक़ारिब उन दोनो मियाँ बीवी को समझाते और सुलह की तर्ग़ीब देते और उनकी कोशिश के नतीजे में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह की रग़बत पैदा होती है और मर्द रुजूअ़ करके हर सूरत अपनी बीवी को अपनी ज़ोजियत में लेना चाहता है मगर फिर वही शर्ते ह़लाला उन्हें ऐसा करने से रोक देता है अगर एक मजलिस की तीन तलाक़ को एक तसलीम करने का शरअ़ई कानून बना दिया जाये तो ये पेचीदा मसला बड़ी आसानी से ह़ल हो जायेगा इसके अ़लावा रुजूअ़ की मुख़्तलिफ़ मज़ीद सूरतें हैं जिनके बाइस रुजूअ़ की तरफ़ लोग माइल होंगे और उनमें रजअ़त की तरफ़ रग़बत बढ़ेगी और ख़ाविन्द फिर से अपनी बीवी को रुजूअ़ करके अपनी ज़ोजियत में ले लेगा।

तीसरा फ़ायदा :–कुरान व अह़ादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि एक वक़्त में एक तलाक़ दी जाये फिर अगर कोई जहालत या बेइ़ल्मी के सबब एक वक़्त में तीन तलाक़े दे दे तो उसे एक की जानिब लौटाया जाये जैसा कि हुजूर (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक व अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त व ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के इब्तिदाई दो या तीन साल के दौरे ख़िलाफ़त में ऐसा अम्र था कि अगर कोई शख़्स यक बारगी तीन तलाक़े दे देता तो एक ही तसलीम की जाती थी और उसे रुजुअ़ करने की तरग़ीब दी जाती थी इसी तरह अगर ये कानून शरई कानून की ह़ैसियत से नाफ़िज़ कर दिया जाये तो बाद तलाक़ रुजुअ़ करने वालो की कसरत होगी और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई व लअ़नती फ़ेअ़ल हलाला में कमी होगी और जहाँ तक मेरा विजदान और क़ियास कहता है कि 99 फ़ीसद तलाक़ों की शक्ल रुजूअ़ में तब्दील हो जायेगी और मियाँ बीवी के दरमियान रुजूअ़ हो जायेगा।

चौथा फ़ायदा :– कि एक वक़्त की तीन तलाक़ को एक की जानिब लौटाना (यानी एक शुमार करना) अगर ये कानून शरई कानून की शक़्ल में नाफ़िज़ कर दिया जाये तो राइजा ह़लाला ग़ैर शरअ़ई जो कि एक नापसंदीदा व लाअ़नती फ़ेअ़ल है इससे लोगों को आज़ादी व राहत और निजात मिल जायेगी और रुजूअ़ के दरमियान ह़लाले की दीवार न होगी जो मियाँ बीवी के सुलह और रुजूअ़ में रोक बन सके जबकि जैसा ह़लाला आजकल राइज है वो मुत्लक़न ग़ैर शरई और नाजाइज़ है कि उस ह़लाले में नियत ये होती है कि मैं फुलाँ औ़रत से इस वजह से निकाह़ कर रहा हूँ कि मुबाशरत के बाअ़द उसको तलाक़ दे दूँगा ताकि ये पहले ख़ाविन्द के लिये ह़लाल हो जाये और ऐसी नियत से निकाह़ बातिल व नाजाइज़ है।

इसके अ़लावा यह एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है इसके असरात ताउ़म्र मर्द व औ़रत के दरमियान ह़ाइल होते और ज़िन्दगी भर तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनके ख़्वाबो व ख़्यालो में इसकी तकलीफ़ और शर्मसारी की गूँज वक़्तन फ़वक़्तन सुनाई देती है और उनके ज़हनों में ये ख़्याल हमेशा तकलीफ़ पहुँचाता है कि मेरी बीबी फुलाँ मर्द के साथ एक दिन या कुछ दिन रात रही है और इस दरमियान मुबाशरत भी हुई है और इसी तरह के ख़्यालात बीबी के दिल में भी आते हैं जिसके बाइस वो इस तकलीफ़ और शर्मसारी को ता–उ़म्र अपने ज़हनों व दिलों से नहीं निकाल पाते अगर तीन तलाक़ पर कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ जदीद शरअ़ई कानून जारी कर दिया जाये जिसमें एक वक़्त की तीन तलाक़ों को एक शुमार किया जाये तो ये मसला खुद व खुद ह़ल हो जायेगा और लोग ज़िन्दगी भर की तकलीफ़ व शर्मसारी से निजात पा जायेगें।

पाँचवां फ़ायदा :– **अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है–**
तलाक़ याफ़्ता औ़रतें अपने आपको तीन ह़ैज़ तक रोके रखें। (सूरह–बक़राह–2/228)

दूसरे मक़ाम पर अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है–
तुम उन मुतल्लक़ा (तलाक़ याफ़्ता) औ़रतों को वही रखो जहाँ तुम रहते हो। (सूरह–तलाक़–65/05)

मज़कूरा आयते करीमा का मफ़हूम इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह तआ़ला की मन्शा यही है कि जो मर्द औ़रत एक बार रिश्ता–ए–ज़ोजियत में दाख़िल हों जायें तो फिर उनमें जुदाई न हो और अल्लाह तआ़ला का हुक्म कि तलाक़ याफ़्ता औ़रते अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें यानी तीन महीने की मुहलत और सहूलियत अल्लाह तआ़ला ने इसलिए दी है ताकि तीन महीने में मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह तआ़ला रुजूअ़ की कोई सूरत पैदा फ़रमादे दे क्योंकि दौराने इ़द्दत ख़ाविन्द रुजूअ़ का ह़क़ रखता है और रुजूअ़ के लिये औ़रत की रज़ामन्दी की भी ज़रुरत नहीं होती।

और दूसरी आयत में अल्लाह तआ़ला ने हुक्म फ़रमाया कि तुम उन मुतल्लक़ा (तलाक़ याफ़्ता) औंरतों को वहीं रखो (यानी दौराने इ़दद्त) जहाँ तुम रहते हो इसमें ह़िकमते इलाही ये है कि अल्लाह तआ़ला चाहता है कि दौराने इ़दद्त (तीन माह) मियाँ बीवी एक ही घर में रहें ताकि उनकी बाहमी मुहब्बत में इज़ाफ़ा और एक दूसरे के लिये रग़बत पैदा हो और उनमें किसी भी बात को लेकर गुस्सा व नाराज़गी हो तो वो धीरे–धीरे ख़त्म हो जाये और उनमें सुलह का रास्ता खुल जाये और असबाब व हालात उन्हें मुत्तहिद होने पर मजबूर कर दें और इस दरमियान उनमें किसी तरह रुजूअ़ हो जाये।

तो वाज़ेह हुआ कि अल्लाह तआ़ला की मन्शा यही है कि एक बार जो रिश्ता ज़ोजियत क़ायम हो जाये उनमें कभी जुदाई न हो तो अल्लाह तआ़ला की मन्शा को हम क़ायम तभी रख सकते हैं कि या तो सुन्नत तरीक़े से एक वक़्त में एक तलाक़ दें फिर अगर कोई यकबारगी तीन तलाक़ें दे दे तो उसे कुरान और अहादीस के मुताबिक़ एक तलाक़ रजई शुमार करें और उसे रुजूअ़ के तरफ़ राग़िब करें ताकि अल्लाह तआ़ला की जो मन्शा है उसकी तकमील हो जाये और जो अल्लाह तआ़ला की मन्शा में हो वही काम हर शख़्स के लिये बेहतर व ख़ैर और फ़ायदेमन्द होता है।

छठा फ़ायदा :— बाअ़द तलाक़ दौराने इ़द्दत मियाँ—बीवी से किसी वजह से रुजूअ़ न कर सके और तीन हैज़ (तीन महीने) गुज़र जायें तो बाद इ़द्दत ख़ाविन्द अपनी बीवी की रज़ामन्दी से जदीद (नये)

अक़्दे निकाह़ के ज़रिये फिर से अपनी बीवी को अपनी ज़ोजियत में ले सकता है और मियाँ बीवी बाहम अपनी ज़िन्दगी को फिर से आबाद कर सकते हैं यानी हर सूरत तीन इकट्ठी तलाक़ को एक रजई तलाक़ क़रार देना हर हाल में बेहतर और नफ़ा बख़्श है।

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है—

और जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो और वो अपनी इ़द्दत को आ पहुँचे तो जब वो शरअ़ई दस्तूर के मुताबिक़ बाहम रज़ामन्द हो जाये तो उन्हें अपने (पुराने या नये) शौहरों से निकाह़ करने से मत रोको (सूरह–बक़राह–2/232)

-: क़ुरान में तलाक़ का हुक्म :-

अत्तलाकु मर्रातानि फ़इम्साकुम बिमाअ़रुफ़िन औतस्रीहुम बिइह़सान0 (सूरह–बक़राह–2/229)

तर्जुमा– तलाक़ (रजई) दो दफ़ा है या तो फिर अच्छे तरीक़े से रोक लेना है या फिर भलाई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ देना है।

मज़कूरा आयते करीमा से पहले की तलाक़ की तमाम सूरतें मन्सूख़ हो गयीं अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त ने तलाक़ की तीन ह़दें मुतअ़य्यन फ़रमाई हैं अगर मर्द ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ (मुतफ़ार्रिक़ औक़ात) में न दी हों तो जब तक वो इ़द्दत में है तो मर्द को रुजूअ़ करने का पूरा ह़क़ है।

इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, और इमाम बैहक़ी ने इब्ने मसऊ़द (रज़ि0) से रिवायत किया है फ़रमाते हैं औ़रत के है़ज़ से पाक होने के बाअ़द जिमाअ़ (हम बिस्तरी) से पहले एक तलाक़ दे फिर जब उसे है़ज़ आये तो बाद है़ज़ (ह़ालते तुहर में) दूसरी तलाक़ दे फिर उसे छोड़ रखे ह़त्ता कि फिर वो (तीसरे है़ज़ से) पाक हो जाये तो उसके बाअ़द अगर चाहे तो तीसरी तलाक़ दे (या न दें और रुजूअ़ करके बीवी को अपनी ज़ोजियत में ले ले)
(इमाम जलालुद्दीन सयूती–दुर्रे मन्सूर–1/716)

तशरीह :– तलाक़ (रजई) सिर्फ़ दो बार तक है यानी अगर कोई शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ देने का इरादा करता है तो उसके लिये शरई हुक्म ये है कि वो ह़ालते तुहर (पाकी) में जिसमे जिमाअ़ न किया गया हो एक तलाक़ दे दे और फिर उसे छोड़ रखे फिर औ़रत अपने शौहर के घर में इ़द्दत तीन है़ज़ या तीन माह गुज़ारे यानी जिसको है़ज़ आता हो तो वो तीन है़ज़ इ़द्दत पूरी करे और जिसे है़ज़ न आता हो (यानी नाबालिग़ लड़की हो या वो औ़रत हो जिसका है़ज़ आना बन्द हो गया हो) तो वो तीन माह इ़द्दत गुज़ारे

इ़द्दत के दरमियान ख़ाविन्द अगर चाहे तो बीवी की इजाज़त के बग़ैर रुजूअ़ कर सकता है।

जैसा कि इरशादे बारी तअ़ाला है–
इस मुद्दत के अन्दर उनके शौहरौं को उन्हें फिर से अपनी जोज़ियत में लौटाने का पूरा ह़क़ है। (सूरह–बक़्राह–2/228)

और अगर रुजूअ़ न किया हो तो बाद इ़द्दत बीवी शौहर के लिये बाइना (जुदा) हो जायेगी फिर शौहर अगर चाहे तो जदीद (नये) निकाह़ व महर और बीवी की इजाज़त व रज़ामन्दी से बीवी को अपनी ज़ोजियत में ले सकता है।

इरशादे बारी तअ़ाला हैः–
और जब तुम अ़ौरतो को तलाक़ दो और वो अपनी इ़द्दत को आ पहुँचे तो जब वो शरअ़ई दस्तूर के मुताबिक़ बाहम रज़ामन्द हो जायें तो उन्हें अपने (पुराने या नये) शौंहरों से निकाह़ करने से मत रोको। (सूरह–बक़्राह–2/232)

मर्द अगर चाहे तो एक महीने में एक तलाक़ (हालते तुहर में) और दूसरे महीने में दूसरी तलाक़ और तीसरी महीने में तीसरी तलाक़ दे सकता है अलबत्ता दूसरी और तीसरी तलाक़ की कोई हाजत नहीं रहती क्योंकि एक तलाक़ के बाअ़द ही इ़द्दत गुज़रने के बाअ़द अ़ौरत बाइना (जुदा) हो जाती है और मर्द का ह़क़े रुजूअ़ साक़ित हो जाता है यानी बाद इ़द्दत शौहर अपनी बीवी से रुजूअ़ नहीं कर सकता अगर मर्द ने तीन तलाक़े मुतफ़र्रिक़ औक़ात में दीं यानी हर महीने में एक तलाक़ या ज़िन्दगी में मुतफ़र्रिक वक़्तों में तीन तलाक़ें देता है तो जिस वक़्त वो तीसरी तलाक़ देगा तो वो तलाक़ मुग़ल्लिज़ा वाक़ैअ़ होगी जिसके बाद मर्द न तो रुजूअ़ कर सकता न निकाह़ जब तक अ़ौरत ह़लाला शरई से न गुज़र जाये।

इरशादे बारी तअ़ाला हैः–
फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक़ दे दी तो वो उसके लिये ह़लाल न होगी यहाँ तक कि वो किसी और शौहर के साथ निकाह़ न कर ले।(सूरह–बक़्राह–2/230)

-: मुतफ़र्रिक़ तफ़ासीर :-

आयते करीमा ''अत्तालाकु मर्रातानि----------से मुराद इस तरफ़ इशारा है कि एक ही वक़्त में दो दफ़ा तलाक़ देना जाइज़ नहीं ये कलमा तफ़रीक़ और अ़दद पर दलालत करता है नतीजा क़यास ये है कि शरअ़न दो या तीन इकट्ठी तलाक़ें देना बिदअ़त व ह़राम हैं शरअ़न तलाक़ देने का तरीक़ा ये है कि मुतफ़र्रिक़ तुहरों में एक के बाअ़द एक तलाक़ हो यानी दो या तीन तलाक़ें जमाअ़ न हों दो या तीन तलाक़ों को एक लफ़्ज़ के साथ या मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ जमाअ़ करना बिदअ़त व ह़राम हैं और गुनाह में मुब्तिला करने वाला है और हाजत तो एक से ही पूरी हो जाती है तो फिर तीन तलाक़ क्यों।

नीज़ आयते करीमा में औतस्रीहुम बि इह़सान............... से मुराद ये है कि दो तलाक़ों के बाअ़द चाहे तो छोड़ दे यहाँ तक कि उसकी इ़द्दत गुज़रने के सबब से वो उससे जुदा हो जाये यहाँ ये ज़रुरी नहीं कि उसे तीसरी तलाक़ दी जाये हालाँकि मर्द अगर चाहे तो तीसरी तलाक़ दे सकता है लेकिन बेहतर ये है कि तीसरी तलाक़ न दे कि तलाक़ एक हो या दो बीवी तो बाद इ़द्दत अपने ख़ाविन्द से जुदा हो जाती है फिर तीसरी तलाक़ की हाजत नहीं रहती हासिल नतीजा ये है कि दो तलाक़ों के बाद मर्द अगर चाहे तो अपनी बीवी को भलाई के साथ रोक ले या एह़सान के साथ (यानी उसे कुछ माल व मताअ़ देकर अच्छे सुलूक के साथ) उसे मुत्लक़न जुदा कर दे तीसरी तलाक़ दे या न दे इन दोनों सूरतों में तीसरी तलाक़ न देना बेहतर है।

''औतस्रीहुम बिइहसान'' का माअ़नी तीसरी तलाक़ न हो क्योंकि अगर इससे माअ़नी तीसरी तलाक़ लिया जाये तो फिर इस आयत के बाअ़द (सू0-बक़राह-230) में अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ''फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला तह़िल्लु'' (फिर अगर उसने तलाक़ दे दी) तो फिर ये चौथी तलाक़ होगी क्योंकि ''फ़'' तअ़क़ीब के लिये है (यानी किसी चीज़ को किसी के बाद करना) और इसके बाद नई तलाक़ का तक़ाज़ा करती है तो इससे साबित हुआ कि क़ौल बारी तआ़ला ''औ तस्रीहुम विइह़सान'' से मुराद औ़रत को छोड़ देना है यहाँ तक कि उसकी इ़द्दत गुज़र जाये (तफ़्सीर कुरतबी-2/169)

इरशादे बारी तआ़ाला हैः–

और जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो और वो अपनी इ़द्दत (पूरी होने) को आ पहुँचे तो उन्हें अच्छे तरीक़े से (अपनी ज़ोजियत में) रोक लो या उन्हें अच्छे तरीक़े से छोड़ दो महज़ तकलीफ़ देने के लिये न रोके रखो कि (उन पर) ज़्यादती करते रहो और जो कोई ऐसा करे पस उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया है और अल्लाह तआ़ला के अह़काम को मज़ाक़ न बना लो (सूरह–बक़राह–2/231)

शरअ़ई तलाक़ एक तलाक़ के बाद मुतफ़र्रिक़ तौर पर तलाक़ देना है न कि इकट्ठी और 'अत्तलाकु मर्रातानि' से मुराद तसनिया (दो गुना) नहीं है बल्कि मर्तबा मुराद है जैसे सूरह मुल्क़ आयत 67/4 में 'सुम्मर जिअ़ल बसरा कर्रातैनि' यानी कर्राह बाद कर्राह एक मर्तबा के बाद दूसरी मर्तबा है न कि दो मर्तबा (तफ़्सीर मदारिक-1/320)

इस आयत में हमारी दलील है कि दो तलाक़ों व तीन तलाक़ों को इकटठा एक ही तुहर में देना बिदअ़त है क्योंकि अल्लाह तआ़ाला ने हमें अलग–अलग करके तलाक़ देने का हुक्म दिया है ''अत्तलाकु मर्रातानि'' कि तलाक़ (रजई) दो बार तक है क्योंकि तीसरी तलाक़ के बाद रुजूअ़ नहीं ''बिमअ़रुफ़िन'' फिर दस्तूर के मुवाफ़िक़ रखना है यानी रुजूअ़ करके मतलब ये है कि तुम पर दस्तूर के मुवाफ़िक़ रोके रखना लाज़िम है ''औ तस्रीहुम बिइहसान'' या हुस्ने सुलूक से रुख़सत कर दे यानी रुजूअ़ न करे हत्ता कि वो इ़द्दत से बाइना (जुदा) हो जाये। (तफ़्सीर मदारिक–1/321)

'अत्तलाकु मर्रातानि' से मुराद दो बार है और इस आयत में तलाक़ रजई की ह़द बताना मक़सूद है और मर्रातान से मुराद बार–बार तलाक़ देना है यानी तलाक़ शरई अ़लैह़दा अ़लैह़दा मुताफ़र्रिक वक़्त में देना है न कि एक दम दो या तीन तलाक़ देना और 'इम्साक' के माअ़नी रोकना है और 'तसरीह' यानी आज़ाद छोड़ना और अ़लैह़दा करना और ''इहसान'' से मुराद औ़रत का महर और हुक़ूक़े इ़द्दत अदा करना यानी दो तलाक़ तक मर्दों को दो ह़क़ ह़ासिल हैं उन्हें रोक लेना और तलाक़ से रुजूअ़ कर लेना या भलाई के साथ छोड़ देना। (तफ़्सीर नईमी–2/415)

मज़कूरा आयते करीमा की तफ़ासीर से वाज़ेह हुआ कि ''अत्तलाकु मर्रातानि'' से मुराद दो मुतफ़र्रिक़ (अलग—अलग) तुहरों में तलाक़ देना है और तीसरी तलाक़ का तज़किरा फ़ौरन बाद है ''फ़ इन तल्लक़ाहा फ़ला तहि़ल्लू—————''(सू0—बक़राह—230) (यानी फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक़ दे दी तो उसके बाद वो अ़ौरत उसके लिये ह़लाल न होगी हत्ता कि वो किसी दूसरे शौहर के साथ निकाह़ कर ले फिर अगर वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक़ दे दे तो अब इन दोनों यानी पहले शौहर और उसकी बीवी पर कोई गुनाह नहीं अगर वो दोबारा रिश्ता—ए—ज़ोजियत में पलट जायें पहली आयत में ''अत्तलाकु मर्रातानि'' (सू0—बक़राह——229) में सिर्फ़ दो तलाक़ों का ज़िक्र है जो मुतफ़र्रिक़ तुहरों में दी जायें और दूसरी आयत ''फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला तहि़ल्लू———'' (सूरह-बक़राह—230) में तीसरी तलाक़ का ज़िक्र है जो दो के बाद तीसरी तलाक़ है जो मुतफ़र्रिक़ तुहर में दी जाये।

–: दो तलाक़ का सबबे नुज़ूल :–

➡ उम्मुल मुमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से मर'वी है फ़रमाती हैं कि लोग ज़माना जाहलियत में ऐसे थे कि शौहर अपनी बीवी को जितनी चाहता उतनी तलाक़ दे देता था और दौराने इ़द्दत वो रुजूअ़ कर लेता था फिर वो बीवी उसी शौहर के पास रहती थी यहाँ तक कि एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा अल्लाह की क़सम न तो मैं तुझे ऐसी तलाक़ दूँगा कि तू मुझसे जुदा हो जाये और न ही तुझसे कभी मिलूँगा उसने कहा कि ये क्योंकर होगा शौहर ने कहा मैं तुझे तलाक़ दूँगा फिर इ़द्दत तमाम होने से पहले तुझसे रजअ़त करुँगा और इसी तरह हमेशा करता रहूँगा यहाँ तक कि वो अ़ौरत ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) के पास हाज़िर हुई और इस बात की खब़र दी सो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) चुप रहीं यहाँ तक कि हुजूर (सल्ल0) तशरीफ़ लाये तो उनको इस बात की ख़बर दी पस आप (सल्ल0) चुप रहे यहाँ तक कि ये आयते करीमा नाज़िल हुई– ''अत्तलाकु मर्रातानि–––––––'' (सूरह–बक़राह–229) (यानी तलाक़ दो बार तक है और उसके बाद बीवी को दस्तूर के मुवाफ़िक़ रख लेना या भलाई के साथ उसको रुख़सत कर देना है) यानी उस को तीसरी तलाक़ दे कर या इस तरह की रजअ़त न करे और इ़द्दत तमाम हो जाये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने फ़रमाया– फिर सिरे से लोगों ने तलाक़ का हिसाब रखा जिसने तलाक़ दी थी उसने भी और जिसने तलाक़ नहीं दी थी उसने भी।

(तिर्मिज़ी–सुनन–1/657–ह०-1192)

तीन इकट्ठी तलाक़ें देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है

-: क़ुरान से इस्तिदलाल :-

अल्लाह तआ़ला ने लफ़्ज़े तलाक़ तफ़रीक़ के साथ ज़िक्र किया है तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया ''अत्तलाकु मर्रातानि'' (सू0—बक़राह —229) इससे मुराद तलाक़ दो बार है जिसके बाअ़द दौराने इ़द्दत रुजूअ़ हो सकता है व क़ौल बारी तआ़ला ''औतस्रीहुम बि इह़सान'' के माअ़नी हैं कि वो उसे बग़ैर रुजूअ़ किये उसी हालत पर छोड़े रखे यहाँ तक कि उसकी इ़द्दत गुज़र जाये और उसमें उस पर एह़सान ये है कि अगर उन दोनों के दरमियान नदामत वाक़ैअ़ हो अल्लाह तआ़ला ने फरमाया 'ला तदरी लअ़ल्लल्लाहा युह़दिसू बअ़दा जालिका अम्रा' (सूरह—तलाक़—65/1) यानी अल्लाह तआ़ला उसके (तलाक़ देने के) बाअ़द (रुजूअ़ की) कोई नई सूरत पैदा फ़रमां दे। इससे मुराद फुरक़त (जुदाई, अ़लैह़दगी) पर नदामत और रजअ़त में रग़बत रखना है और तीन को वाक़ैअ़ करना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें वुसअ़त (गुंजाइश) को तर्क करना है जो उनके बारे में अल्लाह ने अ़ता फ़रमाई है पस अल्लाह तआ़ला का तलाक़ को मुतफ़र्रक़न ज़िक्र करना इस बात पर दलालत करता है कि जब उन्हें जमाअ़ किया जाये तो वो लफ़्ज़े वाह़िद है लिहाज़ा एक ही वाक़ैअ़ होगी। (मसलन अगर कोई किसी एक काम के लिये ये कहे कि मैंने फुलाँ काम किया है और इस जुमले को वो तीन बार कहे तो जब इन जुमलों को जमाअ़ किया जाये तो माअ़नी यही निकलेगा कि उसने फुलाँ काम एक बार किया है न कि तीन बार (तफ़्सीर कुरबती—2/173)

इस आयते करीमा में कलमा ''मर्रातान'' जो कि मर्राह का तसनिया है और मर्राह के माअ़नी एक बार या एक दफ़ा के है तो मर्रातान का माअ़नी हुआ मर्राह बाद मर्राह यानी एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा न कि दोनों एक ही बार मिसाल के तौर पर (सूरह—नूर —24/58) में अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ''ऐ ईमान वालो तुम्हारे—

गुलाम, लौंडियाँ और तुम्हारे नाबालिग़ बच्चे तीन वक़्तों में इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें नमाज़े फ़ज्र से पहले, दोपहर के वक़्त जब तुम आराम के लिये अपने कपड़े उतारते हो और इशाँ की नमाज़ के बाद ये तीन वक़्त तुम्हारे पर्दे के औक़ात हैं''।

मज़कूरा आयत में 'सलासा मर्रात' में तीन दफ़ा के माअ़ना व मफ़हूम को वाज़ेह किया गया है और ये तीन मुतफ़र्रिक़ औक़ात हैं न कि वाहिद पस इससे वाज़ेह हुआ कि ''अत्तलाकु मर्रातानि'' में लफ़्ज़े मर्रातान में तफ़रीक़ का मफ़हूम शामिल है लिहाज़ा इस क़ायदे के मुताबिक़ ''अत्तलाकु मर्रातानि'' से यही माअ़नी निकलता है कि तलाक़ मुतफ़र्रिक़ औक़ात (अलग अलग वक़्तों) में दी जाये न कि दो इकट्ठी तलाक़ें दी जायें और तलाक़ एक फ़ेअ़ल है जो वाक़ैअ़ होता है क़ौल और फ़ेअ़ल में फ़र्क़ होता है।

मिसाल के तौर पर अगर कोई शख़्स ये कहे कि मैं फुलाँ दिन फुलाँ जगह गया था और वो इस जुमले को तीन बार कहे तो ये जुमला ताकीद के तौर पर तीन बार कहा गया है तो जब इन जुमलों को जमाअ़ किया जाये तो माअ़नी यही निकलेगा कि वो शख़्स फुलाँ दिन फुलाँ जगह (एक बार) गया था न कि तीन बार इसी तरह अगर कोई शख़्स तीन बार इकट्ठी तलाक़ देता है तो तीन बार बतौर ताकीद के शुमार किया जायेगा क्योंकि तलाक़ एक फ़ेअ़ल है तो इस क़ायदे के मुताबिक एक ही तलाक़ वाक़ैअ़ होगी।

कुरान मजीद में अल्लाह तआ़ाला इरशाद फ़रमाता है ''सनुअ़ज़्ज़ि बुहुम मर्रातैनि––(सूरह–तौबा–101) (यानी अ़नक़रीब हम उन्हें (दुनियाँ में ही) दो मर्तबा अ़ज़ाब देंगे) तो इस आयत में कलमा मर्रातैन मे तफ़रीक़ का मफ़हूम शामिल है यानी दो मुतफ़र्रिक़ वक़्तों में अ़ज़ाब दिये जाने का ज़िक्र है तो इस आयते करीमा से वाज़ेह और साबित हुआ कि तलाक़ एक वक़्त में एक ही है।

कुरान व अहादीस की रोशनी में एक मजलिस की तीन तलाक़ें एक ही वाक़ैअ़ होने के हुक्म में है और तलाक़ ख़्वाह जुबानी या कलामी, किताबी या तहरीरी सूरत में हो जिसमें मर्द को मुकम्मल

रुजूअ़ का ह़क़ ह़ासिल होता है और इ़द्दत गुज़रने के बाद जदीद निकाह़ से बीवी फिर से अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में दाख़िल हो जायेगी यही मौक़िफ़ सबसे बेहतर है ताकि बर्बाद होने वाले घर फिर से आबाद हो जायें और दो दिलों की तफ़रीक़ व नफ़रत और अ़दावत फिर मुहब्बत व इत्तिहाद की सूरत में तब्दील हो जाये और ग़मज़दा मुरझाये दिल खुशियों और मसर्रतों से खिल उठें।

और अल्लाह तआ़ला भी यही चाहता है और उसकी मन्शा भी यही है कि जो रिश्ता ज़ोजियत ख़ाविन्द और बीवी के दरमियान है वो हमेशा क़ायम बना रहे और उनमें बाहम जुदाई न हो और अल्लाह तआ़ला रुजूअ़ को पसन्द फ़रमाता इसलिये अल्लाह तआ़ला ने कुरान मजीद में कई मक़ामात पर अपनी दी हुई सहूलियतें और मुहलतों और गुंजाइश का ज़िक्र किया है कि किसी तरह ख़ाविन्द और बीवी के दरमियान बाअ़द तलाक़ रुजूअ़ की सूरत पैदा हो और मियाँ बीवी बाहम रिश्ता–ए–ज़ोजियत बरक़रार रखें और अल्लाह तआ़ला रुजूअ़ को पसंद फ़रमाता है और अल्लाह तआ़ला कुरान मजीद में कई मक़ामात पर हमें इस बात की ताकीद फ़रमाता है कि हमने जो तुम्हें जो मुहलत, सहूलियत और गुंजाइश दी कि तुम इस मुहलत व सहूलियत में अपनी तलाक़ याफ़्ता बीवी से रुजूअ़ करलो या बाअ़द इ़द्दत जदीद निकाह़ से फिर से अपनी ज़ोजियत में ले लो चन्द आयते करीमा मुन्दरजा ज़ैल हैं–

(1) ''अत्तलाकु मर्रातानि––––––''(सूरह–बक़राह–229) इस आयते करीमा के अल्फ़ाज़ इस बात की सरीह दलील हैं कि दो तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ औक़ात में ही दी जायें ताकि रुजूअ़ की सूरत बाक़ी रहे और मर्द अपने ह़क़े रुजूअ़ के ज़रिये अपनी बीवी को फिर से अपनी ज़ोजियत में ले ले।

(2) ''व इज़ा तल्लक़तुमुन निसाआ–––––––''(सूरह–बक़राह–231) और जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो और वो अपनी इ़द्दत (पूरी–होने) को आ पहुँचे तो उन्हें अच्छे तरीक़े से (अपनी ज़ोजियत में) रोक लो या उन्हें अच्छे तरीक़े से छोड़ दो मज़कूरा आयते करीमा का इशारा भी तलाक़ रजई की तरफ़ है।

(3) ''व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाआ फ़बालग़्ना अजालाहुन्ना————'' (सू0—बक़राह—232) और जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो और वो अपनी इ़द्दत (पूरी होने) को आ पहुँचे तो जब वो शरई दस्तूर के मुताबिक़ बाहम रज़ामन्द हो जाये तो उन्हें अपने शौहरों से निकाह़ करने से मत रोको। मज़कूरा आयते करीमा का इशारा भी तलाक़ रजई की तरफ़ है।

(4) ''फ इमसाकुम बिमअ़रूफिन औतस्रीहुम बि इह़सान'' (सूरह—बक़राह—229) फिर या तो (बीवी को) अच्छे तरीक़े से (ज़ोजियत में) रोक लेना या भलाई के साथ छोड़ देना है। मज़कूरा आयते करीमा का इशारा भी तलाक़ रजई की तरफ़ है।

(5) ''या अइयुहन्नबीइयु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाआ फ़तल्लिकू हुन्ना लिइ़द्दति हिन्ना'' (सूरह—तलाक़—65/1)
ऐ नबी (सल्ल0 मुसलमानों से फ़रमादें) जब तुम औ़रतों को तलाक़ देना चाहो तो उनके तुहर के ज़माने में उन्हें तलाक़ दो और इ़द्दत को शुमार करो और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है और उन्हें उनके घरों से बाहर मत निकालो और न ही वो खुद निकलें।

मज़कूरा आयते करीमा भी तलाक़ रजई के तरफ़ इशारा कर रही है नीज़ हुक्मे खुदावन्दी कि उन्हें उनकें घरों से न निकालो इस बात की तरफ़ इशारा है कि तलाक़ के बाद मियाँ-बीवी दोंनों एक ही घर में रहेंगे तो उनमें सुलह व रजअ़त की सूरत पैदा होने का मज़ीद इकमान है कि अल्लाह तआ़ला रुजूअ़ की कोई सूरत पैदा फ़रमादे जैसा कि इसी आयत में अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है।

(6) 'ला तदरी लअ़ल्लल्लाहा युहदिसु बअ़दा ज़ालिका अम्रा' शायद अल्लाह तआ़ला उसके (तलाक़ देने के) बाद (रुजूअ़ की) कोई नई सूरत पैदा फ़रमां दे।

(7) 'फ़ इज़ा बलग़्ना अजालाहुन्ना फ़अम्सिकू हुन्ना बिमअ़रुफ़िन——' (सूरह-तलाक़-2) फिर जब वो अपनी मुक़र्ररा मियाद (के ख़त्म होने) के क़रीब पहुँच जायें तो उन्हें भलाई के साथ (अपनी ज़ोजियत में)

रोक लो या उन्हें भलाई के साथ जुदा कर दो। मज़कूरा आयते करीमा का इशारा भी तलाक़ रजई की तरफ़ है।

अल्लाह तआ़ला ने हमें तलाक़ के बाअ़द कई सहूलियतें और रास्ते और तरीक़े फ़राहम किये हैं कि किसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता ज़ोजियत क़ायम रहे और उनमें जुदाई न हो लेकिन अ़ल्लाह तआ़ला के फ़राहम कर्दा सहूलियतें और तरीक़ों को हम दरकिनार कर देते हैं और एक वक़्त की तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ क़रार देते हुये मियाँ बीवी में बाहम जुदाई करा देते हैं और मर्दों से उनका ह़क़े रुजूअ़ भी छीन लेते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उन्हें अ़ता किया है कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत मौजूद नहीं कि एक मजलिस की तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ होना क़रार देती हो और तमाम कुतबे अह़ादीस में भी कोई ऐसी ह़दीस मौजूद नहीं जिसमें एक वक़्त की तीन तलाक़ों को रसूलुल्लाह (सल्ल0) ने तीन ही क़रार दिया हो हालाँकि तीन तलाक़ों के ज़िक्र वाली कई अह़ादीस वारिद हैं लेकिन उनमें तीन तलाक़ों का खुलासा बयान नहीं है कि तीन तलाक़ें एक मजलिस में दी गईं थीं या मुतफ़र्रिक़ औक़ात में दी गईं थीं इसके अ़लावा तलाक़ बत्ता का अह़ादीस में तज़किरा मिलता है मगर तलाक़ बत्ता तीन इकट्ठी तलाक़ को भी कहते हैं और तीसरी तलाक़ को भी कहते हैं जो कि मुतफ़र्रिक़ औक़ात में दो के बाद तीसरी तलाक़ दी जाती है यानी तलाक़ बत्ता का भी खुलासा नहीं कि तलाक़ बत्ता एक मजलिस में तीन तलाक़ें दी गईं हैं या एक तलाक़ दी गई है और तलाक़ बत्ता का माअ़नी है जुदा कर देने वाली या काट देने वाली यानी औ़रत को तलाक़ के फ़ौरन बाद जुदा कर देती है।

–: तीन इकट्ठी तलाक़ देने पर एक ही वाक़ैअ़ होती है :–

–: अहा़दीस से इस्तिदलाल :–

➡ इब्ने ताऊस अपने वालिद से बयान करते है कि अबू सह्बा ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) के पास आये और अ़र्ज़ किया कि ऐ इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) क्या तुम इससे वाकि़फ़ नहीं कि नबी करीम (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक में और अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के दौरे खि़लाफ़त में और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के दौरे खि़लाफ़त के इब्तिदाई दो साल या तीन साल तक तीन तलाक़ें एक की जानिब लौटाई जाती थीं इस पर ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने फ़रमाया कि जी हाँ (वाक़ई) लौटाई जाती थीं और रद्द की जाती थीं (तीन तलाक़ें एक ही जानिब)

(नसाई–सुनन–2/464–ह0–3438)
(मुस्लिम–सहीह़– 4/99–ह0–3674)
(अबूदाऊद–सुनन–2/682–ह0–2200)
(अ़ब्दुल रज़्ज़ाक–अल मुसन्निफ़–6/392–ह0–11337)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/456–ह0–14973)
(ह़ाकिम–अल मुस्तदरक–2/234–ह0–2851)
(इब्ने अबी शैबा–अल मुसन्निफ़–5/398–ह0–18178)
(दारकुतनी–सुनन–3/281–ह0–4019)
(जलालुद्दीन सयूती–दुर्रे मन्सूर–1/721)
(इमाम शाफ़ई–अलमुस्नद–1/428–ह0–1242)

–: मज़कूरा ह़दीस पर एतराज़ :–

पहला एतराज़:– मज़कूरा ह़दीस के मुताअ़ल्लिक़ बाअ़ज़ लोग ये कहते हैं कि ये ह़दीस मन्सूख़ हो गई तो मेरा उनसे एक सवाल है कि वो कौन सी नासिख़ (मन्सूख़ करने वाली) ह़दीस है जिसने इस ह़दीस को मन्सूख़ कर दिया या वो कौन सी कुरानी आयत है कि जिसने इस ह़दीस को मन्सूख़ कर दिया।

दूसरा एतराज़ः— बाअ़ज़ लोग ये कहते हैं कि सुनन अबूदाऊद में इसी तरह की एक मुख़्तलिफ़ ह़दीस—न0—2199 मज़कूर है जिसमें ताऊस कहते हैं कि अबू सह्बा नामी एक शख़्स जो ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से बहुत ज़्यादा सुवाल किया करता था उसने कहा क्या आपके इ़ल्म में है कि कोई आदमी अपनी बीवी को मुबाशरत से पहले तीन तलाक़ें दे देता है तो ऐसी तलाक़ को हुज़ूर (सल्ल0) व हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और शुरु दौरे ख़िलाफ़त हज़रत उ़मर (रज़ि0) एक ही शुमार किया करते थे तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने कहा जी हाँ बाअ़ज़ लोग इस हदीस को दलील बनाकर पेश करते हैं कि इस तरह की तीन तलाक़ों को एक क़रार दिया जाता था तो इसके तीन जबाब हैं—

पहला जबाबः— दोनों ह़दीसें मुख़्तिलिफ़ हैं पहली ह़दीस में अबू सह्बा का सवाल मदख़ूला की तीन तलाक़ के मुतअ़ल्लिक़ था और दूसरी ह़दीस में अबू सह्बा का हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से सुवाल ग़ैर मदख़ूला की तीन तलाक़ के मुताअ़ल्लिक़ था यानी दो सवाल अलग—अलग वक़्तों में ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से किये गये और दोनों के अलग—अलग जवाब ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने फ़राहम किये जैसा कि हदीस पाक में मज़कूर है कि अबू सह्बा नामी शख़्स जो ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से बहुत ज़्यादा सवाल किया करता था तो ज़ाहिर है कि हज़रत अबू सह्बा ने मदख़ूला और ग़ैर मदख़ूला दोनों के मुताअ़ल्लिक़ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मुतफ़र्रिक़ औक़ात में सुवाल किया था और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने दोनों तरह के सवालों का जवाब मुतफ़र्रिक़ औक़ात में अलग अलग दिया और इत्तेफ़ाक़ से दोनों तरह के सवालो का जवाब एक ही है यानी मदख़ूला और ग़ैर मदख़ूला की तीन तलाक़ें हुज़ूर (सल्ल0) और ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के इब्तिदाई दो साल या तीन साल तक एक वक़्त की तीन तलाक़ें एक ही शुमार की जाती थीं।

दूसरा जवाबः— जो ह़दीस एतराज़ के तौर पर दलील बनाकर पेश की जाती है वो सिर्फ़ एक ही जगह दर्ज है जबकि मेरी मज़कूरा ह़दीस सुनन नसाई मे एक अबूदाऊद में एक और मुस्लिम शरीफ़ में

तीन वारिद हैं जिसमें वाज़ेह बयान है कि मदख़ूला मुतल्लक़ा की तीन इकट्ठी तलाकें एक की जानिब लौटाई जाती थीं यानी एक मजलिस की तीन तलाक़ें एक ही तसलीम की जाती थी और एक पर पाँच ह़दीस को फ़ौक़ियत ह़ासिल है और ये क़वी और मुक़द्दम के दरजे में आती हैं तो साबित हुआ कि अबूदाऊद में वारिद ग़ैर मदख़ूला की तीन तलाक़ें एक बना दी जाती थी ज़ईफ़ के दर्जे में आती है।

तीसरा जवाबः— तीसरी दलील सहीह मुस्लिम में ह़दीस के रावी ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) हैं तो सहीह व ज़ईफ़ की तफ़रीक़ में ख़ास शख़्स आम शख़्स पर फ़ज़ीलत रखता है तो इस लिहाज़ से भी जो ह़दीस इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से रिवायत है वो मोअ़तवर और सह़ीह़ के दर्जे में है जिसमें सरीह और वाज़ेह बयान है कि मदख़ूला मुतल्लक़ा की तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक और ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ के दौरे ख़िलाफ़त और ह़ज़रत उ़मर के दौरे खिलाफ़त के इब्तिदाई दो या तीन साल तक तीन इकट्ठी तलाक़ें एक की जानिब लौटाई जाती थीं।

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि0) बयान करते हैं कि हुजूर (सल्ल0) के ज़माना मुबारक में और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रजि0 के ज़माना ख़िलाफ़त में और हज़रत उ़मर फारुक़ रज़ि0 के ज़माना ख़िलाफ़त में दो साल या तीन साल तक ऐसा अम्र था कि जब कोई यकबारगी तीन तलाक़ें दे देता था तो वो एक ही शुमार की जाती थीं फिर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) ने फ़रमाया कि लोगों ने जल्दी करना शुरू की उसमें कि जिसमें उनको मुहलत मिली थी सो हम उसको अगर जारी कर दें तो मुनासिब है फिर उन्होंनें जारी कर दिया यानी हुक्म दे दिया कि जो एक बार में एक मजलिस में तीन तलाक़ देगा तो तीन वाक़ैअ़ हो जायेंगी।
(मुस्लिम—सह़ीह—4/100—ह0—3673) (दारकुतनी—सुनन—3/283—ह0—4028) (ह़ाकिम—अल मुस्तदरक—2/234—ह0—2852) (बैहक़ी—सुनन—कुबरा—9/456—ह0—14972) (अस्क़लानी—बुलूगुलमराम—2/698—ह0—917) (तफ़्सीर—कुरतबी—2/170) (तफ़्सीर—मज़हरी—1/430) (जलालुद्दीन सयूती—दुर्रे मन्सूर—1/720)

मज़कूरा ह़दीस पाक से ये वाज़ेह और साबित हुआ कि ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) का ये खुद का फ़ैसला था कि अगर किसी ने एक वक़्त में तीन इकट्ठी तलाक़ें दी तो तीन ही वाक़ैअ़ हो जायेंगी और आपने ये नहीं फ़रमाया कि ये फ़ैसला नबी करीम (सल्ल0) का फ़ैसला है और आपने वक़्त व हालात के तक़ाज़े के मुताबिक़ ये फ़ैसला लिया कि जब लोग कुरान से खेलने लगे और अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल (सल्ल0) के हुक्म की पर'वाह किये बग़ैर ख़िलाफ़े सुन्नत तरीक़े से तीन इकट्ठी तलाक़ें देने लगे तो आपने उनको ताज़ीर देने की नियत व मक़सद से ये फ़ैसला लिया ताकि लोग कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ तलाक़ देने से बाज़ आ जायें और अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी न करते हुये कुरान व सुन्नत के मुताबिक़ ही तलाक़ दें और इस फ़ैसले में ताज़ीर ये थी कि जब तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ क़रार दिया जायेगा तो उनका ह़क़े रुजूअ़ साक़ित हो जायेगा और वो रुजूअ़ न कर सकेंगे और उनके लिये ये ताज़ीर होगी आप का ये इक़दाम ताज़ीरी व इजतिहादी व सियासी और दायरे शरीअ़त के मुताबिक़ था न कि ख़िलाफ़े सुन्नत।

—: मज़कूरा ह़दीस पर एतराज़ :—

बाअ़ज़ लोग ये कहते हैं कि अगर इस ह़दीस को सहीह़ मान भी लिया जाये कि नबी करीम (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक और ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त और ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त के दो या तीन साल तक एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था तो क्या ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) ने ख़िलाफ़े सुन्नत काम किया जो तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ होने का हुक्म सादिर फ़रमां दिया।

इ़ल्मी जवाबः—ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) ने क़तई ख़िलाफ़े शरअ़ काम नहीं किया बल्कि दायरे कुरानो सुन्नत के तहत अपने तमाम उमूर को अन्जाम दिया जिस तरह हुज़ूर (सल्ल0) की हयाते तय्यबा में ये वाक़्आ़ पेश आया कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन इकट्ठी तलाक़ें दे दी जब आप (सल्ल0) को इसकी ख़बर हुई तो ये बात सुनकर आप गुस्से की हालत में खड़े और गुस्से में

फ़रमाने लगे कि क्या कुरान से खेला जा रहा है हालाँकि मैं तुम्हारे दरमियान अभी मौजूद हूँ इस तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते चले गये ह़त्ता कि ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त में तीन इकट्ठी तलाक़ देने वालों की कसरत हो गई और लोग कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ तलाक़ देने लगे तो ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) जो कि उस वक़्त ख़लीफ़ा थे आपने लोगों को अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी से इजतिनाब करने और कुरान व सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ देने की लोगों मे रग़बत पैदा करने के सबब ताज़ीरी और इजतिहादी व शरई बुनियाद के तहत ये फ़ैसला नाफ़िज़ कर दिया कि अगर किसी ने एक वक़्त में तीन तलाक़ें दीं तो तीन ही वाक़ैअ़ हो जायेंगीं और वो ह़क़े रुजूअ़ से मह़रुम कर दिये जायेंगे ताकि लोग डर जायें और कुरान व सुन्नत की तरफ़ माइल हों और उसी के मुताबिक़ तलाक़ दें आपका ये फ़ैसला ह़क़ व दुरस्त और कुरान व सुन्नत के मुवाफ़िक़ था न कि ख़िलाफ़े सुन्नत था ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) ने शरीअ़त में कई नये उमूर जारी फ़रमाये जो कि हुजूर (सल्ल0) की हयाते तय्यबा में न थे मसलन नमाज़े तरावीह का बा जमाअ़त से अदा करना हालाँकि नबी करीम (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक में नमाज़े तरावीह जमाअ़त के साथ नहीं पढ़ी जाती थी लेकिन हज़रत ऊ़मर ने हुजूर (सल्ल0) के विसाल मुबारक के बाद नमाज़े तरावीह को जमाअ़त के साथ अदा करने का फ़ैसला लिया जो कि मुसलमानों के ह़क़ में बेहतर और नफ़ा बख़्श और बाइसे अज्रो ख़ैर साबित हुआ ठीक इसी तरह ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) का कोई फ़ैसला ख़िलाफ़े सुन्नत न था बल्कि मुसलमानों की राहनुमाई और इस्लाह के लिये था।

—: दूसरा एतराज़ :—

बाअ़ज़ लोग ये कहते हैं कि ह़ज़रत ऊ़मर (रज़ि0) के इस फ़ैसले पर जुमला सहाबा—ए—किराम का इजमाअ़ हो गया था और किसी ने भी इस फ़ैसले की मुख़ालिफ़त नहीं की इसलिये अब भी इस फ़ैसले की मुख़ालिफ़त दुरस्त नहीं।

जवाबः— वक़्त के तक़ाज़े व ह़ालात के मद्दे नज़र जो फ़ैसले लिये जाते हैं या फिर जो इजतिहादी इक़दाम लोगों की इस्लाह के सबब

उठाये जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा दायम व क़ायम रहें वक़्त और ह़ालात के तकाज़े के मुताबिक़ उनमें तब्दीलियाँ भी की जाती हैं और आज हालात ये हैं कि मसला–ए–तलाक़ पर कुरानो सुन्नत की रोशनी में तब्दीली एक अहम ज़रूरत है आज कितने घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं कितने बच्चे अपने माँ या बाप से जुदा हो रहे हैं और वो अपने ह़क़ से मह़रुम हैं उन्हें अपने माँ बाप की अ़लैह़दगी की सूरत में उनका प्यार और बेहतर ताअ़लीम और तरबियत मयस्सर नहीं मुतल्लक़ा औ़रतों को दोबारा अच्छा शौहर तलाश करने में शदीद परेशानियों और दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा है बाअ़ज़ औक़ात तो औ़रत को अच्छा शौहर न मिलने की सूरत में तकलीफ़ व परेशानियों भरी ज़िन्दगी गुज़ारना पड़ रही है बाअ़ज़ औक़ात तलाक़ याफ़्ता औ़रतों को बेहतर ख़ाविन्द न मिलने की सूरत में फिर वो मजबूरन ऐसे ख़ाविन्द से निकाह कर लेती है जो उन्हे क़तअ़न पसन्द नहीं या जो उनके अह्ल ही नहीं और इस तरह तलाक़ याफ़्ता औ़रतों की ज़िन्दगी बर्बाद हो जाती है।

मिल्लते इस्लाम हमें ये तरग़ीब और तल्क़ीन करता है कि फ़रीक़ैन को मिलाने की कोशिश करो न कि उनमें बाहम तफ़रीक़ या जुदाई और हमारे दीन इस्लाम का तरीक़ा है कि दो दिलों को जोड़कर फिर से मिलाना न कि उनमें बुग्ज़ व नफ़रत पैदा करना और तफ़रीक़ व जुदाई की दीवार खड़ी करना इसलिये इन तमाम ह़ालात के मद्दे नज़र और वक़्त के तक़ाज़े को ज़हन मे रखते हुये हम तमाम अहले इल्म को चाहिये मसला–ए–तलाक़ पर ग़ौर करते हुये कुरान व अहादीस की रोशनी मे तीन तलाक़ को एक तसलीम करने और एक ही वाक़ैअ़ करने का हुक्म नाफ़िज़ करें ताकि लोग ह़क़े रुजूअ़ से मह़रुम न हों और मियाँ–बीवी मे तफ़रीक़ की बजाए रुजूअ़ की तरफ़ रग़बत बढ़े और रुजूअ़ करने वालों की ताअ़दाद में कसीर इज़ाफ़ा हो और मियाँ–बीवी और उनकी औलाद एक खुशहाल व आबाद ज़िन्दगी गुज़ारें।

➡ हज़रत महमूद बिन लबीद (रज़ि0) से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम (सल्ल0) को किसी आदमी के मुतअ़ल्लिक़ ये ख़बर दी गई कि उस शख़्स ने अपनी बीवी को एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें

दे डाली हैं ये बात सुनकर आप (सल्ल0) खड़े हो गये और गुस्से में फ़रमाने लगे कि क्या किताबुल्लाह (कुरान) से खेल हो रहा है हालाँकि मैं अभी तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूँ ये बात सुनकर एक शख़्स खड़ा हुआ और अ़र्ज़ करने लगा कि या रसूलुल्लाह मैं उसका क़त्ल कर डालूँ। (नसाई—सुनन—2/462—ह0—3433)
(मिश्कात—2/132—ह0—3150)(दार कुतनी—सुनन—3/257—ह0—2945)
(अस्क़लानी—बुलूगुमराम—2/699—ह0—918)
(तफ़्सीर मज़हरी—1/430)
(तफ़्सीर इब्ने कसीर—2/331)

वज़ाहतः— मज़कूरा ह़दीस इस बात पर दलालत करती है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें शरीअ़त की निगाह में शदीद जुर्म है एक मजलिस में तीन तलाक़ें देने पर हुज़ूर (सल्ल0) का गुस्सा व नाराज़ होना इस बात की तरफ़ इशारा कर रहा है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें अल्लाह व रसूल के नज़दीक सख़्त ना पसंदीदा और अम्रे गुनाह व हराम हैं और ऐसे फ़ेअ़ल के मुरतकिब को सहाबी का क़त्ल के लिये आमादा हो जाना भी इस तरफ़ इशारा कर रहा है कि तीन इकट्ठी तलाक़ देने वाला मुजरिम व सख़्त गुनाहगार है क्योंकि वो अल्लाह तआ़ला व रसूल की नाफ़रमानी व ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने का मुरतकिब है।

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मरवी है कि ह़ज़रत रुकाना (रज़ि0) ने अपनी बीवी को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दे दी फिर वो सख़्त ग़मगीन हुये जब नबी करीम (सल्ल0) को ये ख़बर हुई तो हज़रत रुकाना से दरयाफ़्त फ़रमाया—कि तुमने किस तरह तलाक़ दी है अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह (सल्ल0) मैंने तीन तलाक़ें दे दी हैं तो आप (सल्ल0) ने फ़रमाया—क्या एक मजलिस में दी हैं ह़ज़रत रुकाना ने जवाब दिया कि जी हाँ एक मजलिस में दी हैं फिर आप (सल्ल0) ने फ़रमाया ये तीन तलाक़ें एक मजलिस की एक ही हुई हैं अगर तू चाहता है तो बीवी से रुजूअ़ करले ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) जो हदीस के रावी हैं फ़रमाते हैं कि ह़ज़रत रुकाना (रज़ि0) ने रुजूअ़ कर लिया। ये ह़दीस सनद के एतवार से बिल्कुल सह़ीह़ है और ये ह़दीस नसे सरीह़ की हैसियत रखती है।

(अह़मद बिन ह़म्बल–अल मुस्नद–2/165–ह0–2387) (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/463–ह0–14987)(जलालुद्दीन सयूती–दुर्रे मन्सूर–1/721) (फ़िक़ा–अह़मदिया–2/80)

इमाम ह़ाफिज़ इब्ने ह़जर अ़स्क़लानी फ़त्हुल बारी में इसी ह़दीस के मुताअ़ल्लिक़ लिखते हैं कि एक मजलिस की तीन तलाक़ के एक होने में ये ह़दीस ऐसी नसे सह़ीह़ है कि जिसमें तावील की गुंज़ाइश ही नहीं जो दूसरों में की जाती है और ये तलाक़ सलासा (तीन तलाक़) के एक तलाक़ होने का बेहतरीन सबूत है। (फ़त्हुलबारी–22/26)

–: मज़कूरा ह़दीस पर एतराज़ :–

अक्सर मुख़ालिफ़ीन कहते हैं कि जो लोग ह़ज़रत रुकाना (रज़ि0) को अपने दाअ़वे में पेश करते हैं तो उनका ये इस्तिदलाल ग़लत व बे बुनियादी है कि ह़ज़रत रुकाना ने अपनी बीवी को तीन इकट्ठी तलाक़ें दीं तो हुजूर (सल्ल0) ने उसे एक क़रार दिया ये रिवायत ज़ईफ़ है क्योंकि असल वाक़ुआ इस तरह है कि नाफ़ैअ़ बिन उ़ज़ैर बिन यज़ीद बिन रुकाना से मरवी है कि ह़ज़रत रुकाना ने अपनी बीवी सुहेमा को तलाक़ बत्ता दी फिर हुजूर नबी करीम (सल्ल0) को इसकी ख़बर दी गई और ह़ज़रत रुकाना ने कहा अल्लाह की क़सम मैंने उससे एक तलाक़ का ही इरादा किया था तो हुज़ूर (सल्ल0) ने फ़रमाया क़सम से तूने सिर्फ़ एक का ही इरादा किया था तो ह़ज़रत रुकाना ने कहा अल्लाह की क़सम मैंने एक ही का इरादा किया था तो नबी अकरम (सल्ल0) ने उसकी बीवी को उस पर लौटा दिया था। (अबू दाऊद–सुनन–2/686–ह0–2206)

पस ये हदीस दलील है कि अगर तीन मुराद ली होती तो तीन ही वाक़ैअ़ होती वरना क़सम लेने के क्या माअ़नी और वो रिवायत जो मुख़ालिफ़ीन बयान करते हैं वो रिवायत ज़ईफ़ा है और ये रिवायत सह़ीह़ है जिसको हमने मुक़द्दम किया है और हो सकता है कि रिवायत ज़ईफ़ा वाले ने ये समझते हुये कि लफ़्ज़ बत्ता तीन तलाक़ का भी तक़ाज़ा करता है ये माअ़नी समझते हुये उसने तीन तलाक़ से रिवायत कर दी हालाँकि इसमें उन्होंने ग़लती की है।

इल्मी जवाबः— मुख़ालिफ़ीन के मज़कूरा तमाम दलाइल ग़ैर मुअ़तबर और ग़ैर मुस्तहकम हैं क्योंकि जिस हदीस को वो दलील बनाकर पेश करते हैं वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें रुकाना की क़सम का ज़िक्र है और ये ह़दीस क़वी और हुज्जत नहीं बन सकती क्योंकि सुनन अबू दाऊद में ही दूसरी एक और ह़दीस मौजूद है कि जिसमें अबू रुकाना ने उम्मे रुकाना को एक मजलिस में तीन तलाक़ें दी जिसको हुजूर (सल्ल0) ने एक क़रार देते हुये अबू रुकाना से फ़रमाया कि अपनी बीवी से रुजूअ़ कर लो इस तरह से दो हदीसों का मज़मून एक जैसा है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ों को हुजूर (सल्ल0) ने एक क़रार देते हुये रुजूअ़ की रग़बत दिलाई जबकि एक ह़दीस में क़सम लेने के बाअ़द तीन इकट्ठी तलाक़ों को एक की जानिब लौटाया तो वाज़ेह़ हुआ कि जब दो ह़दीसों के मज़मून के माअ़नी और मफ़हूम एक ही तरफ़ इशारा कर रहा हो तो फिर दो पर एक फ़ौक़ियत नहीं ले सकती जबकि सह़ीह़ और हक़ीक़त ये है कि एक पर दो हमेशा मुक़द्दम और क़वी होते है इस सरीह और वाज़ेह़ दलील से साबित हुआ कि हुजूर (सल्ल0) ने एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ क़रार देते और तीन इकट्ठी तलाक़ों को एक की जानिब लौटा देते थे। दूसरी ह़दीस मुन्दरजा ज़ैल है—

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से (एक तवील ह़दीस में) मर'वी है कि अबू रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी तो रसूले अकरम (सल्ल0) ने फ़रमाया कि तुम रुजूअ़ कर लो तो वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल मैंने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दी हैं फिर हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया कि मुझे ये माअ़लूम है तुम उससे रुजूअ़ कर लो और आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई—''इज़ा तल्लक़तुमुन निसाआ फ़तल्लिकू हुन्ना लि इ़द्दति हिन्ना''———(सू0—तलाक़—1) जब तुम अ़ौरतों को तलाक़ देना चाहो तो इ़द्दत के वक़्त तलाक़ दिया करो। (अबू दाऊद—सुनन—2/676—ह0—2196)
(अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक—अल मुसन्निफ़—6/390—ह0—11334)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/462—ह0—14986)
(अस्क़लानी—बुलूग़ुमराम—2/700—ह0—919)

मुहम्मद बिन अ़ब्बाद बिन जाफ़र बयान करते हैं कि मुझे मुत्तलिब बिन ह़न्तब ने बतलाया कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ बत्ता दी फिर वो ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि0) के पास आये और उनसे इस बात का तज़किरा किया तो आप (रज़ि0) ने फ़रमाया— किस बात ने तुम्हें ऐसा करने पर उभारा है कहते हैं कि मैने कहा अपने इरादे से ही किया है तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) ने फ़रमाया— कि अपनी बीवी को अपने पास ही रोके रखो क्योंकि एक तलाक़ रिश्ते को नहीं तोड़ती। (मुस्नद इमाम शाफ़ई—1/442)

फ़वाइद व मसाइलः— तलाक़ बत्ता यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रुजूअ़ का ह़क़ न रहे और बत्ता का माअनी काट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, जुदा कर देना है अ़हदे रिसालत में तलाक़ बत्ता का लफ़्ज़ एक ही मर्तबा तीन तलाक़ें देने के मफ़हूम में इस्तेमाल होता था इस एतवार से एक वक़्त में तीन तलाक़ें देना या तलाक़े बत्ता दोनों का मतलब एक ही है तलाक़ देने वाला ये कहे कि मैं तुझे तलाक़ बत्ता देता हूँ यानी ऐसी तलाक़ जिसमे रुजूअ़ नहीं यानी अपना तअ़ाल्लुक़ पूरी तरह से काटता हूँ इससे मुराद तीन तलाक़ या आख़री तीसरी तलाक़ है जिसके बाद बीवी जुदा हो जाती है।

तत्लीक़ सलासा मसले पर मुख़ालिफ़ीन जो दलाइल देते है वो ज़ईफ़, ग़ैर मुअ़तबर और बेबुनियाद हैं जिनमें चन्द मुन्दरजा ज़ैल हैं

-: मुख़ालिफ़ीन के दलाइल :-

दलील न0 1 :—

➡हज़रत उवैमिर (रज़ि0) हुजूर (सल्ल0) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुये और अ़र्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल फ़रमाइये कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी को पाये तो वो क्या करे उसे क़त्ल कर दे या फिर क्या करे तो हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया बिला शुबाह अल्लाह तअ़ाला ने तेरे और तेरे बीवी के मुअ़ामले में कुरान नाज़िल फ़रमां दिया पस जा और उसे ले आ चुनाँचा उन दोनो ने लिअ़ान किया जब वो दोनो फ़ारिग़ हो गये तो उवैमिर ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अब अगर मैं अब इसको अपने पास रखूँगा तो

(इसका मतलब ये होगा कि मैंने इसके बाबत झूठ बोला है हालाँकि मैंने इस पर झूठ नहीं बोला है) फिर हुजूर (सल्ल0) के हुक्म देने से पहले ही उवैमिर ने अपनी बीवी को तीन इकट्ठी तलाक़ें दे दीं (अबू दाऊद—सुनन—2/712—ह0—2245)

पस अब अगर कोई मज़कूरा हदीस को दलील बनाये और कहे कि हुजूर (सल्ल0) के सामने तीन तलाक़ें (इकट्ठी) दी गईं और हुजूर (सल्ल0) ने उसे एक तलाक़ की जानिब नहीं लौटाया।

जवाबः— इसका जवाब ये है कि लिआ़न दायमी तलाक़ के हुक्म में है लिआ़न के बाद जो जुदाई होती है वो तलाक़ मुग़ल्लिज़ा से भी ज़्यादा शदीद तर है लिआ़न मर्द के एक या तीन तलाक़ देने की क़तअ़न मुह़ताज नहीं बल्कि उन्होंने तीन तलाक़ देकर अपने दिल की भड़ास और गुस्सा ज़ाहिर किया लिआ़न के बाद बग़ैर तलाक़ के भी जुदाई हो जाती है लिआ़न के बाद उन (मियाँ—बीवी) के इकट्ठा होने की कोई सूरत नहीं बचती ह़त्ता कि लिआ़न की सूरत में औ़रत को मताअ़ भी नहीं दिया जाता और औलाद का नसब भी मुन्तक़िल हो जाता है।

दलील न0—2 :—

➡ ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) फ़रमाती हैं मुझे मेरे शौहर ने तीन तलाक़ें दीं तो हुजूर (सल्ल0) ने मेरे लिये (मेरे शौहर के ज़िम्मे) न रिहायश रखी और न नफ़क़ा (नसाई सुनन—2/464—ह0—3436)

पस मज़कूरा दलील से वाज़ेह़ है कि नबी करीम (सल्ल0) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की तीन तलाक़ों को तीन ही तसलीम किया अगर तीन की वजाय एक तसलीम की जाती तो ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को उसके शौहर की तरफ़ से नान व नफ़क़ा देने का हुक्म होता।

जवाबः— ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के शौहर ने ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को तीसरी और आख़िरी तलाक़ दी थी जो कि अगले सफ़ाह पर मज़कूर है—

ह़ज़रत अबू अम्र बिन हफ़्स ह़ज़रत अ़ली रज़ि0 के साथ यमन गये और अपनी बीवी फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को कहला भेजा एक तलाक़ जो उसकी तलाक़ों में बाक़ी थी (यानी दो पहले दी जा चुकी थीं) और हारिस व अ़य्याश दोनों को कहा कि वो उन्हें नफ़क़ा दें उन दोनों ने फ़ातिमा से कहा कि तुम्हारे लिये कोई नफ़क़ा नहीं इल्ला ये कि तुम ह़ामला होती फिर वो रसूलुल्लाह की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुई और उनसे ह़ारिस वग़ैराह की बात का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया—तुझको नफ़क़ा नहीं और उन्होंने दूसरे घर चले जाने की इजाज़त चाही आप (सल्ल0) ने फ़रमाया—इब्ने उम्मे मक्तूम के घर चली जा वो नाबीना हैं। (मुस्लिम—सह़ीह—3/179—ह0—3704)

मज़कूरा ह़दीस से वाज़ेह और साबित हुआ कि ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के शौहर ने तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ औक़ात में दी थीं और रहा सुवाल नान व नफ़क़ा का तो इसमें असहाब का इख़्तिलाफ़ है ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) तीन तलाक़ वाली को नान व नफ़क़ा दिलवाते थे और फ़रमाते थे कि हम नहीं छोड़ते अल्लाह की किताब और अपने नबी की सुन्नत एक औ़रत के क़ौल से कि हमको माअ़लूम नहीं कि उसने याद रखा या भूल गई और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की इस बात का इन्कार किया कि मुतल्लक़ा (तलाक़ याफ़्ता) को नफ़क़ा व सकना नहीं मिलेगा।

मज़कूरा अह़ादीस व दलाइल से साबित हुआ कि हुज़ूर (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक में तीन इकट्ठी तलाक़ें एक ही क़रार पाती थीं और उन्हें रुजूअ़ की तरफ़ रग़बत दिलाई जाती थी हुज़ूर सल्ल0 की ख़िदमत में तीन तलाक़ के जितने भी मुआ़मले पेश हुये उनमें तीन मुताफ़र्रिक औक़ात में दी हुईं तीन तलाक़ों को तीन ही शुमार किया गया और तीन इकट्ठी तलाक़ों को एक ही शुमार किया गया व किसी ह़दीस में सरीह़ तौर पर इस बात का खुलासा नहीं है कि तीन इकट्ठी तलाक़ों को हुज़ूर (सल्ल0) ने तीन ही तसलीम किया हो जबकि इस बात का वाज़ेह़ बयान और खुलासा कई अह़ादीस में मज़कूर है कि एक वक़्त में दी हुईं इकट्ठी तीन तलाक़ों को हुज़ूर (सल्ल0) ने एक तलाक़ रजई क़रार दिया।

उ़म्मत के लिये शरअ़ई हुज्जत सिर्फ़ और सिर्फ़ हुजूर नबी करीम (सल्ल0) का मुबारक दौर है जब शरीअ़त नाज़िल और मुकम्मल हुई ह़ज़रत इमाम मालिक (रह़0) फ़रमाते हैं इस उ़म्मत का आख़िरी दौर भी उसी से इस्लाह पज़ीर होगा कि जिसके ज़रिये से उसके अव्वल की इस्लाह हुई थी अ़हदे रिसालत हुजूर (सल्ल0) व अ़हदे अबू बक्र सिद्दीक़ और अ़हदे उ़मर (रज़ि0) के इब्तिदाई दो तीन साल तक एक मजलिस की तीन तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था इसलिये यही मौक़िफ़ सह़ीह़ और बेहतर है और मसला–ए–तत्लीक़ सलासा पर अ़वाम की इस्लाह का ह़ल भी यही है मगर अक्सर लोग तलाक़ के सुन्नत तरीक़े से बे ख़बर होने के सबब एक वक़्त में तीन तलाक़ें देते है इसलिये तीन इकट्ठी तलाक़ों को एक ही शुमार करने का शरअ़ई कानून नाफ़िज़ किया जाये और मर्द को रुजूअ़ का ह़क़ दिया जाये ये उ़म्मते मुस्लिमा के ह़क़ में बेहतर है

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

फिर अगर किसी अम्र में तुम बाहम इख़्तिलाफ़ करने लगो तो उस अम्र को अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दिया करो अगर तुम अल्लाह पर और योमे क़यामत पर ईमान रखते हो ये उमूर सब से बेहतर हैं और इनका अन्जाम खुशतर है। (सूरह–निसा–59)

–: ह़लाला शरअ़ई :–

फ़इन तल्लक़ाहा फ़ला तहि़ल्लूलहू मिमबाअ़दि ह़त्ता तन्किह़ा ज़ोजन ग़ैराह0——————————————————(सूरह–बक़राह–230)

तर्जुमा– फिर अगर उसने (तीसरी मर्तबा) तलाक़ दे दी तो उसके बाअ़द वो उसके लिये ह़लाल न होगी यहाँ तक कि वो किसी और के साथ निकाह़ कर ले फिर अगर वो (दूसरा शौहर) भी तलाक़ दे दे तो अब इन दोनों (यानी पहला शौहर और उसकी बीवी) पर कोई गुनाह न होगा वो (दोबारा रिश्ता ज़ोजियत में) पलट जायें।

➡ हुजूर नबी करीम (सल्ल0) ने लाअ़नत फ़रमाई गुदवाने वाली पर और बालों में बाल मिलाने वाले और मिलाने वाली पर और सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले पर और ह़लाला करने वाले पर

और जिसके लिये ह़लाला किया जाता है उस पर लाअ़नत फ़रमाई
(नसाई —सुनन—2/469—ह0—3448)
(बैहक़ी— सुनन कुबरा—90/155—ह0—14185)

वज़ाहत:— मज़कूरा बाला ह़दीस का मफ़हूम इस तरफ़ इशारा कर रहा है कि जिस ह़लाले की नियत दुरस्त न हो यानी वो ह़लाला जो ह़ीला और फ़रेब पर मुश्तमिल हो तो वो अ़ल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक लाअ़नती व ना पसंदीदा फ़ेअ़ल है मसलन अगर कोई शख़्स किसी मुतल्लक़ा (तलाक़ याफ़्ता) अ़ौरत से इस नियत और इरादे के साथ निकाह़ करे कि बाद मुबाशरत उसको तलाक़ दे देगा ताकि मुतल्लक़ा अ़ौरत अपने पहले ख़ाविन्द के लिये ह़लाल हो जाये तो ऐसा ह़लाला करने वाले और जिसके लिये ह़लाला किया गया हो उन दोनो पर अल्लाह व उसके रसूल की लाअ़नत है और जो मर्द या अ़ौरत सिर्फ़ ह़लाला की नियत से निकाह़ करे वो अल्लाह तआ़ला और उसके हबीब (सल्ल0) की लाअ़नत का मुस्तह़िक़ है और अगर कोई मर्द या अ़ौरत ह़लाला की नियत से निकाह़ न करे बल्कि ता उ़म्र आबाद रहने की नियत और रग़बत से निकाह़ करे और इत्तफ़ाक़न तलाक़ हो जाये तो वो इस लाअ़नत से ख़ारिज़ है।

अक्सर उ़लमा एक वक़्त की तीन तलाक़ों को तीन ही वाक़ैअ़ क़रार देते हुये मियाँ बीवी के दरमियान तफ़रीक़ (जुदाई) का फ़ैसला जारी कर देते है या फिर मर्द को ह़क़े रुजूअ़ से मह़रुम करते हुये ह़लाला शरअ़ई करने की राय देते हैं जबकि आजकल राइज फ़ेअ़ले ह़लाला ग़ैर शरअ़ई बुनियादों और ह़ीला व फ़रेब पर मबनी व ग़ैर शरअ़ई उमूर पर मुश्तमिल होता है यानी निकाह़ इस गरज़ और नियत से किया जाये कि अ़ौरत पहले ख़ाविन्द के लिये ह़लाल हो जाये तो ऐसा निकाह़ महज़ बातिल है और ऐसा ह़लाला सिर्फ़ ज़िना है जिसकी ह़दीस पाक में कसरत से मज़म्मत आई है अलबत्ता निकाह़ रग़बत और ता उ़म्र साथ ज़िन्दगी गुज़ारने और आबाद रहने की नियत से किया जाये फिर इत्तफ़ाक़न तलाक़ हो जाये या ख़ाविन्द की वफ़ात हो जाये तो ऐसा ह़लाला दुरस्त और सह़ीह़ है और इसी को ह़लाला शरअ़ई कहते हैं।

—: ह़लाला की मज़म्मत में चन्द अहादीस :—

➡ह़ज़रत मौला अ़ली अ़लैहिस्सलाम फ़रमाते हैं नबी करीम (सल्ल0) ने ह़लाला करने वाले और कर'वाने वाले पर लाअ़नत फ़रमाई और ह़लाला करने वाले और कर'वाने वाले दोनों मलऊन हैं।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/154—ह0—14183)
(अबू दाऊद—सुनन—2/591—ह0—2076)

➡ह़ज़रत जाबिर व ह़ज़रत मौला अ़ली (रज़िअल्लाहु तआ़ला अन्हुमा) फ़रमाते हैं कि नबी अकरम (सल्ल0) ने ह़लाला करने वाले और कर'वाने वाले पर लाअ़नत फ़रमाई है। (तिमिर्ज़ी—1/616—ह0—1119)
(इब्ने माजा—सुनन—2/48—ह0—1935)

➡ ह़ज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल0) ने फ़रमाया—क्या मैं तुम्हें उधार लाये गये साँड के बारे में बयान न करुँ तो सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्यों नहीं वो कौन हैं आप (सल्ल0) ने फ़रमाया ह़लाला करने वाला नीज़ फ़रमाया—अल्लाह तआ़ला ने ह़लाला करने वाले व ह़लाला कर'वाने वाले पर लाअ़नत फ़रमाई है। (इब्ने माजा—सुनन—2/48—ह0—1936)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/156—ह0—14187)
(ह़ाकिम—अल मुस्तदरक—2/238—ह0—2863,2864)

➡एक शख़्स इब्ने उ़मर (रज़ि0) के पास आया व ऐसे आदमी के बारे में सुवाल किया जिसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं थीं तो उसके भाई ने बग़ैर मशवरे से उस औ़रत से शादी कर ली ताकि अपने भाई के लिये ह़लाल कर दे तो क्या वो पहले शौहर के लिये ह़लाल है तो आपने फ़रमाया—नहीं मगर निकाह़ रग़बत से हो वरना ऐसे निकाह़ को हम हुजूर (सल्ल0) के अ़हदे मुबारक में ज़िना शुमार करते थे। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/156—ह0—14189)
(ह़ाकिम—अल मुस्तदरक—2/238—ह0—2865)

➡ अ़ब्दुल मलिक बिन मुग़ीरा ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि0) से नक़ल फ़रमाते हैं कि उनसे औ़रत को ख़ाविन्द के लिये ह़लाल करने के—

बारे में पूछा गया तो हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि0) ने फ़रमाया—कि ये ज़िना है। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/156—ह0—14190)

➡ क़बीसा बिन जाबिर फ़रमाते हैं ह़ज़रत उ़मर फ़ारुक़ (रज़ि0) ने फ़रमाया—जो ह़लाला करने और करवाने वाला मेरे पास लाया गया तो मैं उन दोनों को रज्म करुँगा (रज्म यानी पत्थर मार—मार कर हलाक करना, मार डालना, संगसार करना)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/156—ह0—14191)

➡एक शख़्स ह़ज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि0) के दौरे ख़िलाफ़त में उनके पास आया और अ़र्ज़ किया कि मेरे हम साये ने अपनी बीवी को गुस्से की ह़ालत में तलाक़ दे दी है और अब वो परेशान है मैंने इरादा किया और मैंने उस औ़रत से शादी कर ली है ताकि वो पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो जाये और उसके पास वापस चली जाये तो ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि0) ने फ़रमाया रग़बत से निकाह़ करो वरना दुरस्त नहीं। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/157—ह0—14192)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (सल्ल0) ने लअ़नत फ़रमाई ह़लाला करने वाले और ह़लाला करवाने वाले पर (इब्ने माजा—सुनन—2/47—ह0—1934)

➡ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला बिन मसऊद (रज़ि0) से मर'वी है कि नबी करीम (सल्ल0) ने ह़लाला करने वाले पर और कर'वाने वाले पर लाअ़नत फ़रमाई है (तिमिर्ज़ी—1/617—ह0—1121)(मिश्कात—2/132—ह0—3154) (दारमी—सुनन—2/190—ह0—2304)

➡ ह़ज़रत सुलेमान बिन यसार (रज़ि0) फ़रमाते हैं ह़ज़रत उ़स्मान बिन अ़फ़्फ़ान के पास एक आदमी का मुआ़मला लाया गया जिसने किसी औ़रत से निकाह़ इस ग़रज़ से किया था कि वो औ़रत को उसके ख़ाविन्द के लिये ह़लाल कर दे तो उन्होने दोनो में तफ़रीक़ करा दी और फ़रमाया—रग़बत से निकाह़ करो उसको अंधेरे में रखे बग़ैर। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/157—ह0—14193)

तशरीह :— जिस फ़ेअ़्ल पर अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (सल्ल0) लाअ़नत फ़रमायें तो वो फ़ेअ़्ल जाइज़ नहीं हो सकता मज़कूरा तमाम अहा़दीस इस बात पर दलालत करती है कि जिस निकाह़ में नियत और इरादा ये हो कि बाद मुबाशरत तलाक़ दूँगा ताकि औ़रत पहले मर्द के लिये ह़लाल हो जाये तो ऐसा निकाह़ मह़ज़ बातिल व फ़ासिद और नाजाइज़ व ह़राम है क्योंकि ह़राम व नाजाइज़ फ़ेअ़्ल के मुरतकिब पर ही अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की लाअ़नत होती है और किसी जाइज़ या मुबाह या सुन्नत फ़ेअ़्ल पर अल्लाह व रसूल की लाअ़नत का इमकान किसी सूरत नहीं हो सकता बाअ़ज़ उ़ल्मा फ़रमाते हैं अगर निकाह़ में आबाद रहने की रग़बत न हो तो इस तरह औ़रत पहले ख़ाविन्द के लिये ह़लाल नहीं होगी और ऐसा ह़लाला ग़ैर शरई व नाजाइज़ है और ग़ैर रग़बत से किया गया निकाह़ फ़ासिद और बातिल है।

यहाँ एक बात जो क़ाबिले तवज्जौ है वो ये कि ह़लाला शरअ़ई जो कुरान व सुन्नत से साबित है और औ़रत का पहले ख़ाविन्द की ज़ोजियत में जाने के लिये ह़लाला शर्त है तो जाइज़ व मुबाह अम्र पर लाअ़नत क्यों फ़रमाई गई हालाँकि शरीअ़त में किसी जाइज़ व मुबाह अम्र पर ना पसंदीदगी तो है मगर लाअ़नत नहीं है तो एक वो काम जो शरीअ़त में कुरान व सुन्नत के मुवाफ़िक़ जाइज़ भी हो और लाअ़नती भी हो ये कैसे मुम्किन हो सकता है तो इस इशक़ाल का जवाब ये है—

कि वो निकाह़ जो रग़बत और ता ज़िन्दगी आबाद रहने की नियत से किया जाये और फिर इत्तफ़ाक़न किसी अनबन या निबाह न होने की सूरत या दीगर कोई और सूरत के सबब शौहर तलाक़ दे दे या शौहर की वफ़ात हो जाये फिर वो औ़रत इ़द्दत से फ़ारिग़ होने के बाद पहले शौहर के लिये ह़लाल हो जायेगी इस सूरत को ह़लाला शरअ़ई कहते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ है और जिसका शरीअ़ते मुतह्रा ने हमें हुक्म दिया है और इस ह़लाला शरई के बाद औ़रत अपने पहले शौहर से निकाह़ करके उसकी ज़ोजियत में फिर से दाख़िल हो सकती है।

अगर निकाह़ में रग़बत और ता उ़म्र आबाद रहने की नियत न हो और निकाह़ महज़ इस ग़रज़ से किया जाये कि बाअ़द मुबाशरत तलाक़ देने के बाअ़द औ़रत पहले ख़ाविन्द के लिये ह़लाल हो जायेगी तो ऐसा निकाह़ फ़ासिद व बातिल और नाजाइज़ है और इस सूरत में ह़लाला शरअ़ई भी बातिल हो जाता है और ऐसे ह़लाले पर अल्लाह और उसके रसूल ने लअ़नत फ़रमाई है व ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि0) इस क़िस्म के ह़लाले को ज़िना शुमार करते थे और हुजूर (सल्ल0) ने ह़लाला करने वाले को उधार के साँड से ताबीर किया और ह़ज़रत उ़मर ने ह़लाला करने वाले और करवाने वाले के लिये रज्म की सज़ा मुक़र्रर की थी ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि0) ने ऐसे ह़लाले के बाअ़द किये गये निकाह़ के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान तफ़रीक़ करा दी तो ज़रा सोचो और ग़ौर करो कि हम लोगों को किस गन्दगी और गुनाह और बुराई की तरफ़ ढ़केल रहे हैं।

आज सूरते हाल ये है कि जब लोग एक वक़्त में तीन तलाक़ें दे देते हैं फिर उ़ल्मा से मसला पूछते हैं तो हमारे उ़ल्मा उन्हें ह़लाला की सलाह देते हैं हालाँकि अगर तीन इकट्ठी तलाक़ों को एक ही क़रार देते हुये फ़ैसला दिया जाने लगे जो कि कुरान व सुन्नत से साबित भी है तो सारे पेचीदा मसाइल ह़ल हो जायेंगे और ह़लाला की नोबत ही नहीं आयेगी और इसी में सब लोगों की भलाई और बेहतरी है क्योंकि जब एक वक़्त की तीन तलाक़ों को एक तलाक़ रजई शुमार किया जायेगा तो मर्द को रुजूअ़ का ह़क़ ह़ासिल होगा फिर अब अगर शौहर चाहे तो रुजूअ़ कर ले या चाहे तो छोड़ रखे बाद इ़द्दत औ़रत बाइना (जुदा) हो जायेगी और इस तरह ग़ैर शरई ह़लाला के इरतिकाब से लोग महफूज़ भी रहेंगे।

इसलिये तमाम उ़ल्मा ह़ज़रात को चाहिये कि इस मसले पर ख़ास तवज्जै दें और लोगों को तलाक़ का सुन्नत तरीक़ा बतायें और फिर भी अगर कोई जहालत या बेइ़ल्मी की वजह से तीन इकट्ठी तलाक़ें दे दे तो एक तसलीम करते हुये एक ही वाक़ैअ़ होने का फ़ैसला दें तो इशांअल्लाह लोगों के ज़हन में धीरे—धीरे ये बात अच्छी तरह बैठ जायेगी कि एक तलाक़ देने से भी तलाक़ हो जाती है और बीवी बाअ़द इ़द्दत अपने शौहर से जुदा हो जाती है

ताकि अ़वाम में एक तलाक़ देने की कसरत हो जाये यहाँ एक बात जो क़ाबिले ग़ौर है वो ये कि तीन इकट्ठी तलाक़ देने का गुनाह तो मर्द करे और सज़ा औ़रत को बाशक़्ले ह़लाला मिले तो क्या ये सह़ीह़ और दुरस्त और इन्साफ़ की बात है बल्कि ये तो ख़्वातीन पर जुल्म व ज़्यादती है।

—: बग़ैर ह़लाला पहले शौहर से निकाह़ जाइज़ नहीं :—

➡ ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि0) से मर'वी है उन्होने हुजूर (सल्ल0) से सुना कि एक शख़्स की एक बीवी थी तो उस बीवी को उसके शौहर ने तलाक़ दे दी फिर उस ख़ातून से दूसरे शख़्स ने भी बग़ैर हम बिस्तरी के उसको तलाक़ दे दी तो फिर उस ख़ातून ने पहले शौहर की तरफ़ दोबारा वापस जाना चाहा तो रसूलुल्लाह (सल्ल0) ने फ़रमाया ये मुम्किन नहीं जिस वक़्त तक वो ख़ातून उस दूसरे शौहर से सुहवत न कर ले। (नसाई—सुनन—2/468—ह0—3446)

फ़ायदा:— यानी जब तक दूसरा शौहर उस औ़रत से हम बिस्तरी न कर ले तब तक ह़लाला दुरस्त न होगा और औ़रत शौहर अव्वल के लिये ह़लाल न होगी और ह़लाले के बाअ़द औ़रत के इ़द्दत गुज़ारने के बाद ही शौहर अव्वल से निकाह़ जाइज़ व ह़लाल होगा

—: तलाक़े सुन्नत (कुरान की रोशनी में) :—

या अइयुहन नबीइयु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाआ फ़तल्लिक़ू हुन्ना लि इ़द्दति हिन्ना व अह़सुल इ़द्दाह0————————(सूरह—तलाक़—1) तर्जुमा—ऐ नबी (सल्ल0 मुसलमानों से फ़रमां दें) कि जब तुम औ़रतों को तलाक़ देना चाहो तो उनके तुहर के ज़माने में उन्हें तलाक़ दो और इ़द्दत को शुमार करो (पूरे तीन तुहर या तीन ह़ैज़)

सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ यही है कि ह़ालते तुहर (पाकी) में जिसमें जिमाअ़ (हम बिस्तरी) न किया हो एक तलाक़ दे और इस पर दो गवाह मुक़र्रर करे अगर कोई शख़्स एक तुहर मे चन्द तलाक़ों का इस्तेअ़माल करता है तो वो सरीह़ हुरमत का इरतिकाब करता है यानी कानूने खुदावन्दी को तोड़ता है।

लुग़त में तलाक़ के माअ़नी बन्द खोल देना और छोड़ देना है और शरीअ़त की इस्तिलाह़ में इसे तलाक़ कहते हैं कभी तलाक़ ह़राम होती है जैसे ख़िलाफ़े सुन्नत तलाक़ दी जाये मसलन ह़ालते ह़ैज़ में या ह़ालते तुहर में जिसमें मुबाशरत की हो या तीन तलाक़ एक ही मर्तबा दे देना और कभी तलाक़ मकरुह होती है कि जब बिला वजह महज़ शहवत या नई अ़ौरत की ख़्वाहिश में दी जाये और कभी वाजिब भी होती है जब बीवी और ख़ाविन्द में मुख़ालिफ़त इस ह़द तक पहुँच जाये कि उनमें बाहम किसी तरह मेल या निबाह न हो सके तो तलाक़ हो जाना मुनासिब है कभी तलाक़ मुस्तह़ब होती है जब अ़ौरत नेक चलन न हो और कभी मुबाह होती है जब नफ़्स अ़ौरत की तरफ़ ख़्वाहिश न करे।

—: तलाक़े सुन्नत (अह़ादीस की रोशनी में) :—

अक्सर अ़वाम तलाक़े शरअ़ई व सुन्नत तरीक़े से नावाक़िफ़ व अन्जान हैं और लोग सिर्फ़ इतना इ़ल्म रखते हैं कि एक तलाक़ देने से तलाक़ नहीं होती जब तक कि तीन इकट्ठी तलाक़ें न दी जायें इसके कई असबाब हैं जिनमें सबसे पहली वजह यह है कि अक्सर लोगों की तरजीह दुन्यावी ताअ़लीमात व दुन्यावी उ़लूम को ह़ासिल करने की जानिब है और दीनी ताअ़लीमात की तरफ़ अक्सर लोगों की तरजीह न के बराबर है हालाँकि इ़ल्मे दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द, अ़ौरत पर फ़र्ज़ है (इस इ़ल्म से मुराद वो इ़ल्म है जो हमारी ज़रुरियात और हाजात की ज़द में आते हैं) मसलन फ़िक़्ई उ़लूम व कुरान और अह़ादीस के वो उ़लूम कि जो हमारी ज़िन्दगी में ह़स्बे ज़रुरत वक़्तन फ़वक़्तन काम आते हैं और दूसरी वजह ये है कि हम अह्ले इ़ल्म का ज़रुरत के उ़लूम व मसाइल का अ़वाम तक न पहुँचाना भी शामिल है इसलिये अक्सर लोग अपनी ला इ़ल्मी के सबब कुरान व सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुये तलाक़ देते है और गुनाहगार होते है।

कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ तलाक़ का शरअ़ई तरीक़ा ये है कि जब अ़ौरत ह़ैज़ से पाक हो जाये यानी ह़ालते तहारत (पाकी) में एक बार तलाक़ दे बशर्ते इस तुहर में अ़ौरत से सुहवत (हम बिस्तरी) न

की गई हो और औ़रत को इ़द्दत (तीन हैज़) के लिये छोड़े रखे और जिसको हैज़ न आता हो उसकी इ़द्दत तीन माह है और अगर औ़रत ह़ामला है तो उस की इ़द्दत वज़अ़ ह़मल यानी बच्चा जनने तक है इस इ़द्दत के अन्दर ख़ाविन्द अगर अपनी बीवी से रजूअ़ करना चाहे तो बग़ैर बीवी की रज़ामन्दी से रजूअ़ कर सकता है और अपनी बीवी को फिर से अपनी ज़ोजियत में ले सकता है अगर इ़द्दत गुज़र जाये और रुजूअ़ न किया हो तो बाअ़द इ़द्दत औ़रत की रज़ामन्दी से जदीद अक़्दे निकाह़ कर सकता है और वो बीवी को फिर से अपनी ज़ोजियत में ले सकता है।

अब यहाँ ये ज़रुरी नहीं कि औ़रत से रिश्ता—ए—ज़ोजियत क़ताअ़ तअ़ाल्लुक़ करने के लिये एक महीने में एक तलाक़ फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक़ और तीसरे महीने में तीसरी तलाक़ दी जाये क्योंकि औ़रत एक तलाक़ के साथ अपनी इ़द्दत के बाद शौहर से बाइना (जुदा) हो जाती है तो फिर दूसरी और तीसरी तलाक़ देने का कोई माअ़ना और मतलब नहीं बनता एक तलाक़ मुअ़ल्लक़ रहती है यानी मर्द उस तलाक़ को वापस ले सकता है और अपनी बीवी के साथ फिर से रिश्ता—ए—ज़ोजियत क़ायम कर सकता है फिर ज़िन्दगी में दोबारा किसी वजह से मर्द ह़ालते तुहर में जिसमें जिमाअ़ (हम बिस्तरी) न किया हो एक तलाक़ दे देता है तो ये उसकी दूसरी तलाक़ शुमार की जायेगी इस तलाक़ मे भी उस मर्द पर वही तमाम शरअ़ई कानून जारी होंगे जो पहली तलाक़ के बाद हुये थे या इ़द्दत के दौरान रुजूअ़ करले या बाअ़द इ़द्दत औ़रत की रज़ामन्दी से नया निकाह़ करे।

फिर अगर मर्द ज़िन्दगी मे किसी मुतफ़र्रिक़ मौक़े पर ह़ालते तुहर में जिसमे जिमाअ़ न किया हो एक बार तलाक़ दे यानी तीसरी तलाक़ तो ये तलाक़ मुग़ल्लिज़ा वाक़ैअ़ होगी इस तलाक़ के बाअ़द किसी सूरत औ़रत अपने ख़ाविन्द की ज़ोजियत में दाख़िल नहीं हो सकती सिवाए ह़लाला शरअ़ई के यानी तलाक़ याफ़्ता औ़रत अपनी इ़द्दत से फ़ारिग़ होकर किसी दूसरे शख़्स से आबाद रहने की नियत व रग़बत से निकाह़ करे फिर निबाह न होने या दीगर असबाब की सूरत में इत्तफ़ाक़न दूसरा शौहर भी तलाक़ देदे और तलाक़ के बाद

रजूअ़ न करे या शौहर की वफ़ात हो जाये फिर इ़द्दत से फ़ारिग़ होकर फिर अगर औ़रत चाहे तो अपने पहले ख़ाविन्द की ज़ोजियत में बाहम रज़ामन्दी से जदीद अक़्दे निकाह़ व महर से दाख़िल हो सकती है तलाक़ का यही तरीक़ा सुन्नत है जो कुरान व अह़ादीस से साबित है अलबत्ता अगर कोई शख़्स ह़ालते हैज़ में या ह़ालते तुहर में जिसमें जिमाअ़ किया गया हो उसमे तलाक़ देता है तो वो तलाक़ शुमार की जायेगी हालाँकि ऐसी तलाक़ ख़िलाफ़े सुन्नत है और विदअ़त व ह़राम है।

—: तलाक़ से मुताअ़ल्लिक़ चन्द अह़ादीस :—

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला फ़रमाते हैं कि जो शख़्स सही माअ़ने में तलाक़ देना चाहता है तो उसे चाहिये कि सिर्फ़ एक तलाक़ देकर औ़रत को छोड़ दे और तीन हैज़ गुज़रने दे।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/373—ह0—18036)

➡ह़ज़रत जाबिर (रज़ि0) से सुवाल किया गया कि ह़ामला को कैसे तलाक़ दी जाये उन्होंने फ़रमाया कि एक तलाक़ देकर बच्चा जनने तक उसे छोड़े रखे। (इब्ने अबी शैबा—5/374—ह0—18045)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) फ़रमाते है तलाक़ चार वजूहात की बिना पर होती है दो वजह ह़लाल हैं और दो ह़राम हैं ह़लाल ये है कि आदमी ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें जिमाअ़ न किया गया हो नीज़ ह़मल वाज़ेह हो तब तलाक़ दे और ह़राम ये है कि औ़रत को हैज़ में तलाक़ दे या फिर जिमाअ़ वाले तुहर में तलाक़ दे और उसे माअ़लूम न हो कि रहम में औलाद है या नहीं।
(दार कुतनी—सुनन—3/241—ह0—3890)

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला बिन मसऊ़द (रज़ि0) से रिवायत है कि तलाक़ सुन्नत इस तरीक़े से है कि इन्सान बग़ैर जिमाअ़ किये औ़रत को पाकी की ह़ालत में एक तलाक़ दे फिर जिस वक़्त उसको हैज़ आ जाये और वो औ़रत पाक हो जाये तो फिर उस वक़्त उसको दूसरी तलाक़ दे दे फिर जिस वक़्त उसको हैज़ आ जाये और वो पाक हो

जाये तब उसको एक और तलाक़ (यानी तीसरी तलाक़) दे दे फिर उसके बाअ़द औ़रत एक हैज़ इ़द्दत गुज़ारे।
(इब्ने माजा–सुनन–2/81–ह0–2021) (नसाइ–सुनन–2/459–ह0–3426)

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि0) से रिवायत है कि उन्होने अपनी बीवी को ह़ालते हैज़ मे तलाक़ दी तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) ने रसूलुल्लाह सल्ल0 की ख़िदमत मे इस बात का तज़किरा किया यानी ये बात दरयाफ़्त की कि क्या ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि0) का ये तलाक़ देना दुरस्त है या नहीं तो आप (सल्ल0) ने हज़रत उ़मर (रज़ि0) से फ़रमाया–कि तुम अ़ब्दुल्लाह से ये बात बयान करो कि वो अपने क़ौल से रुजूअ़ करले यानी इस तलाक़ को तोड़ दे और वो उस औ़रत को अपनी ज़ोजियत में ले ले फिर उसको पाक होने तक छोड़ दे जिस वक़्त वो अपने हैज़ से पाक हो जाये और फिर दूसरी मर्तबा ह़ाइज़ा होकर पाक हो जाये फिर अगर उसका दिल चाहे तो वो सुहवत करने से पहले पहले उससे अ़लैह़दगी इख़्तियार करले और अगर छोड़ने को दिल ना चाहे तो रख ले इसलिये कि अल्लाह तआ़ला बुज़ुर्गी और इ़ज़्ज़त वाले ने ख़वातीन को उनकी इ़द्दत के मुताबिक़ तलाक़ देने का हुक्म फ़रमाया है व एक दूसरी रिवायत में है कि इस मौक़े पर आप (सल्ल0) ने ये आयत तिलावत फ़रमाई–या अइयुहन्नबीइयु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाआ़ फ़तल्लिक़ू हुन्ना लिइ़द्दति हिन्ना व अहसुल इ़द्दाह––यानी ऐ नबी (सल्ल0 मुसलमानों से फ़रमादें) कि जब तुम औ़रतों को तलाक़ देना चाहो तो उनके तुहर के ज़माने मे उन्हें तलाक़ दो और इ़द्दत को शुमार करो)। (नसाई–सुनन–2/457–ह0–3421)
(मुस्लिम–सह़ीह–4/93–ह0–3653)
(इब्ने माजा–सुनन–2/81–ह0–2019)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/647–ह0–1176)
(बुख़ारी–सह़ीह–7/28–ह0–5251)
(मुस्नद अह़मद–3/18–ह0–4500)
(अबू दाऊद–सुनन–2/666–ह0–2182)
(दार कुतनी–सुनन–3/245–ह0–3903)
(दारमी सुनन–2/194–ह0–2308)

-: तलाक़ व रुजूअ़ पर गवाह बनाना :-

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
फ़ इज़ा बलग़ना अजालाहुन्ना फ़ अम्सिकू हुन्ना बि मअ़रुफ़िन औ फ़ारिकू हुन्ना बि माअ़रुफ़ियों व अशहिदू ज़वी अ़दलिम मिनकुम व अक़ी मुश्शहादता लिल्लाहि0-(सूरह-तलाक़-65/2)

तर्जुमा- फिर जब वो अपनी मुक़र्ररा मियाद (के ख़त्म होने) के क़रीब पहुँच जायें तो उन्हे भलाई के साथ (अपनी ज़ोजियत में) रोक लो या उन्हें भलाई के साथ जुदा कर दो और अपनो में से दो आ़दिल मर्दों को गवाह बनालो और गवाही अल्लाह के लिये क़ायम किया करो।

➡ ह़ज़रत इमरान (रज़ि0) से सुवाल किया गया कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देता है फिर उससे मुबाशरत कर लेता है मगर तलाक़ देने या उससे रुजूअ़ करने पर गवाह नहीं बनाता तो उन्होंने कहा कि उसने ख़िलाफ़े सुन्नत तलाक़ दी और ख़िलाफ़े सुन्नत ही रुजूअ़ किया बीवी को तलाक़ देते वक़्त गवाह बनाओ और रुजूअ़ के वक़्त भी गवाह बनाओ।
(अबू दाऊद-सुनन-2/670-ह0-2186)
(बैहक़ी-सुनन कुबरा-9/542-ह0-15189)
(इब्ने अबी शैबा-अल मुसन्निफ़-5/380-ह0-18082)

-: औ़रत को तलाक़ का इख़्तियार देना :-

➡उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से रिवायत है नबी करीम (सल्ल0) ने अपनी अज़वाज मुतह्रात (रज़ि0) को इख़्तियार दे दिया और इख़्तियार देने से उनको तलाक़ नहीं हुई इसलिये कि जिस वक़्त उनको इख़्तियार दे दिया गया तो उन्होंने हुजूर (सल्ल0) को इख़्तियार वापस कर दिया।
(नसाई—सुनन—2/481—ह0—3474)
(तिर्मिज़ी—सुनन—1/650—ह0—1179)
(बुख़ारी—सह़ीह—7/40—ह0—5262)
(अबू दाऊद—सुनन—2/685—2203)

फ़वाइद व मसाइलः— जिस वक़्त किसी औ़रत को उसका शौहर ये इख़्तियार दे दे यानी औ़रत से इस तरीक़े से कहे कि तुझे मेरी तरफ़ से इख़्तियार है अगर तू मेरी तरफ़ से तलाक़ चाहती है तो तू तलाक़ वाक़ैअ़ करले इस पर औ़रत कहे कि मैं तुमको छोड़कर नहीं जाती या मैं तलाक़ नहीं चाहती या इस इख़्तियार को तुम्हें वापस करती हूँ तो औ़रत पर किसी क़िस्म की तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होगी।

दूसरी सूरत ये है कि औ़रत अपने शौहर से ह़क़े तलाक़ ह़ासिल कर ले यानी शौहर अपनी बीवी को इस तरह ह़क़े तलाक़ सपुर्द कर दे और वो कह दे कि मेरी तरफ़ से तुझको अपने ऊपर तलाक़ का ह़क़ ह़ासिल है तो इस सूरत में ख़ाविन्द जिस क़दर तलाक़ का ह़क़ देगा औ़रत को उसी क़दर तलाक़ का ह़क़ ह़ासिल होगा और औ़रत अपने शौहर की तरफ़ से दिये गये ह़क़े तलाक़ के मुताबिक़ अपने ऊपर तलाक़ वाक़ैअ़ कर सकती है।

-: तलाक़ कहलाकर भेजने से तलाक़ हो जाती है :-

➡ हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) से रिवायत है बयान करती हैं कि मुझको मेरे शौहर ने तलाक़ कहलवाकर भेजी फिर मैंने अपने कपड़े ओढ़ लिये और मैं ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुई तो हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया तुझको तेरे शौहर ने कितनी तलाक़ें दी हैं मैंने अर्ज़ किया तीन तलाक़ें दी हैं इस पर हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया तुम्हारे वास्ते नान और नफ़क़ा यानी औरत का ख़र्चा तुम्हारे शौहर की जानिब से नहीं मिलेगा फिर आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि तुम अपने चचाज़ाद भाई के घर पर यानी अब्दुल्ला बिन मक्तूम के घर इद्दत गुज़ारो क्योंकि वो एक नबीना शख़्स है फिर जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाये तो तुम उस वक़्त मुझको मुत्तलाअ़ करना। (नसाई—सुनन—2/470—ह0—3450) (इब्ने हिब्बान—5/325—ह0—4289)

फ़वाइद व मसाइलः— तलाक़ ज़बानी, तहरीरी, या किसी शख़्स के ज़रिये कहलाकर भेजने से तलाक़ वाक़ैअ़ हो जाती है।

—: हंसी मज़ाक़ मे तलाक़, निकाह़ व रजअ़त का बयान :—

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि0) से मरवी है नबी अकरम (सल्ल0) ने फ़रमाया—तीन बातों में मज़ाक़ भी ऐसा होता है जैसे हक़ीक़त और हक़ीक़त में कहना तो (बहरहाल) हक़ीक़ी तौर पर मुतासव्विर होता है (1) निकाह़ (2) तलाक़ (3) रजअ़त। (इब्ने माजा—सुनन—2/93—ह0—2039) (तिर्मिज़ी—1/653—ह0—1184) (अबू दाऊद—सुनन—2/675—ह0—2194) (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/466—ह0—14993)

—: वक़्त मुक़र्रेरा या किसी अम्र के बाइस तलाक़ का बयान :—

➡हज़रत अ़ब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ि0 ऐसे शख़्स के बारे मे नक़ल फ़रमाते हैं जिसने अपनी बीवी से कहा अगर उसने ये और ये काम किया तो उसे तलाक़ अगर वो ये काम कर लेती है तो फ़रमाते हैं

तो उसको एक तलाक़ होगी और ख़ाविन्द रुजूअ़ का हक़ रखता है (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/504—ह0—15090)

➡ हम्माद बिन सुलेमान, हज़रत इब्राहीम से ऐसे शख़्स के बारे में बयान करते हैं कि जो अपनी बीवी से कहता है कि एक साल के बाद उसे तलाक़ फ़रमाते हैं कि ये उसकी बीवी है उसका ख़ाविन्द एक साल तक उससे फ़ायदा उठा सकता है (और एक साल के बाअ़द उस औ़रत को एक तलाक़ वाक़ैअ़ हो जायेगी)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/504—ह0—15091)

फ़वाइद व मसाइलः— अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से कहे कि अगर तू फुलाँ के घर गई या तूने फुलाँ काम किया तो तुझको तलाक़ तो अगर बीवी ने फुलाँ काम किया या फुलाँ के घर गई तो उसे एक तलाक़ वाक़ैअ़ हो जायेगी या ख़ाविन्द अपनी बीवी से कहे कि रमज़ान या फुलाँ महीने में तुझको तलाक़ तो जब वो महीना शुरू होगा तो उसकी बीवी को एक तलाक़ पड़ जायेगी।

—: नशे में मुब्तिला शख़्स की तलाक़ :—

उन हज़रात का बयान जिनके नज़दीक नशे की हालत में तलाक़ वाक़ैअ़ हो जाती है—
➡हज़रत मुजाहिद हज़रत इब्राहीम हज़रत हसन हज़रत सईद बिन मुसइयब, हज़रत अ़ब्दुल रहमान बिन हरमला, हज़रत मैमून, हज़रत सुलेमान बिन यसार, हज़रत ज़हरी, हज़रत शअ़बी, हज़रत हकम, हज़रत शुरैत (रह0) ने नशे में मुब्तिला शख़्स की तलाक़ को वाक़ैअ़ क़रार दिया (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/412—ह0—18358)

उन हज़रात का बयान जिनके नज़दीक नशे की हालत में तलाक वाक़ैअ़ नहीं होती—
➡हज़रत उ़समान, हज़रत जाबिर बिन ज़ैद हज़रत अकरमा हज़रत अ़ता, हज़रत ताऊस, हज़रत क़ासिम, हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह0) के नज़दीक नशे की हालत में दी हुई तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती। (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/413—ह0—18275)

हा़सिल नतीजा :— हा़लते नशा इस ह़द तक पहुँच जाये कि मर्द अपने होश व हवास मे न रहे और उसकी अ़क्ल इस क़दर ज़ाइल हो जाये कि इन्तिहा को पहुँच जाये तो इस सूरत में दी हुई तलाक़ वाक़ैअ़ न होगी और अगर ये सूरत न पायी जाये तो तलाक़ वाक़ैअ़ हो जायेगी।

—: ज़बरदस्ती या भूलकर तलाक़ देने का बयान :—

इरशादे बारी तअ़ाला हैः—
जिसे मजबूर किया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमईन है— (सूरह—नहल—106)

➡ हज़रत अबूज़र ग़फ़्फ़ारी (रज़ि0) से मरवी है कि रसूले अकरम (सल्ल0) ने फ़रमाया कि अल्लाह तअ़ाला ने मेरी उ़म्मत से भूलचूक और ज़बरदस्ती को मुअ़ाफ़ फ़रमां दिया है।
(इब्ने माजा—सुनन—2/94—ह0—2043)

➡ ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि0) से मरवी है कि नबी करीम (सल्ल0) ने फ़रमाया— अल्लाह तअ़ाला ने दर गुज़र फ़रमाया—मेरी उ़म्मत से उस काम (वसवसों) को जो उनके दिलों में आयें लेकिन वो उन पर अ़मल पैरा न हों या जुबान से ज़ाहिर न हों।
(इब्ने माजा—सुनन—2/94—ह0—2044)
(अबू दाऊद—सुनन—2/688—ह0—2209)

सही़ह बुख़ारी की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि क़तादा (रज़ि0) ने कहा कि अगर किसी ने (अपनी बीवी को) अपने दिल में तलाक़ दे दी तो उसका एतवार नहीं होगा जब तक वो जुबान से न कहे।
(बुख़ारी—सही़ह—7/49—ह0—5269)

➡ उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से मरवी है हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया—ज़बरदस्ती (करने की सूरत में) तलाक़ व अ़ताक़ (आज़ादी) नहीं है। (इब्ने माजा—सुनन—2/95—ह0—2046)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/506—ह0—15097)

—: वालिद के हुक्म पर बेटे को चाहिये बीवी को तलाक़ दे दे :—

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि मेरे निकाह़ में एक औ़रत थी और मैं उससे मुहब्बत करता था और मेरे वालिद (ह़ज़रत उ़मर रज़ि0) उसको बुरा जानते थे आख़िर उन्होंने हुजूर (सल्ल0) से ज़िक्र किया तो आप (सल्ल0) ने मुझे हुक्म दिया कि उस औ़रत को तलाक़ दे दो फिर मैंने उसे तलाक़ दे दी।
(इब्ने माजा—सुनन—2/112—ह0—2088)
(तिर्मिज़ी—सुनन—1/655—ह0—1189)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/423—ह0—14893)
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/606—ह0—19397)

—: पागल, ना बालिग़, व सोने वाले की तलाक़ :—

➡ ह़ज़रत मौला अ़ली अ़लै0 से मर'वी है कि नबी करीम (सल्ल0) ने इरशाद फ़रमाया—तीन तरह के लोगों से क़लम उठा लिया गया (1) ना बालिग़ (2) दीवाने से (3) और सोने वाले से।
(इब्ने माजा—सुनन—2/94—ह0—2042)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/510—ह0—15109)

➡ ह़ज़रत अ़ब्दल्लाह बिन उ़मर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) की तहरीर में ये देखा कि जब आदमी फ़िज़ूल ह़रकात करे तो उसका वली उसकी तरफ़ से तलाक़ दे सकता है।
(दार कुतनी—सुनन—3/289—ह0—4052)
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/407—ह0—18230)

➡ इब्ने शुऐब (रह़0) बयान करते हैं कि ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि0) की ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला बिन उ़मर (रज़ि0) के नाम तहरीर में हमने ये पढ़ा कि जब दीवाना (पागल) अपनी बीवी को तंग करे तो उसके वली को ये हुक्म है कि (उसकी जगह) वो खुद तलाक़ दे दे। (दार कुतनी—सुनन—3/289—ह0—4053)

-: अगर मर्द तलाक़ का इन्कारी हो :-

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन अल्आ़स (रज़ि0) से मरवी है कि जब औ़रत ये दाअ़वा करे कि उसके शौहर ने तलाक़ दे दी है और तलाक़ पर एक मुअ़तबर शख़्स को गवाह भी बनाये तो उसके ख़ाविन्द को क़सम दी जायेगी और अगर वो क़सम खाले कि मैंने तलाक़ नहीं दी तो उस गवाह की गवाही बातिल हो जायेगी और अगर वो शौहर क़सम न खाये तो उसका क़सम से इन्कार करना दूसरे गवाह के मिस्ल होगा। और तलाक़ मुअ़स्सिर (असर करने वाली) हो जायेगी। (इब्ने माजा—सुनन—2/93—ह0—2038)

तू अपने घर वालो में जाकर रह कहने से तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती

➡ हज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन कअ़ब (रज़ि0) से रिवायत है कि मैंने हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ि0 से सुना वो अपना उस वक़्त का हाल बयान करते हैं जिस वक़्त वो नबी करीम (सल्ल0) को ग़ज़्बा—ए—तबूक में छोड़कर गये थे रावी बयान करते हैं कि फिर उन्होंने पूरा वाक़्आ़ हज़रत काअ़ब बिन मालिक (रज़ि0) से नक़ल फ़रमाया और वो फ़रमाने लगे मेरे पास जिस वक़्त नबी करीम (सल्ल0) का क़ासिद हाज़िर हुआ और उसने मुझसे कहा कि हुज़ूर (सल्ल0) ने तुम्हारे वास्ते ये हुक्म फ़रमाया है कि तुम अपनी बीवी से किनारा कशी इख़्तियार कर लो हज़रत क़ाअ़ब (रज़ि0) ने दरयाफ़्त किया कि किनारा करने से क्या मुराद और मक़सद है क़ासिद ने कहा कि तलाक़ देना मुराद नहीं है बल्कि अ़लैह़दा रहने के लिये हुक्म फ़रमाया है और उसके नज़दीक जाने से मना फ़रमाया है ह़ज़रत काअ़ब बिन मालिक रज़ि0 फ़रमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम जाओ और अपने घर वालो के पास जाकर रहो और तुम वहाँ से मेरे पास न आना जब तक कि अल्लाह तबारक व तआ़ला इस मसले में कोई हुक्म सादिर न फ़रमां दे।
(नसाई—सुनन—2/473—ह0—3455)

फ़वाइद व मसाइलः— अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से कहे कि तू अपने घर वालों मे जाकर रह तो उसके ये कहने से तलाक़ नहीं होती जब तक कि तलाक़ की नियत न हो या फिर इस जुमले से मिलता जुलता जुमला मसलन कहे कि तू अपने घर वालों में मिल जा या तू अपने घर जा और यहाँ न आना वग़ैराह कहे तो अगर नियत तलाक़ न हो तो तलाक़ वाक़ैअ़ न होगी और अगर मज़कूरा जुमलों मे नियत तलाक़ हो तो तलाक़ वाक़ैअ़ हो जायेगी।

—: औ़रत को अपने ऊपर ह़राम करना :—

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मर'वी है कि एक शख़्स उनके पास ह़ाज़िर हुआ और उसने अ़र्ज़ किया कि मैने अपनी अहलिया (बीवी) को अपने ऊपर ह़राम कर लिया है तो ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने फ़रमाया कि तू झूठ बोल रहा है वो औ़रत तुम्हारे लिये ह़राम नहीं है फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई 'या अइयुहन्न बीइयु लिमा तुह़र्रिमू मा अह़ल्लल्लाहु लक—————————————— (सूरह—तहरीम—66/1) और फ़रमाया कि तुम्हारे वास्ते लाज़िम है कि एक सख़्त कफ़्फ़ारा यानी एक गुलाम आज़ाद करना (नसाई—सुनन —2/471—ह0—3452) (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/491—ह0—15057)

वज़ाह़तः— मज़कूरा बाला ह़दीस पाक के आख़िर में गुलाम आज़ाद करने से मुताअ़ल्लिक़ इरशाद फ़रमाया गया है तो इसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारे ज़िम्मे एक सख़्त क़िस्म का कफ़्फ़ारा अदा करना लाज़िम है और ये कफ़्फ़ारा दूसरे कफ़्फ़ारों से ज़्यादा सख़्त व गिरां है और ये आयत करीमा का ह़ासिल मफ़हूम ये है कि तुम्हारे किसी चीज़ के ह़राम करने से कोई चीज़ ह़राम नहीं हो जाती अलबत्ता तुम्हारे ऐसे अ़मल से तुम पर एक कफ़्फ़ारा लाज़िम हो जाता है।

मसलाः— अगर कोई शख़्स गुलाम आज़ाद करने की क़ुदरत न रखता हो तो वो दो महीने रोज़े रखे और अगर इसकी भी ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये क़ब्ल अपनी बीवी से मुबाशरत के।

-: फ़स्ख़े निकाह़ :-

औ़रत या मर्द के मुतालबा करने पर बाअ़ज़ असबाब के तह़त क़ाज़ी मियाँ बीवी के दरमियान अ़लैह़दगी का फ़ैसला कर सकता है इस अ़लैह़दगी को शरीअ़त की इस्तिलाह़ में फ़स्ख़े निकाह़ कहते हैं।

फ़स्ख़े निकाह़ चन्द सूरतों और वुजूहात के तह़त किया जाता है मसलन ख़ाविन्द नामर्द हो या ऐसी बीमारी में मुब्तिला हो जो मर्द से औ़रत में भी आने का अंदेशा हो मसलन छुआ छूत की बीमारी में मुब्तिला हो जो तमाम हदों से बढ़ने वाली हो या ख़ाविन्द लापता (ग़ायब) हो जाये और साल बीत जाये और उसका कहीं भी पता न चले या ख़ाविन्द लम्बे अ़रसे के लिये जेल में क़ैद कर दिया जाये या ख़ाविन्द औ़रत को नान नफ़क़ा न देता हो या बिला वजह किसी बुरे फ़ेअ़ल के सबब बीवी को अज़ि़यत पहुँचाता हो शौहर या अपनी बीवी का ह़क़े ज़ोजियत अदा न करता हो या नापसंदी के सबब अपनी बीवी से सुहवत न करता हो या शौहर ईला या ज़िहार करे और चार माह की मुद्दत के अन्दर अपनी क़सम से रुजूअ़ न करे या ख़ाविन्द और बीवी में लिआ़न हो या फिर किसी ख़ातून की शादी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कर दी गई हो और उसे अपना शौहर पसंद न हो या मियाँ बीवी में इंतिहाई नफ़रत हो वग़ैराह।

या मज़कूरा मर्द की बीमारियों के मिस्ल औ़रत में बीमारियाँ पायी जाती हों या औ़रत मुबाशरत करने की अह्ल न हो वग़ैराह इन तमाम सूरतों में क़ाज़ी मियाँ बीवी के दरमियान अ़लैह़दगी का फ़ैसला देकर निकाह़ फ़स्ख़ कर देगा फ़स्ख़ का माअ़नी तोड़ देना, मन्सूख़ कर देना, बातिल कर देना है फ़स्ख़े निकाह़ की सूरत में अ़लैह़दगी तलाक़े बाइन के हुक्म में है सिवाए लिआ़न के क्योंकि लिआ़न के बाद अ़लैह़दगी दायमी तलाक़ के हुक्म में है जिसके बाद किसी सूरत निकाह़ जाइज़ नहीं होता और क़ाज़ी से फ़स्ख़े निकाह़ का मुतालबा मर्द व औ़रत दोनो में से कोई भी कर सकता है और क़ाज़ी ख़ाविन्द व बीवी में अ़लैह़दगी करा देता है क़ाज़ी के मौजूद न होने की सूरत में कोई भी आ़दिल अह्ले इ़ल्म फ़स्ख़े निकाह़ कर

सकता है फ़स्ख़े निकाह़ की इ़द्दत सिर्फ़ एक हैज़ है या एक माह और अगर बीवी ह़ामला हो तो उसकी इ़द्दत वज़अ़ ह़मल यानी बच्चा जनते ही इ़द्दत ख़त्म हो जाती है फ़स्ख़ की बाअ़ज़ सूरतों में बीवी अ़लैह़दगी भी ह़ासिल करती है और महर की भी ह़क़दार होती है और बाअ़ज़ सूरतों में सिर्फ़ अ़लैह़दगी ह़ासिल करती है महर की ह़क़दार नहीं होती मसलन अगर नक़्स व ऐ़ब सिर्फ़ मर्द में हो या वो वुजूहात जिनका ज़िम्मेदार सिर्फ़ मर्द हो तो ऐसी सूरत में फ़स्ख़े निकाह़ के बाअ़द औ़रत अ़लैह़दगी के साथ–साथ महर का भी ह़क़ रखती है और नक़्स व ऐ़ब या ऐसी बीमारी जिसके बाइस औ़रत सुहवत करने की अह्ल न हो तो ऐसी सूरत में फ़स्ख़े निकाह़ के बाद औ़रत सिर्फ़ अ़लैह़दगी ह़ासिल करेगी महर की ह़क़दार न होगी

➡ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद और मुजम्मिअ़ा बिन यज़ीद दोनों अन्सारी हैं रिवायत करते कि एक शख़्स ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया बेटी को बाप का ये निकाह पसन्द नहीं आया वो हुजूर सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और ये बात अ़र्ज़ की तो आप (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम) ने उसके निकाह को रद्द फ़रमां दिया फिर उसने अबू लुबाबा बिन अ़ब्दुल मुन्ज़िर से निकाह कर लिया। (इब्ने माजा–सुनन-2/27-1873)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हुमा) से रिवायत है कि एक कुवांरी लड़की हुजूर (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज किया या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने जबरदस्ती मेरा निकाह कर दिया है तो आपने उस लड़की को इख़्तियार दिया। (इब्ने माजा–सुनन–2/28-ह0–1875)
(अबू दाऊद–सुनन–2/607-ह0–2096)

➡हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम अन्सारिया रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हा बयान करती हैं कि उनके वालिद ने उनकी शादी कर दी जबकि वो बेवा थीं उन्होंने ये निकाह नापसंद किया और हुजूर (सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम) की ख़िदमत में आयी और आपको सारी बात बताई तो आपने उनके निकाह को रद्द कर दिया (अबू दाऊद –2/609-ह0-2101) (बुख़ारी–5/140-ह0-5138) (नसाई–2/410-3273)

-: ख़ुलाअ़ :-

बीवी जब अपने शौहर के साथ किसी सूरत रहने को तैयार न हो और हर सूरत शौहर से अ़लैह़दगी चाहती हो और शौहर बीवी को तलाक़ देने पर राज़ी न हो तो ऐसी सूरत में वो अपना मुआ़मला क़ाज़ी के सामने पेश करे और फिर वो अहवाल वाक़ई के पेशेनज़र औ़रत के अ़लैह़दगी के मुतालबे की बिना पर औ़रत से कहे कि तू अपना ह़क़ महर या माल वग़ैराह जो उसने अपने शौहर से लिया है वो वापस करे फिर वो क़ाज़ी उनके निकाह़ को फ़स्ख़ कर दे तो इस सूरत को शरीअ़त की इस्तिलाह़ में ख़ुलाअ़ कहते हैं इसमें तलाक़ ख़ाविन्द की तरफ़ से होती है और ख़ुलाअ़ का मुतालबा औ़रत की तरफ़ से होता है ख़ुलाअ़ के बाद इ़द्दत सिर्फ़ एक हैज़ होती है क्योंकि ये फ़स्ख़े निकाह़ है यानी तोड़ना, मन्सूख़ करना या बातिल करना और ख़ुलाअ़ तलाक़ बाइन के हुक्म में है बाद इ़द्दत ख़ाविन्द अपनी बीवी की रज़ामन्दी से नया निकाह़ कर सकता है और दोबारा अपनी बीवी को अपनी ज़ोजियत में ले सकता है जिस तरह तलाक़ देना मर्द का ह़क़ है उसी तरह ख़ुलअ़ का मुतालबा करना औ़रत का ह़क़ है।

इरशादे बारी तआ़ला है:-

वला यह़िल्लू लकुम अन ताखुजू———तअ़तदूहा0 (सू0—बक़राह—229)

तर्जुमा :— और तुम्हारे लिये जाइज़ नहीं कि जो चीज़े तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो सिवाए इसके कि दोनो अंदेशा हो कि (अब रिश्ता ज़ोजियत बरक़रार रखते हुये) दोनो अल्लाह तआ़ला के हुदूद को क़ायम न रख सकेंगे फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनो अल्लाह तआ़ला के हुदूद को क़ायम न रख सकेंगे सो (इस सूरत में) उन पर कोई गुनाह नहीं है कि बीवी (खुद) बदला देकर आज़ादी ले ले।

इरशादे बारी तआ़ला है:-

व इन ख़िफ्तुम शिक़ाक़ा———अ़लीमन ख़बीरा0 (सूरह—निसा—4/35)

तर्जुमा :— और अगर तुम्हें उन दोनों के दरमियान मुख़ालिफ़त का अंदेशा हो तो तुम एक मुन्सिफ़ मर्द के ख़ानदान से व एक मुन्सिफ़ औ़रत के ख़ानदान से मुक़र्रर करलो अगर वो दोनो मुन्सिफ़ सुलह कराने का इरादा रखे तो अल्लाह तआ़ला उन दोनो के दरमियान मुवाफ़िक़त पैदा फ़रमां देगा बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है।

वज़ाहत:— मर्द व औ़रत की तरफ़ से एक—एक शख़्स दोनो मियाँ—बीवी मे सुलह की ग़रज़ से बैठें और दोनों (मियाँ—बीवी) में सुलह कराने की ह़त्तल इमकान कोशिश करें कि किसी तरह इन दोनों में सुलह हो जाये और इनके दरमियान ह़ाइल ना इत्तफ़ाक़ी व नाराज़गी को दूर करने की हर मुम्किन कोशिश की जाये ताकि उन दोनो (मियाँ—बीवी) में मुवाफ़िक़त हो जाये अगर सुलह और मुवाफ़िक़त की कोई सूरत न बने तो दोनो पंच (मुन्सिफ़) उन दोनो (मियाँ—बीवी) में अ़लैह़दगी का फ़ैसला दे सकता है और उन दोनो में जुदाई करा दी जायेगी और उनका निकाह़ फ़स्ख़ हो जायेगा।

—: औ़रत के लिये खुलअ़ लेने की कराहत :—

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मरवी है नबी करीम (सल्ल0) ने फ़रमाया—औ़रत अपने ख़ाविन्द से तलाक़ का मुतालबा न करे जब तक कि बहुत मजबूर न हो जाये और (बिला मजबूरी) जो औ़रत ऐसा करेगी वो जन्नत की खुशबू भी न पायेगी और (जान लो) कि जन्नत की खुशबू चालीस बरस की मसाफ़त (दूरी) से आती है।
(इब्ने माजा—सुनन—2/98—ह0—2054)
(अबू दाऊद—सुनन—2/700—ह0—2226)

➡ ह़ज़रत सूबान (रज़ि0) बयान करते है कि नबी अकरम (सल्ल0) ने फ़रमाया कि जो औ़रत किसी तकलीफ़ के बग़ैर अपने शौहर से तलाक़ मांगे उस पर जन्नत की खुशबू ह़राम है।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/412—ह0—14860)
(दारमी—सुनन—2/199—ह0—2316)

—: ख़ुलअ़ के बदले ख़ाविन्द अपना माल वापस ले सकता है :—

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मरवी है कि ह़ज़रत साबित बिन क़ैस (रज़ि0) की अहलिया (बीवी) ख़िदमते नबवी में ह़ाजिर हुई और वो कहने लगी अल्लाह तआ़ला की क़सम मैं साबित पर दीन या ख़ुल्क़ (आदत) की बुराई से गुस्सा व नाराज नहीं हूँ मगर मैं सख़्त क़बाह़त महसूस करती हूँ कि मुसलमान होकर मैं शौहर की ना—शुक्री करुँ मैं क्या करुँ वो मुझे हर हाल में ना पसंद है फिर आप (सल्ल0) ने साबित बिन क़ैस (रज़ि0) से फ़रमाया कि तुम अपना बाग़ ले लो और इसको (यानी अपनी बीवी को) एक तलाक़ दे दो। (नसाई—सुनन—2/492—ह0—3495) (इब्ने माजा—सुनन—2/99—ह0—2056)(बुख़ारी—सह़ीह—7/53—ह0—5273)(अबू दाऊद—सुनन—2/700——ह0—2227) (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/404—ह0—14838) (इब्ने ह़िब्बान—सह़ीह—5/315—ह0—4280)

➡ ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से मरवी है कि ह़बीबा बिन्ते सहल ह़ज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास (रज़ि0) की ज़ोजियत में थी कि ह़ज़रत साबित बिन शम्मास (रज़ि0) ने अपनी अहलिया 'जमीला' अ़ब्दुल्ला बिन अबी की लड़की को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया उसके भाई ने रसुलुल्लाह (सल्ल0) से इसकी शिकायत की तो आप (सल्ल0) ने ह़ज़रत साबित (रज़ि0) को तलब फ़रमाया जिस वक़्त ह़ज़रत साबित (रज़ि0) ह़ाज़िर हुये तो आप (सल्ल0) ने फ़रमाया तुम इस ख़ातून से अपनी चीज़ वापस ले लो और इसका रास्ता छोड़ दो यानी इसको अ़लैह़दा कर दो ह़ज़रत साबित रज़ि0 ने अ़र्ज़ किया कि बहुत बेहतर है फिर ह़ज़रत साबित ने कहा मैंने इसको महर में दो बाग़ दिये थे वो इसी के क़ब्ज़े में हैं फिर हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया कि वो दोनो बाग़ ले लो और इसे अ़लैह़दा कर दो फिर आप (सल्ल0) ने उस ख़ातून को एक ह़ैज़ की इ़द्दत गुज़ारने के लिये वालिदैन के घर चले जाने का हुक्म फ़रमाया। (नसाई—सुनन—2/508—ह0—3530)(तिर्मिज़ी-सुनन—1/654—ह0—1185) (अबू दाऊद—सुनन—2/701—ह0—2228) (बैहक़ी—सुनन बुकरा—9/410—ह0—14856)

—: हाकिम के बग़ैर खुलअ़ करने का हुक्म :—

➡ ह़ज़रत उर्वाह बिन जुबैर (रज़ि0) बयान फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने अपनी ओ़रत से ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि0) की ख़िलाफ़त में बग़ैर बताये ही खुलाअ़ किया तो ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि0) ने उसको दुरुस्त क़रार दिया। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/412—ह0—14859)

—: खुलअ़ तलाक़ है या फ़स्ख़े निकाह़ :—

➡ इब्राहीम बिन साअ़द ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला बिन अ़ब्बास (रज़ि0) से ऐसी ओ़रत के बारे में सुवाल किया जिसके ख़ाविन्द ने दो तलाक़ें दीं फिर ओ़रत से ख़ाविन्द ने खुलाअ़ कर लिया तो क्या ख़ाविन्द उस ओ़रत से निकाह़ कर सकता है ह़जरत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि पहली आयत (सू0-बक़राह—229) में अल्लाह तआ़ला ने तलाक़ का ज़िक्र किया है और आख़िर में और दरमियान में खुलाअ़ का तज़किरा किया तो खुलअ़ तलाक़ नहीं है (यानी फ़स्ख़े निकाह़ है) वो निकाह़ कर सकता है।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/413—ह0—14863)

—:खुलअ़ याफ़्ता ओ़रत का शौहर उससे रुजूअ़ नहीं कर सकता:—

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी (रज़ि0) ह़ज़रत ह़बीब बिन मेहरबान, ह़ज़रत इब्राहीम, ह़ज़रत हिश्शाम, ह़ज़रत ज़हरी, ह़ज़रत मैमून (रह़0) फ़रमाते जब मर्द ने ओ़रत से खुलाअ़ के ज़रिये तलाक़ दी फिर अगर मर्द रुजूअ़ करना चाहे तो बग़ैर निकाह़ रुजूअ़ नहीं कर सकता। (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/505—ह0—18822)

—: खुलअ़ के बाद इ़द्दत में तलाक़ हो जाती है :—

➡ ह़ज़रत इमरान, ह़ज़रत इब्ने मसऊद, ह़ज़रत अबू दरदा ह़ज़रत ज़ह्हाक, ह़ज़रत सईद बिन मुसय्यब, ह़ज़रत इब्राहीम ह़ज़रत जहरी ह़ज़रत यसरूक (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि खुलाअ़ के बाअ़द इ़द्दत में तलाक़ हो जाती है। (इब्ने अबी शैबा—5/501—ह0—18790)

—: खुलअ़ के बाद इ़द्दत में तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती :—

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, ह़ज़रत इब्ने जुबैर, ह़ज़रत अ़ता ह़ज़रत ताऊस, ह़ज़रत शअ़बी, ह़ज़रत अकरमा (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि खुलाअ़ के बाअ़द इ़द्दत में तलाक़ देने से तलाक़ वाक़ैअ़ नहीं होती है अगर खुलाअ़ की मजलिस में तलाक़ दी तो तलाक़ वाक़ैअ़ होगी वरना नहीं।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/503—ह0—18804)

खुलाअ़ लेने वाली अ़ौरत का नफ़क़ा दौराने इ़द्दत मर्द पर लाज़िम होगा

➡ ह़ज़रत इब्राहीम, ह़ज़रत शअ़बी, ह़ज़रत ह़म्माद, ह़ज़रत क़तादा (रह़0) फ़रमाते हैं कि खुलाअ़ लेने वाली अ़ौरत को रिहायश और नफ़क़ा मिलेगा क्योंकि अगर अ़ौरत चाहे तो इ़द्दत में अपने शौहर से निकाह़ कर सकती है।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/504—ह0—18811)

➡ ह़ज़रत अबू आलिया, ह़ज़रत शुरीह, ह़ज़रत इब्राहीम, ह़ज़रत अ़ता, ह़ज़रत क़ासिम, ह़ज़रत ह़म्माद ह़ज़रत ज़हरी (रह़0) फ़रमाते हैं कि खुलअ़ लेने वाली अ़ौरत को नफ़क़ा मिलेगा अलबत्ता अगर उसने न लेने शर्त को कुबूल कर लिया तो फिर नहीं मिलेगा।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/535—ह0—19003)

-: लिआ़न :-

लिआ़न उसको कहते है कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी पर ज़िना की तुहमत लगाये या बच्चे के पैदा होने पर कहे कि ये बच्चा मेरा नहीं है और अ़ौरत ज़िना का इन्कार करे तो लिआ़न वाजिब होता है लिआ़न का तरीक़ा कुरान मजीद में मज़कूर है।

और जो लोग अपनी बीवियों पर (बदकारी की) तुहमत लगायें और उनके पास सिवाए अपनी ज़ात के कोई गवाह न हो तो ऐसे किसी भी एक शख़्स की गवाही कि (वो खुद) चार मर्तबा अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे कि वो (इल्ज़ाम लगाने मे) सच्चा है और पाँचवी मर्तबा ये (कहे) उस पर अल्लाह की लाअ़नत हो अगर वो झूठा हो और (इसी तरह) ये बात (उस अ़ौरत) से (भी) सज़ा को टाल सकती है कि वो चार मर्तबा अल्लाह की क़सम खाकर (खुद) गवाही दे कि वो (मर्द ये तुहमत लगाने में) झूठा है और पाँचवी मर्तबा ये (कहे) कि उस पर (यानी मुझ पर) अल्लाह का गज़ब हो अगर ये (मर्द इस इल्ज़ाम लगाने मे) सच्चा है (सू0—नूर—6—ता—9)

इस लिआ़न में ये शर्त है कि दोनो शहादत के साथ यमीन भी हों कि अल्लाह की क़सम मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ इसका हुक्म ये है कि इसकी वजह से लिआ़न के बाद बीवी से वती और फ़ायदा ह़ासिल करना ह़राम हो जाता है ख़्वाह क़ाज़ी ने तफ़रीक़ (जुदाई या अ़लैह़दगी) न भी की हो या मर्द ने तलाक़ न दी हो।

अगर मर्द तुहमत लगाने के बाद लिआ़न न करे तो क़ाज़ी उसे क़ैद करेगा हत्ता कि लिआ़न करे या खुद को झुठलाये और अगर मर्द ने लिआ़न कर लिया तो अ़ौरत पर लिआ़न वाजिब होगा अगर वो नहीं करेगी तो क़ाज़ी उसे क़ैद करेगा हत्ता कि लिआ़न करे या मर्द की बात की तस्दीक़ करे और उसे हदे ज़िना लग जायेगी यानी बच्चा माँ के हवाले व उसका नसब बाप से नहीं बल्कि माँ से मुतअ़ल्लिक़ कर दिया जायेगा वो बच्चा माँ का वारिस होगा व लिआ़न दायमी तलाक़ के हुक्म में है दोबारा निकाह़ नहीं हो सकता और लिआ़न से जो जुदाई होती है वो तलाक़ मुग़ल्लिज़ा से भी ज़्यादा शदीदतर है

–: ईला :–

शरीअ़त की इस्तिलाह़ में ईला उसको कहा जाता है कि कोई शख़्स इस बात की क़सम खाले कि वो शौहर की हैसियत से बीवी के पास नहीं जायेगा और उससे अलग रहेगा मगर उ़ल्मा की राय इस बारे में ये है कि बीवी से शौहर का अलग रहना अगर किसी नाराज़गी की वजह से हो तो उसे ईला कहेंगे अगर नाराज़गी की वजह से न हो तो उसे शरीअ़त की इस्तिलाह़ में ईला नहीं कहेंगे और ईला की मिक़दार चार माह है और चार माह के अन्दर बीवी के पास नहीं गया तो बीवी फ़स्ख़े निकाह़ का मुतालबा करेगी और तलाक़ बाइन वाक़ैअ़ हो जायेगी।

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और उन लोगों के लिये जो अपनी बीवियों के क़रीब न जाने की क़सम खाले चार माह की मुहलत है पस अगर वो (इस मुद्दत में) रुजूअ़ कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेह़रबान है और अगर उन्होंने तलाक़ का पुख़्ता इरादा (ही) कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। (सूरह–बक़राह–2/226)

:– ईला से मुताअ़ल्लिक़ चन्द अह़ादीस :–

➡ ह़ज़रत इब्ने उ़मर रज़ि0 से रिवायत है कि जब चार माह गुज़र जायें तो ईला करने वाले को ह़ाकिमे वक़्त के पास ला खड़ा किया जाये और उस वक़्त तक उसको छोड़ा न जाये जब तक कि वो अ़दालत के रुबरु तलाक़ न दे दे और तलाक़ दिये बग़ैर उस पर तलाक़ वाक़ैअ़ न होगी। (बुख़ारी–सह़ीह–5/235–ह0–5290)
(अ़स्क़लानी–बुलूगुलमराम–2/709–ह0–931)

तशरीहः– चार महीने गुज़रने के बाद मर्द से मुतालबा ब तक़ाज़ा किया जायेगा कि वो बीवी से तअ़ल्लुक़ मज़बूत करले या फिर तलाक़ देदे मज़कूरा हदीस की तरफ़ बाअ़ज़ सहाबा व आइम्मा और आइम्मा में इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अह़मद (रह़0)–

वग़ैराह गये हैं कि सिर्फ़ चार महीने की मुद्दत गुज़रने से तलाक़ वाक़ैअ़ न होगी जब तक कि ईला करने वाला तलाक़ न दे और इमाम आज़म अबू ह़नीफ़ा (रह़0) और उनके असह़ाब कहते हैं कि मुद्दत ईला गुज़रने से तलाक़ वाक़ैअ़ हो जाती है।

➡ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मरवी है कि जाहलियत का ईला साल दो साल तक होता था अल्लाह तआ़ला ने इसकी मुद्दत चार माह मुक़र्रर फ़रमाई है अब अगर चार माह से कम मुद्दत हो तो वो ईला शुमार न होगा (अस्क़लानी—बुलूगुलमराम—2/710—ह0—933)

➡ ह़ज़रत नुअ़मान बिन बशीर रज़ि0 ने अपनी बीवी से ईला किया तो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ि0 ने फ़रमाया कि जब चार महीने गुज़र गये तो औ़रत एक तलाक़ के साथ बाइना हो गई। (इब्ने अबी शैबा—अलमुसन्निफ़—5/512—ह0—18863)

➡ ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि0) फ़रमाते हैं जब आदमी ने ईला किया और चार महीने गुज़र गये तो औ़रत एक तलाक़ के साथ बाइना हो गई। (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/513—ह0—18864)

➡ ह़ज़रत सईद बिन जुबैर (रह़0) से पूछा गया क्या इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) इस तरह फ़रमाते थे कि जब चार माह गुज़र जायें तो एक बाइन तलाक़ हो जायेगी और औ़रत पर इ़द्दत भी नहीं होगी वो चाहे उसी वक़्त शादी कर सकती है तो उन्होने कहा—जी हाँ। (दार कुतनी—सुनन—3/287—ह0—4047)

➡ ह़ज़रत उ़स्मान और ह़ज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि0) फ़रमाया करते थे कि जब चार महीने गुज़र जायें (और ख़ाविन्द अपनी बीवी के क़रीब न जाये) तो तलाक़ बाइन हो जायेगी। (दार कुतनी—सुनन—3/287—ह0—4044)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) फ़रमाते हैं जब ईला में चार महीने गुज़र जायें तो फिर एक तलाक़ बाइन है और औ़रत पर तीन ह़ैज़ इ़द्दत गुज़ारना लाज़िम है। (इब्ने अबी शैबा़—5/518—ह0—18901)

-: ज़िहार :-

शरीअ़त की इस्तिलाह़ में ज़िहार अपनी बीवी को किसी ऐसी ख़ातून के साथ तशबिया देने को कहते हैं जिससे हमेशा निकाह़ ह़राम है मसलन कोई शख़्स अपनी बीवी से इस तरीक़े से कहे कि तू मेरे लिये मेरी माँ या बहन जैसी है तो इसका हुक्म ये है कि अगर इस जुमले से उसका इरादा तलाक़ देने का न हो तो इसे ज़िहार कहते हैं और उस वक़्त तक ख़ाविन्द अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता जब तक कि वो ज़िहार का कफ़्फ़ारा अदा न कर दे और ज़िहार का कफ़्फ़ारा ये है कि एक गुलाम या बाँदी आज़ाद करना अगर उस शख़्स में इसकी कुदरत न हो तो वो दो महीने मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखे और अगर इसकी भी कुदरत न हो तो वो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।

अगर उसकी नियत तलाक़ थी तो उसकी बीवी को तलाक़ बाइन वाक़ैअ़ होगी ज़िहार की सूरत में ख़ाविन्द से कहा जायेगा कि चार माह की मुद्दत के अन्दर कफ़्फ़ारा अदा करे चार माह की मुद्दत गुज़रने के बाद औ़रत फ़स्ख़े निकाह़ का मुतालबा कर सकती है।

इरशादे बारी तआ़ला हैः-

बेशक अल्लाह तआ़ला ने उस औ़रत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में इक़रार कर रही थी और अल्लाह तआ़ला से फ़रियाद कर रही थी और अल्लाह तआ़ला आप दोनो के बाहमी सुवाल व जवाब सुन रहा था बेशक अल्लाह तआ़ला खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है तुममें से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे हैं यानी ये कह बैठे हैं कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हो तो (ये बात कहने से) वो उनकी माँ नहीं हो जाती उनकी माँऐं तो सिर्फ़ वही हैं जिन्होने उनको जना है और बेशक वो लोग बुरी और झूठी बात कहते हैं और बेशक अल्लाह तआ़ला ज़रुर दर गुज़र फ़रमाने वाला बड़ा बख़्शने वाला है और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे फिर जो कहा है उससे पलटना चाहें तो

एक गरदन (गुलाम या बाँदी) को आज़ाद करना लाज़िम है क़ब्ल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है और अल्लाह तआ़ला उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो फिर जिसे (गुलाम या बाँदी) मयस्सर न हो तो उसे दो माह मुतवातिर रोज़ें रखना (लाज़िम है) क़ब्ल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें फिर जो शख़्स इसकी (भी) ताक़त न रखता हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना (लाज़िम है) ये इसलिये कि तुम अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल पर ईमान रखो और ये अल्लाह तआ़ला की (मुक़र्रर कर्दा) हुदूद हैं और काफ़िरों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। (सूरह–मुजादला–58/1–ता–4)

–: ज़िहार से मुताअ़ल्लिक़ ह़दीस :–

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मर'वी है एक शख़्स ने अपनी बीवी से ज़िहार किया और फिर उससे जिमाअ़ कर लिया फिर नबी करीम (सल्ल0) की ख़िदमत मे ह़ाजिर हुआ और अ़र्ज़ किया कि मैने कफ़्फ़ारा की अदायगी से पहले अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली है आप (सल्ल0) ने फ़रमाया अब उस वक़्त तक उसके पास न जा जब तक अल्लाह तआ़ला का इरशाद पूरा न कर ले।
(नसाई–सुनन–2/489–ह0–3490)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/661–ह0–1199)
(अस्क़लानी–बुलूगुलमराम–2/710–ह0–934)

➡ रसूले अकरम (सल्ल0) से अ़र्ज़ किया गया कि अगर ज़िहार करने वाला कि सुहवत कर बैठे क़ब्ल कफ़्फ़ारा देने से तो आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि उस पर एक ही कफ़्फ़ारा है।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/661–ह0–1198)

–: मुतल्लक़ा मदख़ूला की इ़द्दत :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और तलाक़ याफ़्ता औ़रतें अपने आपको तीन हैज़ तक रोके रखें (सूरह–बक़राह–228)

तुम्हारी औ़रतों मे जो हैज़ से मायूस हो चुकी हों अगर तुम्हें शक हो (कि उनकी इ़द्दत क्या होगी) तो उनकी इ़द्दत तीन महीने है और वो औ़रतें जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया (उनकी भी इ़द्दत यही है)। (सूरह–तलाक़–65/4)

–: इ़द्दत से मुताअ़लिक़ चन्द अह़ादीस :–

➡ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि0 से मर'वी है जब औ़रत तीसरे हैज़ में दाख़िल हो जाये तो उस (ख़ाविन्द) के लिये उस पर रुजूअ़ नहीं (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/640–ह0–15388)

➡ उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से रिवायत है कि जब तलाक़ शुदा औ़रत तीसरे हैज़ में दाख़िल हो जाये तो वो उससे बरी होगी। (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/638–ह0–15384)

➡ ह़ज़रत अ़ली बिन अबू तालिब (अलै0) ने फ़रमाया जब आदमी अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो वो उसका ज़्यादा ह़क़दार है जब तक कि वो तीसरे हैज़ का गुस्ल न कर ले।
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/643–ह0–15395)

➡ ह़ज़रत उ़मर व ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह व ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि0) से उस शख़्स के बारे में रिवायत है जिसने अपनी बीवी को तलाक़ दी फिर वो ह़ाइज़ा हो गई जब वो तीसरे हैज़ को पहुँची तो उसने उससे रुजूअ़ कर लिया उसके गुस्ल करने से पहले फ़रमाते हैं कि वो उसका ज़्यादा ह़क़दार है जब तक कि वो तीसरे हैज़ का गुस्ल

न कर ले। (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/643—ह0—15397)

➡ ह़ज़रत इब्राहीम ह़ज़रत अबू किलाबा ह़ज़रत ह़सन ह़ज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह़0) फ़रमाते हैं कि अगर आदमी ने अपनी बीवी को हर एक ह़ैज़ पर एक तलाक़ दी तो उस अ़ौरत की इ़द्दत पहली तलाक़ से होगी अगर इस दरमियान रुजूअ़ न किया हो।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/378—ह0—18065)

➡ ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि0) से रिवायत है कि तलाक़ शुदा अ़ौरत और वो अ़ौरत कि जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वो उसी दिन से इ़द्दत शुमार करे कि जिस दिन उसका ख़ाविन्द फ़ौत हुआ था या जिस दिन उसे तलाक़ दी गई हो।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/662—ह0—15445)

जिस ह़ैज़ में तलाक़ दी गई उसे इ़द्दत में शुमार नहीं किया जायेगा

➡ जो आदमी अपनी अ़ौरत को ह़ालते ह़ैज़ में या ह़ालते निफ़ास में तलाक़ दे तो उस अ़ौरत पर तीन ह़ैज़ इ़द्दत है उस खून के अलावा जिसमें उसको तलाक़ दी गई।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/645—ह0—15403)

—: ह़ामला ह़ाइज़ा नहीं होती :—

➡ उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) से मर'वी है कि एक अ़ौरत आपके पास आयी और उसने कि कहा मैं ह़ाइज़ा हूँ और ह़ामला भी हूँ तो ह़ज़रत आयशा (रज़ि0) ने फ़रमाया तू गुस्ल कर और नमाज़ पढ़ ह़ामला अ़ौरत ह़ाइज़ा नहीं होती।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/658—ह0—15433)

फ़वाइद व मसाइलः– अगर जुदाई खुलाअ़ या फ़स्ख़े निकाह़ की सूरत में हो तो इ़द्दत एक ह़ैज़ है और ह़ैज़ न आने की सूरत में इ़द्दत एक महीना है और ह़ामला चाहे बेबा हो या मुतल्लक़ा हो (तलाक़ याफ़्ता) उसकी इ़द्दत वज़अ़ ह़मल है (यानी बच्चा जनते ही इ़द्दत ख़त्म हो जाती है) और ग़ैर मदखूला चाहे बेबा हो या मुतल्लक़ा उसकी कोई इ़द्दत नहीं और तलाक़ रजई व मुग़ल्लिज़ा की इ़द्दत तीन ह़ैज़ है और ह़ैज़ न आने की सूरत में तीन महीना (क़मरी) इ़द्दत है और बेबा की इ़द्दत चार माह दस दिन है अगर कोई औ़रत तलाक़ की इ़द्दत या फ़स्ख़े निकाह़ की इ़द्दत गुज़ार रही है और इस दौरान उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उसकी साबिक़ा इ़द्दत साक़ित हो जायेगी।

और अब उसके लिये इ़द्दत वफ़ात यानी चार माह दस दिन गुज़ारना वाजिब होगा और वो औ़रत ख़ाविन्द की विरासत से हिस्सा भी पायेगी और इ़द्दत चाहे कोई सी हो दौराने इ़द्दत निकाह़ जाइज़ नहीं और अगर कोई शख़्स ला इ़ल्मी की वजह से दौराने इ़द्दत निकाह़ करे और तअ़ल्लुक़ाते ज़ोजियत भी क़ायम करे तब भी फ़रीक़ैन के दरमियान तफ़रीक़ (जुदाई) लाज़िम होगी अलबत्ता बाद इ़द्दत अगर वो शख़्स चाहे तो दोबारा निकाह़ कर सकता है।

–: मुतल्लक़ा ग़ैर मदख़ूला की इद्दत :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
ऐ ईमान वालो जब तुम मोमिन औ़रतों से निकाह़ करो फिर तुम उन्हें तलाक़ दे दो क़ब्ल इसके कि तुम उन्हें मस करो (यानी ख़ल्वत सह़ीह़ा करो) तो तुम्हारे लिये उन पर कोई इ़द्दत (वाजिब) नहीं है कि तुम उसे शुमार करने लगो। (सू0–अह़ज़ाब–49)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मर'वी है कि (दख़ोल से पहले जिस औ़रत को तलाक़ दे दी गई हो) तो उसके लिये सिर्फ़ आधा महर है और उस पर इ़द्दत नहीं।
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/661–ह0–15443)

–: मुतल्लक़ा अपनी इ़द्दत कहाँ गुज़ारे :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और उन्हें उनके घरों से बाहर मत निकालो और न वो खुद बाहर निकले सिवाए इसके कि वो खुली बेहयाई का इरतिक़ाब कर बैठें और ये अल्लाह की मुक़र्ररा ह़दें हैं और जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की हदूद से तजावुज़ करे (हद से आगे बढ़ जाये) तो बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया है। (सूरह–तलाक़–65/1)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
तुम उन (मुतल्लक़ा) औ़रतों को वहीं रखो जहाँ तुम अपनी वुसअ़त के मुताबिक़ रहते हो और उन्हें तकलीफ़ मत पहुँचाओ कि उन पर (रहने का ठिकाना) तंग कर दो। (सू0–तलाक़–6)

–: इ़द्दत गुज़ारने से मुतअ़ल्लिक़ चन्द अहादीस :–

➡ क़ासिम बिन मुह़म्मद और सुलेमान बिन यसार बयान करते हैं कि याह्या बिन सईद बिन अल्आ़स ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन ह़कम की

साहबज़ादी को तलाक़ दे दी थी तो उनके बाप अ़ब्दुर्रह़मान अपनी बेटी को उसके (ख़ाविन्द के) घर से अपने घर (इ़द्दत के अइयाम गुज़रने से पहले) ले आये तो ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) को जब ये मालूम हुआ तो उन्होने मर'वान बिन ह़कम के यहाँ जो उस वक़्त मदीने का ह़ाकिम था कहलवाया कि अल्लाह तआ़ाला से डरो और लड़की को उसके घर जहाँ उसे तलाक़ हुई है वहाँ पहुँचादो। (बुख़ारी–सह़ीह–7/84–ह0––5321)(अबू दाऊद–2/750–ह0–2295) (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/681–ह0–15491)

➡ फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) से रिवायत है मुझे मेरे ख़ाविन्द ने तीन तलाक़ दे दी तो मैंने मुन्तक़िल होने का इरादा किया और मैं रसूलुल्लाह (सल्ल0) के पास आयी तो आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि तू इब्ने मक्तूम के घर मुन्तक़िल हो जा इस्हाक़ कहते हैं जब इसको शअ़बी ने बयान किया तो अस्वद ने उसको कंकरी मारी और कहा तेरे लिये हलाकत है तू बयान करता है या फ़तवा देता है वो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) के पास आयी तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि0) ने कहा अगर तू दो गवाह लाये और गवाही दे कि उन दोंनो ने हुजूर (सल्ल0) से सुना है नहीं तो हम सिर्फ़ एक औ़रत के क़ौल की वजह से अल्लाह तआ़ाला को नहीं छोड़ सकते और अल्लाह तआ़ाला का फ़रमाता है कि उन्हें उनके घरों से बाहर मत निकालो और न ही वो खुद बाहर निकलें। (सूरह–तलाक़–65/1)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/676–ह0–15479)
(दार कुतनी–सुनन–3/261–ह0–3961)

➡ इब्ने मैमून वो अपने वालिद से नक़ल फ़रमाते हैं कि मैने सईद बिन मुसय्यब से कहा कि तलाक़ सलासा (तीन तलाक़) वाली औ़रत इ़द्दत कहाँ गुज़ारे तो फ़रमाया–अपने घर में इ़द्दत गुज़ारे मैने कहा क्या रसूलुल्लाह (सल्ल0) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को हुक्म नहीं दिया कि वो इब्ने मक्तूम के घर में इ़द्दत गुज़ारे फ़रमाया–ये वो औ़रत है जिसने लोगों को फ़ित्ने मे डाला हुआ था और वो अपने जेठ पर बद ज़बानी किया करती थी तो हुजूर (सल्ल0) ने हुक्म दिया कि इब्ने मक्तूम के घर इ़द्दत गुज़ार वो नबीना आदमी हैं। (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/682–ह0–15493)

➡ उर्वाह बिन जुबैर ने ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि0 से कहा कि आप फुलाना बिन्ते ह़कम का मामला नहीं देखती कि उनके शौहर ने उन्हें तलाक़ बाइना दे दी और वो वहाँ से निकल आयीं (इ़द्दत गुज़ारे बग़ैर) तो ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने फ़रमाया जो कुछ उसने किया बहुत बुरा किया उर्वाह ने कहा आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) के वाक़िये के मुताअ़ल्लिक़ नहीं सुना तो आपने फ़रमाया कि उसके लिये इस ह़दीस को ज़िक्र करने में कोई ख़ैर नहीं है फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) एक उजाड़ जगह में थी और उसके चारो तरफ़ ख़ौफ़ और बहशत बरसती थी इसलिये रसूले अकरम (सल्ल0) ने (वहाँ से मुन्तक़िल होने की) उन्हें इजाज़त दे दी थी। (बुख़ारी—सह़ीह—7/85—ह0—5325)
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/531—ह0—18976)

➡ हिशाम बिन उर्वाह अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) की हदीस पर शदीद ऐ़ब लगाया और फ़रमाया कि वो वीरान मकान में थी उसके किनारे पर ख़ौफ़ महसूस किया गया इसलिये रसूलुल्लाह (सल्ल0) ने उसे वहाँ से रूख़सत दी।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/682—ह0—15495)

–: बेवा की इद्दत का बयान :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और तुम में से जो फ़ौत हो जायें और (अपनी) बीबियाँ छोड़ जायें तो वो अपने आप को चार माह दस दिन इन्तिज़ार में रोके रखें। (सूरह–बक़राह–2/234)

और तुम में से जो लोग फ़ौत हो जायें और वो अपनी बीवियाँ छोड़ जायें उन पर लाज़िम है कि (मरने से पहले) अपनी बीवियों के लिये उन्हें एक साल तक का ख़र्चा देने (और) अपने घरों से न निकाले जाने की वसीअ़त कर जायें फिर अगर वो खुद (अपनी मर्ज़ी से) निकल जायें तो दस्तूर के मुताबिक़ जो कुछ भी वो अपने ह़क़ में करें तुम पर इस मुआ़मले में कोई गुनाह नहीं। (सू0–बक़राह–240)

—: बेवा की इद्दत से मुताअ़ल्लिक़ हदीस :—

➡ ह़ज़रत उम्मे ह़बीबा (रज़ि0) फ़रमाती हैं कि हुजूर (सल्ल0) ने इरशाद फरमाया–अल्लाह तआ़ला और क़यामत के दिन पर ईमान लाने वाली किसी ख़ातून के लिये जाइज़ नहीं कि वो किसी के इन्तिक़ाल पर तीन दिन से ज़्यादा ग़म मनाये अलबत्ता शौहर की वफ़ात पर चार माह दस रोज़ तक इद्दत गुज़ारे।
(नसाई–सुनन–2/510–ह0–3533) (तिर्मिज़ी–सुनन–1/659–ह0–1195) (बुख़ारी–सह़ी–7/90–ह0–5334)(अबू दाऊद–सुनन–2/752–ह0–2299) (दारमी–सुनन–2/207–ह0–2329)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) से मर'वी है वो इस आयते करीमा (वल्लज़ीना युतावफ़्फ़ूना मिन्कुम––––––(सूरह–बक़राह–2/240) से मुताअ़ल्लिक बयान करते हैं कि ये आयते करीमा मीरास की आयते करीमा (सू0–निसा–12) से मन्सूख़ है जिसमें बीवी को चौथे और आठवें हिस्से का तज़किरा है नीज़ एक साल तक इद्दत में रहने का हुक्म भी चार माह दस दिन से मन्सूख़ हो गया है।

(नसाई—सुनन—2/528—ह0—3576)
(अबूदाऊद—सुनन—2/749—ह0—2291, 2/752—ह0—2298)
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/666—ह0—15461)

मसाइलः— ख़ाविन्द की वफ़ात के बाद अगर ख़ाविन्द की औलाद हो तो उसकी विरासत में से उसकी बीवी को आठवाँ हिस्सा मिलता है और अगर ख़ाविन्द की औलाद न हो तो ख़ाविन्द की विरासत में से चौथा हिस्सा मिलता है जैसा (सू0—निसा—4/12) में मज़कूर है।

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि0) से रिवायत है कि तलाक़ शुदा अ़ौरत और वो अ़ौरत जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये वो उसी दिन से इ़द्दत को शुमार करे जिस दिन उसका ख़ाविन्द फ़ौत हो या जिस दिन उसे तलाक़ दी गई हो।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/662—ह0—15445)

–: बेवा अपनी इद्दत कहाँ गुज़ारे :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
(और उन्हें) अपने घरों से न निकाले जाने की वसीअ़त कर जाये फिर अगर वो खुद (अपनी मर्ज़ी से) निकल जाये तो दस्तूर के मुताबिक़ जो कुछ भी वो अपने ह़क़ में करें तुम पर इस मुआ़मले में कोई गुनाह नहीं। (सू0–बक़राह–240)

वज़ाह़तः– मज़कूरा आयते करीमा का इशारा ये है कि जिस औऱत का शौहर फ़ौत हो जाये तो उस बेवा औऱत को घर से न निकाला जाये यानी बेवा अपनी चार माह दस दिन की इद्दत उसी घर में पूरी करे जहाँ वो अपने ख़ाविन्द के साथ रहती थी अलबत्ता बेवा अगर अपनी मर्ज़ी से अपने ख़ाविन्द के घर से किसी दूसरी जगह मुन्तक़िल होना चाहे तो वो हो सकती यानी बेवा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ जहाँ चाहे इद्दत गुज़ारे चाहे अपने ख़ाविन्द के घर चाहे अपने मांयके में या किसी रिश्तेदार के यहाँ इद्दत गुज़ारने का ह़क़ रखती है और मज़कूरा आयते करीमा के बारे में आ़म मुफ़स्सिरीन का क़ौल ये है कि एक साल की इद्दत वाली आयत (सू0–बक़राह –2/240) मन्सूख़ है और चार महीना दस दिन की इद्दत वाली आयत (सू0–बक़राह–234) उसकी नासिख़ (मन्सूख़ करने वाली) है पहले एक साल की इद्दत का हुक्म हुआ था फिर अल्लाह तआ़ला ने बेवा की इद्दत की मुद्दत एक साल से घटाकर चार महीना दस दिन रखी।

अलबत्ता बेवा चार महीना दस दिन इद्दत गुज़ारने के बाअ़द भी सात महीना बीस दिन और ससुराल में रहना चाहे यानी एक साल पूरा होने तक अगर बेवा अपनी ससुराल में रहना चाहे तो ससुराल वाले उसे निकाल नहीं सकते और वो उसी मकान में इद्दत गुज़ारे जहाँ वो शौहर के साथ मुक़ीम थी।

➡ ह़ज़रत फुरैआ़ बिन्ते मालिक से मरवी है मेरा ख़ाविन्द अपने गुलामों को ढूढने निकला और इलाक़ा क़दूम के किनारे पर (मदीना

मुनव्वरा से छः मील की दूर पर एक जगह) उनको पाया लेकिन गुलामों ने उन्हें मार डाला मैं नबी करीम (सल्ल0) के पास आयी और अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह मेरे ख़ाविन्द की मौत की इत्तिला आयी है और मैं दूसरे घर में हूँ जो दूर है मेरे और मेरे भाइयों के घर से और मेरे ख़ाविन्द ने कुछ वरसा (मरने वाले का माल) नहीं छोड़ा जिसको ख़र्च करूँ या वारिस बनूं न ही मेरा ज़ाती कोई घर है अब अगर आप इजाज़त फ़रमायें तो मैं रिश्तेदारों और भाइयों के घर चली जाऊँ ये मुझे मुनासिब लगता है कि इससे मुझे सहूलियत हो जायेगी आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि उसी घर में रह जहाँ तेरे ख़ाविन्द के मरने की ख़बर आयी यहाँ तक कि कुरान की (बताई हुई) मुद्दत पूरी हो जाये। (इब्ने माजा—सुनन—2/89—ह0—2031) (तिर्मिज़ी—सुनन—1/665—ह0—1204) (अबू दाऊद—सुनन—2/754—ह0—2300) (बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/483—ह0—15497) (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/567—ह0—19188) (इब्ने हिब्बान—सह़ीह—5/327—ह0—4292) (दारमी—सुनन—2/209—ह0—2333)
(मिश्कात—2/146—ह0—31887)

बाअ़ज़ औक़ात कोई ऐसा उ़ज़्र दौराने इ़द्दत ह़ाइल हो तो बेवा (औ़रत) उस मकान से मुन्तक़िल हो सकती है मसलन मियाँ—बीवी किराये के मकान में रहते थे ख़ाविन्द की वफ़ात के बाअ़द आमदनी के ज़राए मह़दूद हो गये या मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया या मकान में अ़ज़ीज़ व अक़ारिब ने इतना तंग किया कि वहाँ अय्यामे इ़द्दत गुज़ारना मुश्किल हो जाये तो वो बेवा औ़रत किसी दूसरे मकान में इ़द्दत गुज़ार सकती है।

➡ ह़ज़रत अ़ता बयान करते हैं कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि0) ने फ़रमाया आयते करीमा (ग़ैरा इख़्राज—————सूरह—बक़राह—240) ने औ़रत के लिये शौहर के घर में इ़द्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया सो (बेवा) जहाँ चाहे इ़द्दत गुज़ारे (और अ़ता ने इस क़ौल की वज़ाहत में) कहा चाहे तो शौहर के घर इ़द्दत गुज़ारे जैसा कि उसके लिये वसीअ़त है और चाहे तो रूख़सत हो जाये क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया—(फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह़ा——————सू0—बक़राह—240) अ़ता कहते है फिर आयत मीरास नाज़िल हुई

(सूरह–निसा–12) पस वो सकना (रिहायश) भी मन्सूख़ हो गया तो जहाँ चाहे इ़द्दत गुज़ारे। (अबू दाऊद–सुनन–2/756–ह0–2301) (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/686–ह0–15506)

वज़ाह़त:– ख़ाविन्द की वफ़ात के बाद ‍औ़रत के लिये मसला–ए–इ़द्दत (सू0–बक़राह) की दो आयात में ज़िक्र हुआ है पहली आयत न0–234–में कि जो लोग तुममें से फ़ौत हो जायें और छोड़ जायें अपनी बीवियाँ तो चाहिये कि ‍औ़रतें अपने आप को चार माह दस दिन तक रोके रखें फिर उसके बाद आयात न0–240 में है कि तुममें से जो लोग फ़ौत हो जायें और छोड़ जायें अपनी बीवियाँ तो उन पर लाज़िम है कि अपनी बीवियों के लिये वसीअ़त कर जायें कि उन्हें एक साल तक ख़र्च देना है और घर से निकालना भी नहीं अगर वो खुद निकल जायें और अपने ह़क़ में भली बात करें तो उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं।

तो मज़कूरा दोनो आयात से ह़ासिल एक मौक़िफ़ ये है कि एक साल तक नफ़क़ा व सकना (ख़र्चा व रिहायश) का हुक्म पहले का है फिर उसे मन्सूख़ कर दिया गया और ख़ाविन्दों पर जो पाबन्दी थी कि एक साल तक का ख़र्चा और सकना दे तो वो विरासत के अह़काम सूरह–निसा–4/12 के नाज़िल होने पर ये भी मन्सूख़ हो गया और बेवा ‍औ़रत उसी घर में इ़द्दत गुज़ारे जहाँ वो अपने शौहर के साथ मुक़ीम थी और उसकी इ़द्दत एक साल से घटाकर चार माह दस दिन कर दी गई।

और दूसरा मौफ़िक़ ये है कि दोनो आयात में से एक भी मन्सूख़ नहीं हुई यानी पहली आयत (सूरह–बक़राह–234) में बेवा ‍औ़रत की इ़द्दत चार माह दस दिन मुक़र्रर हुई और दूसरी आयत (सूरह–बक़राह–240) में बेवा ‍औ़रतों के मुतअ़ल्लिक़ इतना इज़ाफ़ा किया गया कि शौहरों के वारिसों को वसीअ़त के मुताबिक़ एक साल तक ख़र्च व सकना देना और बेवा का अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के मकान से मुन्तक़िल होने का ज़िक्र है यानी बेवा ‍औ़रत का विरासत में हिस्सा लेने के बाद भी उसे वसीअ़त के मुताबिक़ एक साल तक ख़र्चा दिया जाये और उन्हें मकान से न निकाला जाये

अगर वो खुद निकल जायें तो कोई गुनाह नहीं और अगर शौहर ने मरने से पहले वसीअ़त न की हो तो बेवा को एक साल तक ख़र्चा शौहरों के वारिसों पर लाज़िम नहीं है हाँ अगर एक साल तक बेवा को ख़र्चा दिया जाये तो बेहतर है क्योंकि अ़ौरत को एक साल तक ख़र्च और रहने को रिहायश का इन्तिज़ाम करना व अ़ौरत के साथ हुस्ने सुलूक करना बहुत अच्छा अ़मल है जो बाइसे अज्र व सवाब है अगर बेवा को उसके मरहूम शौहर की मीरास में हिस्सा भी मिले और एक साल तक ख़र्च भी मय्यत के माल से मिले तो ये मज़ीद बेहतर है।

-: इद्दते ह़ामला :-

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
और ह़ामला औ़रतें (तो) उनकी इ़द्दत वज़अ़ ह़मल है।
(सूरह-तलाक़-65/4)

➡ सुबैआ़ बिन्ते हारिस ने ख़ाविन्द की वफ़ात के बीस दिन के बाद बच्चा जना और जब वो निफ़ास से फ़ारिग़ हुई तो उन्होनें बनाओ सिंगार किया तो लोगों को अचम्भा हुआ और उन्होनें नबी करीम (सल्ल0) से उसका ह़ाल बयान किया तो आप (सल्ल0) ने फ़रमाया कि बेशक वो सिंगार करे कि उसकी इ़द्दत मुकम्मल हो चुकी। (इब्ने माजा-सुनन-2/88-ह0-2027)
(बुख़ारी-सह़ीह-7/82-ह0-5318)
(मुसिलम-सह़ीह-4/128-ह0-3732)
(तिर्मिज़ी-सुनन-1/65-ह0-1193)
(अबू दाऊद-सुनन-2/760-ह0-2306)
(मिश्कात-2/145-ह0-3184)
(इब्ने ह़िब्बान-सह़ीह-5/329-ह0-4294)
(बैहक़ी-सुनन कुबरा-9/670-ह0-15468)
(दारमी-सुनन-2/207-ह0-2327)

ह़ामला ख़्वाह बेवा हो या मुतल्लक़ा (तलाक़ याफ़्ता) उसकी इ़द्दत बच्चे जनने के साथ ही ख़त्म हो जाती है।

अय्यामे इद्दत औ़रत किन उमूर से इजतिनाब करे

➡ ह़ज़रत उम्मे अ़तीया (रज़ि0) से रिवायत है कि हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया औ़रत किसी (मय्यत) पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे कोई रंगीन कपड़ा न पहने मगर वो कपड़ा जिसकी बिनाई ही रंगीन धागों से हो न सुरमा लगाये न ज़ेबर पहने और न ही खुश्बू का इस्तेअ़माल करे मगर हैज़ से तहारत के वक़्त मामूली कुस्त व अज़फ़ार की खुशबू इस्तेअ़माल कर सकती है।
(अबू दाऊद—सुनन—2/757—ह0—2302)
(दारमी—सुनन—2/209—ह0—2332)
(इब्ने ह़िब्बान—सह़ीह—5/339—ह0—4305)
(मिश्कात—2/119—ह0—3187)

फ़वाइद व मसाइलः— सोग के माअ़नी है ग़म व रंज और दौराने सोग ज़ैब और ज़ीनत को तर्क कर देना है एक दूसरी रिवायत में अय्यामे इद्दत में मेंहदी लगाने की मुमानियत है जिस औ़रत का शौहर फ़ौत हो जाये उसके लिये हुक्म है कि शौहर की वफ़ात के बाद दौराने इद्दत औ़रत का सुरमा लगाना, ख़िज़ाब लगाना, रंगीन लिबास पहनना, खुश्बू लगाना जाइज़ नहीं अलबत्ता हैज़ से पाक होने पर थोड़ी खुश्बू लगा सकती है और तलाक़ मुग़ल्लिज़ा वाली औ़रत भी ज़ैब व ज़ीनत के हुक्म में बेवा की तरह है और तलाक़ रजई वाली औ़रत ज़ैब व ज़ीनत को इख़्तियार करे।

बेवा व मुतल्लक़ा दौराने इद्दत ज़रुरत के लिये मकान से निकल सकती है

➡ हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्ला (रज़ि0) से रिवायत है कि उसकी खाला को तलाक़ दी गई तो उन्होनें अपने ख़जूरों के बाग़ में जाने का इरादा किया और वो ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुईं तो हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया तुम अपने बाग़ में चली जाओ और तुम उसके फल तोड़ो ताकि तुम सद्क़ा दो या फिर कोई और नेक काम करो (नसाई–सुनन–2/531–ह0–3583)(मुस्लिम–सही–4/127–ह0–3721) (इब्ने माजा–सुनन–2/91–ह0–2034)(अबू दाऊद–सुनन–2/751–ह0 –2297) (मिश्कात–2/145–ह0–3183) (दारमी–सुनन–2/210–2334) (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/689–ह0–15511)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्ला (रज़ि0) बयान फ़रमाते हैं कि किसी औ़रत के लिये जाइज़ नहीं कि वो एक रात अपने घर से बाहर गुज़ारे जब वो अपने ख़ाविन्द की वफ़ात की इद्दत में हो या फिर इद्दते तलाक़ में (सिर्फ दिन को ज़रुरत के लिये निकल सकती है)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/690–ह0–15513)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्ला बिन उ़मर (रज़ि0) बयान फ़रमाते हैं कि तलाक़ शुदा औ़रत और वो औ़रत जिसका ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका हो तो वो दिन में निकले और मुकम्मल रात अपने घर के अ़लावा किसी दूसरे घर में न गुज़ारे।
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/690–ह0–15514)

➡ यह्या बिन सईद से रिवायत है फ़रमाते हैं कि एक बेवा औ़रत हज़रत अ़ब्दुल्ला बिन उ़मर (रज़ि0) के पास आयी और उसने अपने ख़ाविन्द की वफ़ात का तज़किरा किया और अपनी खेती का भी ज़िक्र किया जो कि कनाह नामी जगह में थी तो उसको वहाँ रात गुज़ारने के लिये मना किया गया फिर वो मदीना से सुबह सहरी के वक़्त निकलती और वो दिन अपनी खेती में गुज़ारती और जब

शाम हो जाती तो वो मदीना (मुनव्वरा) में दाख़िल हो जाती और रात अपने घर में गुज़ारती थीं।
(बैहक़ी—सुनन कुबरा—9/691—ह0—15515)

बेवा और मुतल्लक़ा दौराने इद्दत जाइज़ व ज़रूरत के लिये दिन में घर से निकल सकती है अलबत्ता उसको रात हर ह़ाल में अपने घर में ही गुज़ारनी होगी।

-: नान व नफ़क़ा :-

-: मुतल्लक़ा का नान व नफ़क़ा :-

ख़ाविन्द अपनी बीवी के नफ़क़े का क़फ़ील (ज़िम्मेदार) है सिवाए इसके कि बीवी ख़ाविन्द के ख़िलाफ़ किसी शरई उ़ज़्र के बग़ैर उससे अ़लैहदा रिहायश इख़्तियार कर ले या नुशूज़ की मुरतकिब हो औ़रत का नुशूज़ ये है कि वो अपने ख़ाविन्द से बुग़्ज़ रखे या नाफ़रमानी करे या अपनी आँखें ग़ैर मर्द की तरफ़ उठाये।

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
मर्द औ़रतों पर मुहाफ़िज़ और मुन्तज़िम हैं इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने उनमें बाअ़ज़ को बाअ़ज़ पर फ़ज़ीलत दी है और इस वजह से (भी) कि मर्द (उन पर) अपना माल ख़र्च करते हैं तो नेक बीवियाँ इताअ़त शिआ़र होती हैं। (सूरह-निसा-4/34)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
साहिबे वुसअ़त को अपनी वुसअ़त के लिहाज़ से ख़र्च करना चाहिये और जिस शख़्स पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया हो तो वो उसी रोज़ी में से (बतौर नफ़क़ा) ख़र्च करे जो उसे अल्लाह तआ़ला ने अ़ता फ़रमाई है। (सूरह-तलाक़-65/7)

एक और मक़ाम पर अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि तुम पर इस बात में (भी) कोई गुनाह नहीं कि अगर तुमने (अपनी मन्कूहा) औ़रतों को उनके छूने या उनके महर मुक़र्रर करने से भी पहले तलाक़ दे दी है तो उन्हें (ऐसी सूरत में) मुनासिब ख़र्चा दो वुसअ़त वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक (लाज़िम) है और तंग दस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक़ ये ख़र्चा मुनासिब तरीक़े पर दिया जाये ये भलाई करने वालों पर वाजिब है और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक़ दे दी जबकि तुम उनका महर मुक़र्रर कर चुके थे तो उस महर का जो तुमने मुक़र्रर किया था उसका निस्फ़ (आधा) देना ज़रुरी है सिवाए इसके कि वो (अपना हक़) खुद माफ़

कर दे या वो (शौहर) जिसके हाथ में निकाह़ की गिरह है मुआ़फ़ कर दे (यानी बजाए निस्फ़ के ज़्यादा दे या पूरा अदा कर दे) और ऐ मर्दो अगर तुम मुआ़फ़ कर दो तो ये तक़्वा के क़रीबतर है और आपस में एह़सान करना न भूला करो। (सू0—बक़राह—236, 237)

इरशादे बारी तआ़ला हैः—
ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिये ये ह़लाल नहीं है कि तुम ज़बर दस्ती औ़रतों के वारिस बन जाओ और उन्हें इस ग़रज़ से न रोक रखो कि जो माल तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ वापस ले लो सिवाए इसके कि वो खुली बदकारी की मुरतकिब हों और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बरताव करो फिर अगर तुम उन्हें ना पसंद करते हो तो मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को ना पसंद करो और अल्लाह तआ़ला उसमें (तुम्हारे लिये) बहुत सी भलाई रख दे और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम ढेरो माल दे चुके हो तब भी उसमें से कुछ वापस मत लो क्या तुम नाह़क़ इल्ज़ाम और सरीह़ गुनाह के ज़रिये वो माल (वापस) लेना चाहते हो और तुम कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से पहलू बा पहलू मिल चुके हो और वो तुमसे पुख़्ता अ़हद भी ले चुकी है। (सूरह—निसा—19 ता 21)

इरशादे बारी तआ़ला हैः—
और तलाक़ याफ़्ता औ़रतों को भी मुनासिब तरीक़े से ख़र्चा दिया जाये (और) ये परहेज़गारों पर वाजिब है इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिये अपने अह़क़ाम वाज़ेह़ फ़रमाता है ताकि तुम समझ सको (सूरह—बक़राह—241, 242)

इरशादे बारी तआ़ला हैः—
ऐ ईमान वालो जब तुम मोमिन औ़रतों से निकाह़ करो फिर तुम उन्हें तलाक़ देदो क़ब्ल इसके कि तुम उन्हें मस करो (यानी ख़ल्वत सह़ीह़ा करो) तो तुम्हारे लिये उन पर कोई इ़द्दत (वाजिब) नहीं है कि तुम उसे शुमार करने लगो पस उन्हें कुछ माल व मताअ़ दो और उन्हें अच्छी तरह हुस्ने सुलूक के साथ रुख़सत करो।
(सूरह—अह़ज़ाब—33/49)

मुतल्लक़ा के नान व नफ़क़े से मुतअ़ल्लिक़ चन्द अह़ादीस

➡ ह़ज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम (सल्ल0) ने इरशाद फ़रमाया–जिस ख़ातून को तीन तलाक़े दी गई हों उसको मर्द की जानिब से न तो मकान दिया जायेगा और नान व नफ़क़ा। (मुस्लिम–सह़ीह–4/120–ह0–3698)
(नसाई–सुनन–2/464–ह0–3436)
(इब्ने माजा–सुनन–2/92–ह0–2035)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/650–ह0–1180)

➡ उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि0) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) की इस बात का इन्कार किया है कि मुतल्लक़ा को नफ़क़ा व सकना नहीं मिलेगा।
(बुख़ारी–सह़ीह–7/86–ह0–5327)
(अबू दाऊद–2/749–ह0–2293)

➡ फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि0) को उनके शौहर ने हुजूर (सल्ल0) के ज़माने मुबारक में तलाक़ दिया सो हुजूर (सल्ल0) ने फ़रमाया तेरे शौहर पर न तेरे लिये घर वाजिब है न ही रोटी कपड़ा कहा मुग़ीरा ने फिर ज़िक्र किया मैंने उसका इब्राहीम से तो उन्होंने कहा कि फ़रमाया हज़रत ऊ़मर (रज़ि0) ने कि नहीं छोड़ते हम अल्लाह की किताब (कु़रान) और अपने नबी की सुन्नत एक औ़रत के क़ौल से कि हमको माअ़लूम नहीं कि उसने हुजूर (सल्ल0) के हुक्म को याद रखा था या भूल गई सो हज़रत ऊ़मर (रज़ि0) तीन तलाक़ वाली को रोटी कपड़ा व रहने को मकान इ़द्दत तक दिलवाते थे
(तिर्मिज़ी–सुनन–3/261–ह0–3963)
(दार कुतनी–सुनन–3/261–ह0–3963)
(इब्ने अबी शैबा–अल मुसन्निफ़–5/531–ह0–18976)
(दारमी–सुनन–2/204–ह0–2322)

मज़कूरा कुरान व अहादीस के दलाइल से साबित है कि मुतल्लक़ा को नान व नफ़क़ा व सकना उसकी इद्दत तक शौहर की जानिब से दिया जायेगा।

–: बेवा औरत का नान व नफ़क़ा :–

इरशादे बारी तआला हैः–

और तुममें से जो लोग फ़ौत हो जायें और (अपनी) बीवियाँ छोड़ जायें तो उन पर लाज़िम है कि (मरने से पहले) अपनी बीवियों के लिये उन्हें एक साल तक ख़र्चा देने और अपने घरों से न निकाले जाने की वसीअ़त कर जायें। (सूरह–बक़राह–240)

इरशादे बारी तआला हैः–

और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुये (माल) में चौथा हिस्सा है बर्शते ये कि तुम्हारी कोई औलाद न हो फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनके लिये तुम्हारे तरके में से आठवाँ हिस्सा है। (सूरह–निसा–12)

➡ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि0 से रिवायत है वो इस आयते मुबारक (वल्लज़ीना युतावफ़्फ़ूना मिन्कुम————————————बक़राह–240) से मुताअ़ल्लिक़ बयान करते हैं कि ये आयते करीमा मीरास की आयते करीमा (सूरह–निसा–12) से मन्सूख़ है जिसमें बीवी के चौथे और आठवें हिस्से का तज़किरा है नीज़ एक साल तक इ़द्दत में रहने का हुक्म भी चार माह दस दिन से मन्सूख़ हो गया।

(नसाई–सुनन–2/528–ह0–3576)

(अबू दाऊद–सुनन–2/749–ह0–2291)

(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/666–ह0–15461)

–: ह़ामला औ़रत का नान व नफ़क़ा :–

इरशादे बारी तअ़ाला हैः–
और अगर वो ह़ामला हो तो उन पर ख़र्च करते रहो यहाँ तक कि वो अपना बच्चा जन लें फिर अगर वो तुम्हारी ख़ातिर बच्चे को दूध पिलायें तो उन्हें उनका मुआ़वज़ा अदा करते रहो। (सू0—तलाक़—6)

➡ह़ज़रत अ़ब्दुल्ला रज़ि0 फ़रमाते हैं कि जो शख़्स बीवी को ह़ालते ह़मल में तलाक़ दे अल्लाह उसे नादिम करेगा और ह़ालते ह़मल और ह़ालते रजाअ़त (बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत) में वो ख़र्च करे यहाँ तक कि बच्चे का दूध छुड़वा दे।
(इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/534—ह0—18996)

–: बेवा ह़ामला औ़रत का नान व नफ़क़ा :–

➡ ह़ज़रत मौला अ़ली ह़ज़रत इब्ने उ़मर ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास और ह़ज़रत जाबिर (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि ह़ामला औ़रत का ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो उसे नफ़क़ा नहीं मिलेगा बल्कि उस पर उसके विरासती हिस्से में से ख़र्च किया जायेगा। (इब्ने अबी शैबा–अल–मुसन्निफ़–5/591–ह0–19320, 5/589–ह0–19310)

वज़ाह़त:– औ़रत ख़्वाह बेवा हो या बेवा ह़ामला उसको नफ़क़ा देना एक बेहतरीन अ़मल है हालाँकि बेवा को ख़ाविन्द की मीरास में से चौथा या आठवाँ हिस्सा मिलता है लेकिन बाअ़ज़ औक़ात असवाब ऐसे होते है कि ख़ाविन्द का छोड़ा हुआ तरका या तो बहुत कम होता है या तो कुछ भी नहीं होता जिसके बाइस औ़रत की जाइज़ हाजात के पूरा होने मे दुश्वारियाँ व मुश्किलात दरपेश आते हैं ऐसी सूरत में औ़रत अपनी ख़ास ज़रुरत की भी तकमील नहीं कर सकती और बाअ़ज़ औक़ात देखा जाता है कि ख़ाविन्द के छोड़े हुये तरके में माल (रुपया पैसा) बहुत कम होता है और जो होता है तो वो उसकी तदफ़ीन व फ़ातिह़ा वग़ैराह में ख़र्च हो जाता है सिर्फ़ या तो मकान बचता है या बाअ़ज़ औक़ात मकान भी किराये का होता है तो ऐसी सूरत में बेवा को सख़्त तकलीफ़ो परेशानी से दो चार होना पड़ता है इसलिये बेहतर यही है कि बेवा हो या बेवा ह़ामला हो उसे ख़र्चा दिया जाये और ये औ़रत से अच्छा सुलूक करने की अ़लामत है जो बाइसे जज़ाऐ ख़ैर है।

-: मुतल्लक़ा का छोटा बच्चा किसके पास रहे :-

➡ हज़रत उ़मर रज़ि0 ने उम्मे आसिम को फ़रीक़ बनाकर हज़रत आसिम की परवरिश का मसला हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि0) के पास पेश किया उन्होने फ़ैसला फ़रमाया कि बच्चा हज़रत उम्मे आसिम (आसिम की माँ) के पास रहेगा जब तक कि बालिग़ न हो जाये या जब तक वो शादी न कर ले और फ़रमाया माँ बच्चे पर ज़्यादा मेहरबान, रहम करने वाली, नरम दिल और शफ़क़त करने वाली होती है (इब्ने अबी शैबा—अल मुसन्निफ़—5/619—ह0—19455)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि एक औ़रत ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल मेरा ये बेटा मेरा पेट इसके लिये बरतन है मेरा सीना इसके लिये मशकीज़ा है और मेरा दामन इसके लिये पनाहगाह रहा है इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और चाहता है कि इसको मुझसे छीन ले आप (सल्ल0) ने उस औ़रत से फ़रमाया तू इसकी ज़्यादा ह़क़दार है जब तक कि निकाह़ न करे। (अबू दाऊद—सुनन—2 / 736—ह0—2276)

व आखिरूद्अ़वाना अ़निल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन।

★★★★★

अल्ह़म्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन अल्लाह तआ़ला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसके फ़ज़्लो करम व तौफ़ीक़ से और उसके हबीब नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की इनायत और रहमो करम और अह्ले बैत अत्हार के फ़ैज़ व नज़रे करम व तमाम सहाबा किराम व जुमला औलियाकिराम के फ़ैज़े रुहानी व बरकात से इस फ़क़ीर ने इस किताब की तालीफ़ की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ हक़ीर सरापा तक़सीर से जो काम लिया है हक़ीक़तन मैं क़तई इसके क़ाबिल न था अल्लाह तआ़ला इस किताब को अपनी बारगाह में शरफ़े मक़बूलियत अ़ता फ़रमाये और क़यामत तक लोगों के लिये इस किताब को फ़ैज़ रसाँ रखे और मेरी ज़िन्दगी व आख़िरत ईमान बिल ख़ैर पर क़ायम रखे व तमाम उम्मते मुस्लिमा को हिदायत अ़ता फ़रमाये और अपनी व अपने हबीब और अहले बैत अत्हार व सालिहीन की मुहब्बत से दिलों को मुनव्वर और मुनज़्ज़ाह फ़रमाये और क़ल्ब व रुह को मुज़य्यन फ़रमायें और तमाम मुहिब्बाने अहले बैत की मग़फ़िरत फ़रमाये– **आमीन**

और इस किताब को बराये ईसाले सवाब मुअ़ल्लिफ़ के वालिदे गिरामी मरहूम जनाब ईद मुहम्मद वारसी साहब की रुह को अज्रे अ़ज़ीम अ़ता फ़रमाये व अपने हबीब के सद्क़े उनकी मग़फ़िरत फ़रमाये–**आमीन**

नोट– जो हज़रात अपने अ़ज़ीज़ो अक़ारिब या अपने वालिदैन के ईसाले सवाब या दीनी तबलीग़ या सवाब पाने की नीयत से इस किताब को छपवाकर लोगों में तक़सीम करना चाहते हैं वो बराहे रास्त हम से राब्ता क़ायम करें। 9897626182, 9045442223

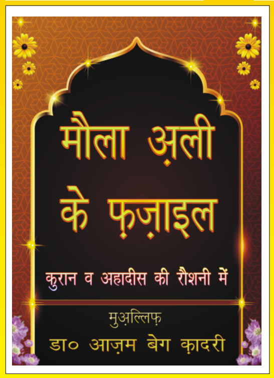
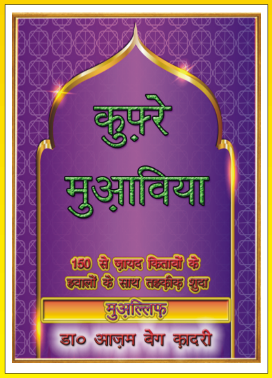
मदार बुक सेलर
मकनपुर (कानपुर)